601
5-1-65

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं]
Vol. XXXIV contains Nos. 11—20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 12—मंगलवार, 22 सितम्बर, 1964/31 भाद्र, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
321	सामाजिक सुरक्षा विभाग	1199—1201
322	खादी तथा ग्रामोद्योग भण्डार	1201—05
323	कैरावेल विमान सेवा	1206—09
324	अमरीका को चीनी का निर्यात	1209—13
325	प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देना	1213—16
326	खाद्य तेलों के मूल्य	1216—19
327	खाद्य स्थिति	1219—21

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या

4	दिल्ली में खाद्यान्न के मूल्य	1221—23
5	बिहार को खाद्यान्न की सप्लाई	1223—25

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या

328	कृषि उत्पादन	1225—26
329	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	1226—27
330	कम किराये वाली हवाई सेवा	1227
331	ईराक को चावल का निर्यात	1227—28
332	अखिल भारतीय पंचायती राज सम्मेलन	1228
333	बड़े पत्तनों का यंत्रीकरण	1228
334	कलकत्ता को मछली का सम्भरण	1229
335	कृषि उत्पादन बोर्ड	1229—30
336	उत्तर प्रदेश के लिये चीनी का कोटा	1231

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है, कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 12—Tuesday, September 22, 1964/Bhadra 31, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
321	Social Security Department	1199—1201
322	Khadi and Village Industries Stores	1201—05
323	Caravelle Service	1206—09
324	Export of Sugar to U.S.A.	1209—13
325	Training to Progressive Farmers	1213—16
326	Prices of Edible Oils	1216—19
327	Food Situation	1219—21
Short Notice Questions Nos.		
4	Prices of Foodgrains in Delhi	1221—23
5	Supply of Foodgrains to Bihar	1223—25

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
328	Agricultural Production	1225—26
329	Community Development Programme	1226—27
330	Cheap Air Service	1227
331	Rice Export to Iraq	1227—28
332	Convention of All India Panchayati Raj	1228
333	Mechanisation of Major Ports	1228
334	Fish Supply to Calcutta	1229
335	Agricultural Production Board	1229—30
336	Sugar Quota for U.P.	1231

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
337	कृषि वस्तुओं की उत्पादन लागत . . .	1231
338	बम्बई बन्दरगाह की गोदी	1231–32
339	एयर इंडिया के यात्रियों को शुल्कमुक्त वस्तुओं की बिक्री	1232
340	बम्बई बन्दरगाह पर दोहरी बैंकिंग प्रणाली . .	1232–33
341	नया पी० एल० करार	1233–34
342	दिल्ली में दूध का अभाव	1234
343	विधि शिक्षा सम्बन्धी पृथक् परिषद् . .	1234–35
344.	भारतीय मत्स्यपालन निगम	1235
345	वाणिज्यिक नौसेना अकादमी	1235–36
346	पी० एल० 480 करार की अवधि बढ़ाना . .	1236–37

अतारांकित

प्रश्न संख्या

1001	दिल्ली के लिये चीनी का कोटा . . .	1237
1002	पंजाब में सड़क परियोजनायें . . .	1237
1003	वृद्धावस्था पेंशन योजना . . .	1237–38
1004	उद्योगों के लिये कृषि का कच्चा माल . .	1238
1005	बूरा का स्थानान्तरण	1239
1006	स्थानीय विकास कार्य	1239
1007	सामान्य चुनावों का निराक्षण करने के लिये अमरीका को भारतीय प्रतिनिधिमण्डल	1239
1008	सशस्त्र पुलिसबल का मत देने का अधिकार . .	1240
1009	खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा मोटर गाड़ियों का सम्भरण	1240
1010	उड़ीसा में तिलहन का विकास . . .	1241
1011	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था बस्ती . . .	1241
1012	अन्धे बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधायें . .	1241
1013	दिल्ली में मोटे अनाज की कमी . . .	1241–42
1014	अंगूरों की खेती	1242–43
1015	भूमध्य सागर के फल-कीट द्वारा दूषित केले . .	1243
1016	कैरावेल जेट सेवा	1243–44

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
337	Cost of Production of Agricultural Commodities	1231
338	Bombay Docks	1231—32
339	Sale of Duty-Free items to Air India Passengers	1232
340	Double Banking at Bombay Port	1232—33
341	New P.L. 480 Agreement	1233—34
342	Shortage of Milk in Delhi	1234
343	Separate Council of Legal Education	1234—35
344	Indian Fisheries Corporation	1235
345	Merchant Navy Academy	1235—36
346	Extension of P.L. 480 Agreement	1236—37

Unstarred Questions Nos.		
1001	Sugar Quota for Delhi	1237
1002	Road Projects in Punjab	1237
1003	Old Age Pension Scheme	1237—38
1004	Agricultural Industrial Raw Material	1238
1005	Movement of Boora	1239
1006	Local Development Works	1239
1007	Indian Delegation to U.S.A. for Witnessing General Elections	1239
1008	Right of Franchise to Armed Police Force	1240
1009	Supply of Vans by F.A.O.	1240
1010	Development of Oil Seeds in Orissa	1241
1011	I.A.R.I. Estate	1241
1012	Educational Facilities for Blind Children	1241
1013	Shortage of coarse grain in Delhi	1241—42
1014	Cultivation of Grapes	1242—43
1015	Bananas infected with Mediterranean Fruit Fly	1243
1016	Caravelle Jet Service	1243—44

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1017	कांगड़ा में जरसी पशु	1244
1018	चुकन्दर की जड़ से चीनी	1244–45
1019	कृषि अध्ययन दल	1245
1020	उचित मूल्य वाली दूकानों का लूटा जाना	1246
1021	कन्दमूल अनुसन्धान	1246–47
1022	सेतुसमुद्रम परियोजना	1247
1023	कृषि उत्पादन	1248
1024	गेहूं का उत्पादन	1248
1025	बकरियां पालना	1249
1026	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां	1249
1027	वन आयोग	1249
1028	हिमाचल प्रदेश में 'डेरी फार्म'	1250
1029	केन्द्रीय तिलहन समिति	1250–51
1030	होटल विकास निधि	1251
1031	बीजापुर में हवाई अड्डा	1251
1032	खादी भंडारों में खादी का मूल्य	1251–52
1033	दिल्ली-भोपाल विमान सेवा	1252
1034	मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास	1252—54
1035	रूस से मशीनें	1254
1036	कोटा में केन्द्रीय फार्म	1254–55
1037	मिट्टी का तापमान	1255
1038	पंजाब में समाज कल्याण विस्तार परियोजनायें	1255–56
1039	रिसवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी	1256
1040	तस्कर व्यापार में काम में लाये जाने वाले ट्रक	1256–57
1041	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	1257
1042	बीकानेर में दूध सुखाने का संयंत्र	1257
1043	राजस्थान को खाद्यान्न का सम्भरण	1258
1044	गन्ने के मूल्य का भुगतान	1258
1045	महानदी और बिरूपा पुल	1258–59

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1017	Jersey Cattle in Kangra	1244
1018	Sugar from Beet-root	1244-45
1019	Agricultural Study Team	1245
1020	Looting of Fair Price Shops	1246
1021	Tuber Research	1246-47
1022	Sethusamudram Project	1247
1023	Agricultural Production	1248
1024	Production of Wheat	1248
1025	Rearing of Goats	1249
1026	Lists of S. Cs. and S.Ts.	1249
1027	Forest Commission	1249
1028	Dairy Farm in H.P.	1250
1029	Central Oil Seeds Committee	1250-51
1030	Hotel Development Fund	1251
1031	Aerodromes at Bijapur	1251
1032	Prices of Khadi in Khadi Bhandar	1251-52
1033	Delhi-Bhopal Air Service	1252
1034	Development of Tourism in Madhya Pradesh	1252-54
1035	Machinery from U.S.S.R.	1254
1036	Central Farm at Kotah	IX54-55
1037	Temperature of Soil	1255
1038	Social Welfare Extension Projects, Punjab	1255-56
1039	River Steam Navigation Co.	1256
1040	Trucks engaged in Smuggling	1256-57
1041	Ministry of Food and Agriculture	1257
1042	Milk Drying Plant at Bikaner	1257
1043	Foodgrains supplied to Rajasthan	1258
1044	Payment of cane price	1258
1045	Mahanadi and Birupa Bridges	1258-59

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1046	औषधीय पौधे	1259–60
1047	नलकूप	1260
1048	सड़क दुर्घटनायें	1260
1049	सर्व श्रेष्ठ गांव	1261
1050	सामान्य बीमा सहकारी समितियां	1261
1051	कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना	1261–62
1052	"भूख से छुटकारा" आन्दोलन	1262–63
1053	फोकर फ्रेंडशिप विमान सेवा	1263–64
1054	कन्या कुमारी मद्रास सड़क	1265
1055	कालीकट पर हवाई अड्डा	1265
1056	चावल का समाहार	1265
1057	कोकोआ	1265–66
1058	मार्ग में खाद्यान्न का कम हो जाना	1266
1059	कृषि पदार्थ सलाहकार समिति	1266–67
1060	डेरी उद्योग का विकास	1267
1061	सड़क बोर्ड	1267–68
1062	खारी भूमि पर खेती	1268
1063	मशीनों के जरिये खेती	1268–69
1064	चम्बल की उबड़ खाबड़ जमीन को कृषियोग्य बनाना	1269
1065	महिला पंचायतें	1269
1066	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और खादी ग्रामोद्योग केन्द्र, त्रिपुरा	1270
1067	सफदरजंग हवाई अड्डा	1270
1068	रिंग रोड, दिल्ली	1270–71
1069	मुनाफे की सीमा निर्धारित करना	1271
1070	कोल्हार के पास कृष्णा नदी पर पुल	1271
1071	रामपुर में कोसी नदी पर पुल	1272
1072	अखिल भारतीय फल और बनस्पति प्रदर्शनी	1272
1073	सेवा सहकारी समितियां	1272–73
1074	सहकारी आन्दोलन	1273

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1046	Medicinal Plants	1259-60
1047	Tube Wells	1260
1048	Road Accidents	1260
1049	Best Village	1261
1050	General Insurance Cooperative Societies	1261
1051	Employees Health Insurance Scheme	1261-62
1052	'Freedom from Hunger' Movement	1262-63
1053	Fokkar Friendship Service	1263-64
1054	Kanyakumari-Madras Road	1264
1055	Aerodrome at Calicut	1264
1056	Procurement of Rice	1265
1057	Cocoa	1265-66
1058	Foodgrains lost in Transit	1266
1059	Agricultural Commodities Advisory Committee	1266-67
1060	Development of Dairy Industry	1267
1061	Road Board	1267-68
1062	Cultivation of Saline Lands	1268
1063	Mechanised Farming	1268-69
1064	Reclamation of Chambal Ravines	1269
1065	Women Panchayats	1269
1066	Khadi & Village Industries Board and Khadi Gramodyog Kendra, Tripura	1270
1067	Safdarjang Aerodrome	1270
1068	Ring Road, Delhi	1270-71
1069	Fixation of Margin of Profit	1271
1070	Bridge across River Krishna near Kolhar	1271
1071	Bridge over Kosi at Rampur	1272
1072	All India Fruit and Vegetable Exhibition	1272
1073	Service Co-operatives	1272-73
1074	Cooperative Movement	1273

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1075	सहकारी जहाजों द्वारा हाथियों का परिवहन	1273–74
1076	दिल्ली में सड़कों का चौड़ा किया जाना	1274
1077	आटा मिलों का बन्द किया जाना	1274–75
1078	वन अनुसन्धान संस्था	1275
1079	मध्य प्रदेश द्वारा ट्रैक्टरों का खरीदा जाना	1276
1080	खादी के कपड़ों पर छूट	1276
1081	मछली उद्योग का विकास	1276–77
1082	गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	1278
1083	आई० ए०सी० की केरेवैल उड़ाने	1278
1084	कलकत्ता पत्तन पर चावल का जहाज से उतारा जाना	1278–79
1085	जहाजों को हरजाना	1280–81
1086	गुलवर्ग में हवाई अड्डे का निर्माण	1281
1087	खाद्य विभाग के कर्मचारी	1281
1088	मूल्य उतार-चढ़ाव कोष	1282
1089	विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि	1282
1090	पश्चिम घाट नहर	1282–83
1091	बुलहर संयंत्र	1283
प्रतिरक्षा मंत्री की अमरीकी तथा रूस की यात्रा पर वक्तव्य के बारे में		1283—85
स्थगन प्रस्ताव के बारे में		
	दिल्ली में पीने के पानी का दूषित हो जाना	1285–86
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलना	
	"केअर" संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये दोपहर के भोजन से स्कूल के कुछ बच्चों की मृत्यु	1286–87
	श्री यशपाल सिंह	1286
	श्री मु० क० चागला	1286–87
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रश्न)		1287—90
सभा पटल पर रखे गये पत्र		1290–91
राज्य सभा से सन्देश		1291–92

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1075	Transport of Elephants by Government Ships	1273—74
1076	Widening of Roads in Delhi	1274
1077	Closure of Flour Mills	1274—75
1078	Forest Research Institute	1275
1079	Purchase of Tractors by Madhya Pradesh	1276
1080	Rebate on Khadi Products	1276
1081	Development of Fisheries	1276—77
1082	Deep Sea Fishing	1278
1083	I.A.C. Caravelle Flights	1278
1084	Unloading of Foodgrains at Calcutta Port	1278—79
1085	Detention Money paid to Ships	1280—81
1086	Construction of Aerodrome at Gulbarga	1281
1087	Employees in Department of Food	1281
1088	Price Fluctuation Fund	1282
1089	Delegations sent Abroad	1282
1090	West Coast Canal	1282—83
1091	Buhler Plants	1283
	Re:Statement on Defence Minister's visit toU.S.A. and U.S.S.R.	1283—85
	Re : Motions for Adjournment	
	Contamination of water supply in Delhi	1285—86
	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1286—87
	Death of some school children after taking CARE supplies mid-day meals	1286—87
	Re : Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance (Query)	1287—90
	Papers laid on the Table	1290—91
	Message from Rajya Sabha	1291—92

विषय	पृष्ठ
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1964	1292
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया	
भाण्डागार निगम (अनुपूरक) विधेयक—पुरःस्थापित	1292
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1964-65	1293—95
श्री सुब्बरामन	1293
श्री ब० रा० भगत	1293—95
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	1295—1300
विचार करने का प्रस्ताव	1295
श्री जगन्नाथ राव	1295–96
श्री प्र० के० देब	1296–97
श्री बारियर	1297
श्री श० ना० चतुर्वेदी	1297–98
श्री बड़े	1298
श्री अ० सिं० सहगल	1298
श्री यशपाल सिंह	1298
श्री स० मो० बनर्जी	1298—1300
खण्ड 2, 3 और 1	1300
पारित करने का प्रस्ताव	1300
श्री जगन्नाथ राव	1300
विधि मान्य निविदा (अन्तर्लिखित नोट) विधेयक	1301—04
विचार करने का प्रस्ताव	1301
श्री जगन्नाथ राव	1301
श्री प्र० के० देब	1301–02
श्री बारियर	1302
श्री हेडा	1302
श्री बड़े	1302
श्री व० बा० गांधी	1303
डा० मा० श्री अणे	1303
श्री स० मो० बनर्जी	1303
श्री श० ना० चतुर्वेदी	1303
श्री ब० रा० भगत	1303

The Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1964 1292

Returned from Rajya Sabha 1292

Warehousing Corporations (Supplementary) Bill—Introduced.

Demands for Supplementary Grants (General), 1964-65 . 1293—95

Shri Subbaraman 1293

Shri B.R. Bhagat . . . . . 1293—95

Representation of the People Bill . . . . . 1295—1300

Motion to consider 1295

Shri Jaganatha Rao . . . . . 1295—96

Shri P.K. Deo . . . . . 1296—97

Shri Warior 1297

Shri S.N. Chaturvedi . . . . . 1297—98

Shri Bade 1298

Shri A.S. Saigal 1298

Shri Yashpal Singh 1298

Shri S.M. Banerjee . . . . . 1298—1300

Clauses 2, 3 and 1 1300

Motion to pass 1300

Shri Jaganatha Rao 1300

Legal Tender (Inscribed Notes) Bill . . . . 1301—04

Motion to consider 1301

Shri Jaganatha Rao 1301

Shri P.K. Deo . . . . . 1301—02

Shri Warior 1302

Shri Heda 1302

Shri Bade 1302

Shri V.B. Gandhi 1303

Dr. M.S. Aney 1303

Shri S.M. Banerjee 1303

Shri S.N. Chaturvedi 1303

Shri B.R. Bhagat 1303

विषय	पृष्ठ
खण्ड 2, 3 और 1	1304
पारित करने का प्रस्ताव	1304
श्री ब० रा० भगत	1304
संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केरल राज्य के सम्बंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे में संकल्प . . .	1304—09
श्री हाथी	1304–05
श्री वारियर	1305–06
श्री मणियंगाडन	1306–07
श्री उ० मू० त्रिवेदी	1307–08
श्री खाडिलकर	1308–09

Clauses 2, 3 and 1 1304
Motion to pass 1304
Shri B.R. Bhagat 1304

Resolution re: Proclamation under Article 356 of the Constitution in relation to the State of Kerala . . . . 1304—09
Shri Hathi . . . . 1304—05
Shri Warior . . . . 1305—06
Shri Maniyangadan . . . . 1306—07
Shri U.M. Trivedi . . . . 1307—08
Shri Khadilkar . . . . 1308—09

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी] में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1353 (Ai) LS--1.

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 22 सितम्बर, 1964 / 31 भाद्र, 1886 (शक)

Tuesday, September 22, 1964/Bhadra 31, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : जब कि मैं सभा का अभिवादन कर ही रहा हूं, कुछ सदस्यों को बैठने की जल्दी है ।

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं क्षमा चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष का आदर करके वे स्वयं अपना आदर करते हैं ।

श्री राज बहादुर : श्रीमन्, मुझे खेद है ।

अध्यक्ष महोदय : केवल आप ही नहीं हैं ।

Shri Raghunath Singh : Due to some carelessness it might have happend but the House never meant that. The House respects you much.

Mr. Speaker : I do not want to say more on this. I was simply appealing that if we maintain our dignity, the outsiders also will respect us.

सामाजिक सुरक्षा विभाग

+

321. श्री हिम्मतसिंहका :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री शिवचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री काशीनाथ पांडेय :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री ह० चं० सोय :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक सुरक्षा का एक पृथक विभाग स्थापित करने का क्या उद्देश्य है

(ख) सरकार को सामाजिक सुरक्षा संबंधी नीतियों के निर्माण तथा उन्हें क्रियान्वित करने की दिशा में राज्यों का सहयोग किस सीमा तक तथा किस प्रकार प्राप्त करना पड़ता है; और

(ग) तीसरी तथा चौथी योजनाओं के दौरान समाजिक सुरक्षा संबंधी उपायों के स्वरूप तथा भावी संभावनाओं की रूप रेखा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) केन्द्रीय सरकार की सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण की योजनाओं के निर्माण के विभिन्न उपायों तथा क्रिया कलापों को सम्पूर्ण करने तथा समन्वय करने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा का एक पृथक विभाग स्थापित किया गया है ।

(ख) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कुछ योजनायें भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित होती हैं तथा कुछ योजनायें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, जिनको केन्द्रीय सरकार इस काम के लिये अनुदान देती है, क्रियान्वित होती हैं। राज्य सरकारों द्वारा, जहां भी आवश्यक समझा गया है, इन नितियों के क्रियान्वित करने में अभी तक किसी भी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ है और उनका सहर्ष सहयोग प्राप्त होता रहा है ।

(ग) तीसरी पंच वर्षीय योजना में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और इनकी पूर्ति के लिये जोरदार कार्यवाही की जा रही है : चौथी योजना की रूप रेखा तैयार की जा रही है और उस से शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जायेगा।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या अब तक किये गये कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

श्री जगन्नाथ राव : यह विभाग 1 जून, 1964 को बनाया गया है और अभी से इस विभाग के कार्य का कैसे मूल्यांकन किया जा सकता है ।

श्री हिम्मतसिंहका : तीन योजनाओं में इसके लिये कितना धन दिया गया ? क्या हर योजना में इसमें कमी की जाती रही ?

श्री जगन्नाथ राव : जी, नहीं । उत्तरोत्तर योजनाओं में अनुदान अधिक ही होता है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड देश में मूल्यांकन कार्य के लिये एक उच्च शक्ति निरीक्षणालय स्थापित करने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो इन्सपेक्टरों का पर्यवेक्षण कौन करेगा और इससे मूल्यांकन में किस हद तक सहायता मिलेगी ?

श्री जगन्नाथ राव : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का समूचा कार्यकरण विचाराधीन है ।

श्री काशीनाथ पांडे : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत समाज सुरक्षा योजनाओं को मिलाया जाना था ताकि औद्योगिक श्रमिकों को सेवा-निवृत्ति के बाद पेन्शन मिल सके और यदि हां, तो क्या प्रगति की गयी है ?

श्री जगन्नाथ राव : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्य की जांच करने के लिये एक पुनरीक्षण समिति बनाई गई है । मैं समझता हूं कि समिति इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : इनमें से कुछ योजनायें कुछ समाज कल्याण संस्थाओं के जरिये क्रियान्वित की जाती हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज योजना को क्रियान्वित करने के ख्याल से क्या सरकार समाज कल्याण विभाग की कुछ योजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं के जरिये समन्वित करना चाहेगी ?

श्री जगन्नाथ राव : मौजूदा योजनायें सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं और मेरे लिये अभी यह कहना मुश्किल है कि पंचायती राज संस्थायें यह का'' कर सकती हैं या नहीं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि समाज सुरक्षा मंत्रालय बनाने में विभिन्न मंत्रालयों के कुछ विभागों को लेकर मिला दिया गया है जिससे मंत्रालयों के काम में गड़बड़ हो गयी है और यदि हां, तो सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय की पृथकता बनाये रखने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : यह प्रश्न प्रधान मंत्री जी से पूछा जाना चाहिये । हमें किसी गड़बड़ी का पता नहीं है और जहां तक हमारे मंत्रालय का सम्बन्ध है, यह ठीक चल रहा है ।

Shri Yashpal Singh : What have the Government done to help these old people who could not be taken in the Rajya Sabha, and who, havingededicated the whole of their life to Social service, do not have any means of livelihood?

Mr. Speaker: Thakur Sahib is still young.

Shri Vishram Prasad : As the Harijan welfare Department also comes under the Social Security Department, may I know what action isbeing taken by that Department for the eradication of untouchability which has not so far been wiped away ?

श्री जगन्नाथ राव : मूलत: अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां और पिछड़े वर्ग गृह मंत्रालय के प्रभार में रहे और जब इनको इस विभाग को सौंप दिया गया तो उन सभी योजनाओं को, जिन्हें हमने पहले बनाया था, क्रियान्वित किया जा रहा है ।

श्रीमती अकम्मा देवी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड शिक्षा मंत्रालय से लेकर समाज कल्याण विभाग को सौंप दिया गया है, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इस बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा या इसमें भारी परिवर्तन किये जायेंगे ?

श्री अ० कु० सेन : हम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन अथवा इसका अन्तिम रूप निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

Khadi and Village Industries Stores

\+

*322. { Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Sidhanti :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether during the last two years some cases of misappropriation of funds in the Khadi and Village Industries Stores have come to the notice of Government ;

(b) whether Government are formulating any plan of their own to ensure proper utilisation of funds by the Centres ; and

(c) the action taken against the defaulting institutions and/or individuals including its employees.

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां ।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास अपने सभी केन्द्रों में निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त संगठित मशीनरी है । आयोग के विभिन्न केन्द्रों द्वारा निधि के उपयोग के नियत कालिक विवरण सरकार को प्राप्त होते रहते हैं ।

(ग) दोषी संस्थाओं तथा व्यक्तियों, जिनमें इनके कर्मचारी भी शामिल हैं, के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(i) आयोग ने दो दीवानी मुकदमे दायर किये हैं । एक मुकदमे में डिगरी दे दी गई है ।

(ii) आयोग ने 22 शिकायतें पुलिस को की हैं 3 दांडिक मामलों में दोषीसिद्धि हो चुकी है एक गबन के मामले में, जो कि एक संस्था के विरुद्ध था, कार्य अधिकारी को 4 वर्ष का कठोर कारावास हुआ है ।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know the total amount involved in the cases of misappropriation in Khadi and Village Industries Stores, which have come to the knowledge of the Government and the names of States where such state of affair exists.

श्री जगन्नाथ राव : मैं ठीक तो नहीं बता सकता लेकिन 22 मामलों में शिकायत पुलिस में दर्ज करायी गयी है और मामले की जांच की जा रही है । तीन अन्य आपराधिक मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया गया है । तीन दीवानी मुकदमे चल रहे हैं । एक आपराधिक मुकदमा है .....

अध्यक्ष महोदय : क्या वह निधि के बारे में बता सकते हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : एक मामले में गबन की राशि 51,000 है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Has it been brought to the knowledge of the Ministry that some allegations were earlier against a Minister in the Andhra Pradesh Legislative Assembly regarding misappropriation in connection with the Khadi and Village Industries Stores and those allegations were proved. If so, the amount involved therein ?

श्री जगन्नाथ राव : मुझे पता है कि 24 जून, 1964 को राज्य खादी बोर्ड के अध्यक्ष, श्री तिन्ना रेड्डी ने कहा था कि जब उन्होंने काम संभाला, राज्य बोर्ड के काम में बड़ी गड़बड़ थी और उन्होंने सारा काज व्यवस्थित की ।

श्री रंगा : अब वह याद गड़बड़ी है ।

Shri Prakash Vir Shastri : As the Ministry is aware that the number of cases of misappropriation is more than fifty, it must also be aware of the total amount involved. As we also come to know that lakhs of rupees are involved, the Government must be aware of the full facts.

Mr. Speaker : He said that he knew the amount only in on case and that was disclosed ; he did not know about all.

The Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen): The figures of total amount involved are with me. This is Rs. 70,404 and 75 paise.

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Are the articles sold from the stores of Khadi and Village Industries priced lower than the market rates; if so, what is the portion of loss which the Government pays and who meets the balance.

श्री अ० कु० सेन : यह एक पृथक प्रश्न है ।

Shri Kashi Ram Gupta: Will the Hon. Minister be pleased to state whether it is a fact that a representative of the institutions in Rajasthan, to whom payment is made direct by the Khadi Commission, is a member of the Khadi Board ? How many representations have been received by the Government asking for an enquiry into the allegations made against that member in connection with the amount given by the Khadi Commission to Rajasthan and what action has been taken thereon. ?

श्री जगन्नाथ राव : मुझे पूर्व सूचना चाहिये मेरे लिये अभी इसका उत्तर देना कठिन है ।

Shri Yashpal Singh: Is it a fact that the Auditor General has submitted a report against those boards ? If so, what is the number of such boards and what action has taken by the Government in this regard ?

श्री जगन्नाथ राव : लोक लेखा समिति ने अपने नये प्रतिवेदन में जो सुझाव दिये थे वे क्रियान्वित कर दिये गये हैं और सुधार हुआ है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह समझा जा सकता है कि इन गांधीवादी संस्थाओं में भी जो भ्रष्टाचार घुस गया है वह हमारे सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार के व्यापक दूषित वातावरण का ही प्रत्यक्ष परिणाम है और यह कि समस्त गांधीवादी विचारों एवं सिद्धान्तों का यदि परित्याग नहीं किया जा रहा है तो उन्हें ताक में उठा कर अवश्य रखा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । एक अनुपूरक प्रश्न इस ढंग में नहीं पूछा जाना चाहिये वह जो जानकारी लेना चाहते हैं उसके बारे में पूछ सकते ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को यह समाचार प्राप्त हुए हैं कि इन खादी तथा ग्रामोद्योग भण्डारों, इन गांधीवादी संस्थाओं, में से कुछ में जो ऐसे भ्रष्टाचार की बातों का पता लगा है वह सभी राज्यों के ऐसे भण्डारों में व्याप्त हैं ?

श्री अ० कु० सेन : सभी के लिये ऐसी बात के बारे में सहमत होना कठिन है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या उन्हें तथ्यों की जानकारी है, क्या उन्हें ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं ? अभी कल परसों जब मैं मैसूर में था तो मुझे बताया गया था कि वहां पर भी ऐसा ही है ।

श्री रंगा : समस्त भारतवर्ष में ही यह बात है ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रत्येक स्थान पर ऐसा ही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गांधीवादी सिद्धान्तों को ताक में उठ कर रख दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

श्री रंगा : क्या किसी सुविधाजनक समय पर सरकार हमें एक ऐसा प्रतिवेदन दे सकती है इसमें राज्यों तथा केन्द्र दोनों ही की लोक लेखा समितियों तथा आक्कलन समितियों द्वारा दिये

गये सुझावों के उद्धरण दिये गये हों और उन पर सरकार तथा आयोग द्वारा की गयी कार्यवाही बतायी गयी हो तथा यह भी बताया गया हो कि राज्य आयोगों के प्रमुखों को इन बातों को रोकने के लिये कि वे जिसे चाहे उसे नियुक्त न कर सकें, अपनी मनचाही कार्यवाही न कर सकें तथा मनचाहे अनुसार धनराशियों का वितरण न कर सकें, जैसा कि वे अब तक करते रहे हैं, आयोग का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री अ० कु० सेन : उन सब सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को लोगों में फैली हुई इस व्यापक धारणा का ज्ञान है कि सम्पूर्ण खादी तथा ग्रामोद्योग संगठन असमर्थ तथा कुव्यवस्थित जीवन वाले कांग्रेसी राजनीतिज्ञों के एक आश्रय स्थल के रूप में परिणत हो गया है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री अ० कु० सेन : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जहां तक हमें मालूम है ऐसी कोई आम धारणा नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : इस ओर के सदस्यों की यह धारणा है ।

श्री अ० कु० सेन : उस ओर के लोगों की धारणा के बारे में मेरी अपेक्षा माननीय सदस्य अधिक जानते हैं ।

श्री कपूर सिंह : क्या वह इस बात के लिये बिलकुल ही मना करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि ऐसी कोई आम धारणा नहीं है ।

Shri Brij Behari Mehrotra : Is it a fact that the employees working in these khadi and village industries stores have to work continuously for eight to nine hours a day ?

Shri A. K. Sen : This does not relate to the original question.

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, मेरे प्रश्न को इस प्रकार नहीं उठाया जाना चाहये । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में घूम रहा है । मुझे आशा है कि आप मंत्री महोदय से मेरे प्रश्न का उत्तर सीधे ढंग से देखने के लिये कहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है ।

श्री अ० कु० सेन : मैंने यह कहा था कि उस ओर बैठने वाले सदस्यों की धारणा के बारे में माननीय सदस्य मेरी अपेक्षा अधिक जानते हैं । मैंने तो उन्हें ही अधिक महत्व दिया है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह बात इस मंत्रालय के ध्यान में लाई गई है कि इन खादी तथा ग्रामोद्योग भण्डारों में सभी में सभी अच्छे कपड़े को क्षतिग्रस्त कपड़े के रूप में माना जा रहा है और उसका कम वजन किया जाता है तथा कम मूल्य पर वह बेचा जा रहा है और यदि हां, तो क्या इस मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो छोटी छोटी बातों पर जा रहे हैं ।

Shri Sheo Narain : May I know whether giving of aid to those Khadi Boards will be stopped against which there are complaints of misappropriation ?

Shri A.K. Sen : It will not be proper to stop the aid, but whenever there will be any complaint of misapprorpation, necessary steps against it would be taken.

श्रीमती सावित्री निगम : खादी बोर्ड ने कितने रुपये का विनियोजन किया है तथा कितना रुपया व्यय किया है ? मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या उस विपुल प राशि को देखते हुए यह गबन अति नगण्य है ..... (अन्तर्बाधा) ? मैं यह भी जानना चाहूंगी कि .....

अध्यक्ष महोदय उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसको मैंने अनुमति नहीं दी है अतः वह आगे और प्रश्न न करें ।

एक माननीय सदस्य : क्या वह कोई प्रश्न पूछ रही है ?

श्री रंगा : इसी भावना के कारण तो भ्रष्टाचार का आधिक्य तथा भ्रष्टाचार में वृद्धि भी हो रही है । वे वस्तुस्थिति को वास्तविकता को क्यों नहीं पहचानते ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा कर्तव्य है जो कि श्री रंगा ने इस समय अपने ऊपर ले लिया है ।

श्री ईम बरुआ : श्रीमन्, वह भ्रष्टाचार को उचित ठहराने का प्रयत्न कर रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस प्रश्न को अनुमति नहीं दी है । फिर उस पर आगे चर्चा क्यों की जा रही है ?

श्री रंगा : भ्रष्टाचार के विरुद्ध माननीय गृहमंत्री ने जो बात कही हैं तथा उसके विरुद्ध लड़ने की कार्यवाही को है उसके बावजूद भी, इस सदन में इस प्रकार का रुख प्रकट करके वह भ्रष्टाचार का पक्षपोषण कर रही प्रतीत होती हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : आचार्य को उपदेश देने का पूर्ण अधिकार है ।

Shri Y.S. Chaudhary: Has the attention of the Government been drawn to the press reports regarding bungling in Khadi institutions of Delhi?

Shri A.K. Sen : There are no such press reports.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How much amount is given by the Centre to the Khadi stores every year and what is the contribution of State Government for the same ?

Shri A.K. Sen : A separate notice may be given for this.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या कुछ भण्डारों की वार्षिक बिक्री दो करोड़ रुपये से अधिक है और यदि हां, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि भण्डार अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो किसी बात का अर्थ निकाल रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि चावल उद्योग तथा अन्य ऐसे ग्रामोद्योगों में बहुत बड़ी बड़ी राशियों का गबन हुआ है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ।

श्री जगन्नाथ राव : पर्याप्त उपाय किये गये हैं ।

केरावेल विमान सेवा

+

*323. श्री यशपाल सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री विशनचन्द्र से :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री घवन :
श्री प्र० के० देव :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान निगम की दिल्ली मद्रास कैरावेल विमान सेवा, जो कि 1 फरवरी, 1964 से प्रारम्भ हुई थी, अलाभप्रद सिद्ध हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि अन्य मार्गों पर इस प्रकार की विमान सेवाओ से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). मैं लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखता हूं।

विवरण

(क) जी, हां। दिल्ली-मद्रास कारवेल सेवा लाभ पर नहीं चल रही है।

(ख) और (ग). यह सेवा मामूली लोड फैक्टर के कारण गैर-किफ़ायती है। लोड में बढ़ोतरी करने के लिए कारपोरेशन पहली अक्टूबर, 1964 से, जबसे जाड़े की अनुसूचियां शुरू की जायेंगी, बंगलौर और दिल्ली के बीच यात्रियों को उतने ही पर किराये मद्रास से होकर यात्रा करने की अनुमति देने क विचार रखता है जितना किराया हैदराबाद से होकर जाने वाले वर्तमान मार्ग का है। बंगलौर–दिल्ली यातायात को मद्रास से होकर ले जाने से दिल्ली हैदराबाद और हैदराबाद/बगलौर सेक्टरों पर भी क्षेत्रीय यातायात में बढ़ोतरी हो सकेगी। वेगमपत्त हवाई अड्डे के, कारवेल वायुयानों के योग्य बनाये जाते ही कारपोरेशन की दिल्ली–मद्रास कारवेल सेवा को हैदरावाद से होकर चलाने की योजनायें हैं।

Shri Yashpal Singh : The statement does not indicate the amount of loss sustained consequent to operation of this service and the steps being taken by the Government to make up that loss.

Shri Kanungo : The loss has not so far been calculated ; it will be done only at the end of the year. Only this much known that there flights are

proving uneconomical and necessary steps are being taken to make up the loss. The result of these steps is to be seen.

Shri Yashpal Singh : Whether the past strike by pilots had also some effect on it ?

Shri Kanungo : Some effect was there, but not much. Loss due to such strikes was resulting previously also.

श्री पें० वेंकट सुब्बय्या : विवरण में यह कहा गया है कि कैरावले विमान सेवा मद्रास से दिल्ली तक बराःता हैदराबाद चलाई जायेगी। यह विमान सेवा कब से चालू की जायेगी।

श्री कानूनगो: जब बेगमपेट हवाई अड्डे के अवतरण-पथ का इतना विस्तार हो जायेगा कि उसपर कैरावले विमान उत्तर सकें तभी यह सम्भव हो सकेगा। हमारा अनुमान यह है कि 1965 के मध्य तक कैरवले विमान को हैदराबाद पर उतारना सम्भव हो सकेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the amount of loss sustained so far on operation of the Caravelle service to Madras according to the monthly figures of income and whether, keeping that amount in view, it is proposed to discontinue that service ?

Shri Kanungo : We do not propose to discontinue that service since a newly started air service does not give any profit for some time, say two months to two years.

Shri Prakash Vir Shastri : The first part of the question has not been replied.

Shri Kanungo : Monthly figures are not available with me. Monthly profit and loss are not calculated.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Who is responsible for this loss and what action is being taken by the Government against him ?

Mr. Speaker : It is poor passenger load.

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या इस मार्ग पर विमानसेवा के अलाभप्रद सिद्ध होने के कारणों में से एक यह भी है कि आमतौर कैरावले विमान की उड़ानों को देर हो जाती है ? क्या सरकार इस बात के लिये प्रयत्न करेगी कि विमान सेवा नियमित रहे तथा विमान समय पर चलाये जायें ?

श्री कानूनगो : निगम का यह प्रश्न रहता है कि विमान सेवा ठीक समय पर ही चलाई जाये। मद्रास–बम्बई विमान सेवा इस सम्बन्ध में अलाभप्रद नहीं है। यही तो इसकी विशेष बात है। स्पष्ट है कि मद्रास और दिल्ली के बीच कैरावले विमानों के लिये पर्याप्त यात्री नहीं मिलते रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : जब यह कैरावले विमान सेवा चालू की गई थी तो यह विचार था कि यह विमान सेवा वायकाउन्ट विमान सेवा से अधिक प्रोत्साहक तथा आकर्षक सिद्ध होगी। क्या इस कैरावले विमान सेवा की स्थिति सुधारने पर यात्रियों को किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन दिया जायेगा ?

श्री कानूनगो : यात्रियों को प्रोत्साहन ?

श्री स० मो० बनर्जी : सुविधाओं के रूप में।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं ?

श्री कानूनगो : इस समय भी हमारे भाड़े की दरें संसार में सबसे कम हैं।

Shri M. L. Dwivedi: In the statement it is said that Delhi-Madras Caravelle service *via* Hyderabad will be operated as soon as the Begampet airfield is developed to lake on Caravelles. May I know the steps taken by the Government to develop the Begampet airfield and the time by when it will be completed ?

Shri Kanungo: I have already replied that it would be completed by the middle of 1965.

श्री मणियंगाडन : क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि क्योंकि मद्रास से और दक्षिण की ओर जाने के लिये कोई विमान सेवा नहीं है अतः त्रिवेन्द्रम अथवा कोचीन को जाने वाले यात्रियों को बम्बई के मार्ग से होकर जाना पड़ता है और यह भी हानि का एक कारण है ? क्या इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कानूनगो : वास्तव में, परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण प्रत्येक स्थान को विमान मार्ग से नहीं जोड़ा जा सकता ; परन्तु अन्दर से या बाहर से किसी भी एक प्रकार से वह विमान मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि इस कैरेवेल विमान सेवा को 3,000/- रुपये से लेकर 4000/- रुपये तक प्रतिदिन की औसतन हानि हुई है ?

श्री रंगा : प्रत्येक सीट के लिये अथवा किस प्रकार ?

श्री हेम बरुआ : क्या वाणिज्यिक विमानचालक संघ का यह कथन सत्य है कि अलाभ-प्रद मार्गों पर विमान सेवा चालू करने के कारण हानि उठानी पड़ती है ?

श्री कानूनगो : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : कुछ विमान चालकों ने यह कहा था कि जो हानि.....

श्री हेम बरुआ : इससे पहले मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को समाचारपत्रों में प्रकाशित उस समाचार की जानकारी है जिसमें दृढ़तापूर्वक यह कहा गया है कि.....

अध्यक्ष महोदय : मैं यही बात कह रहा हूं। समाचार में यह दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि इस विमान सेवा के संचालन से 3000/- से 4000/- रुपये प्रतिदिन की हानि होती है। क्या मैंने ठीक कहा है ?

श्री हेम बरुआ : जी, हां, परन्तु प्रश्न का दूसरा भाग भी है।

श्री बूटा सिंह : वह उनकी समझ में नहीं आया।

श्री कानूनगो : मैंने यह कहा है कि यह दिल्ली-मद्रास विमान सेवा के परिचालन में तो हानि हो रही है परन्तु कुल मिलाकर पूरी कैरावेल विमान सेवा में हानि नहीं हो रही है। यह समाचार गलत है कि पूरी कैरावेल विमान सेवा पर हानि हो रही है।

श्री हेम बरुआ : दूसरे भाग का उत्तर क्या है? आपने वाणिज्यिक विमानचालक संघ के वक्तव्य के बारे में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि वह इस कथन को गलत अथवा सही नहीं कह सकते क्योंकि सम्पूर्ण कैरावेल विमान सेवा पर हानि नहीं हो रही है। पृथक पृथक मार्गों की बातें नहीं बताई जा सकती। यह उनका उत्तर है।

श्री सिद्धनंजप्पा : क्या कैरावेल विमान सेवा को बंगलौर तक चलाने का कोई प्रस्ताव है।

श्री कानूनगो : इस समय नहीं।

श्री बसुमतारी : क्या इन मार्गों पर विमान संचालन में हानि होने का एक कारण यह है कि अधिकारीगण रिक्त सीटों के होते हुए भी निर्दिष्ट समय वाली सीटों के लिये मना कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह यह कहते हैं कि उन्हें तो पर्याप्त यात्री ही नहीं मिलते।

श्री बसुमतारी : यात्री तो मिलते हैं परन्तु वे यह कह कर उन्हें नहीं लेते कि सीटें पहिले ही भर चुकी हैं।

श्री शिवजीराव सं० देशमुख : क्या इस कैरावेल विमान सेवा के अलाभप्रद मार्गों पर हानि इस कारण होती है कि उड़ानों का ठीक कार्यक्रम तैयार न किये जाने के कारण विमान तथा विमानों के इंजनों का अधिक उपयोग किया जाता है?

श्री कानूनगो : यह बात सही नहीं है।

अमरीका को चीनी का निर्यात

\+

*324. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून 1964 में एक भारतीय चीनी मिशन अमरीकी सरकार को इस बात के लिये राजी करने के लिए कि आगामी वर्ष में वह भारत से और अधिक चीनी खरीदे, अमरीका गया था; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). हाउस आफ़ रिप्रजेन्टेटिव की कृषि समिति द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाइयों में भारत को अधिक निर्यात कोटा देने का मामला प्रस्तुत करने की व्यवस्था करने के लिए एक शिष्ट-मंडल जन, 1964 में अमेरिका गया था। तथापि, सुनवाइयां स्थगित कर दी गई हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या अमरीका को चीनी का निर्यात करने के लिये हमारी उत्सुकता देश में फालतू चीनी होने के कारण है अथवा किसी भी प्रकार से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की हमारी तीव्र इच्छा के कारण ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): जब चीनी का निर्यात प्रारम्भ किया गया था तो हमारे पास कुछ फालतू चीनी थी और फिर इस पदार्थ में निर्यात व्यापार का बनाना भी आवश्यक है। इसलिये, जितना अधिक निर्यात सम्भव है हम कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि 1961 से लेकर अमेरिका द्वारा भारतीय चीनी का आयात निरन्तर कम होता चला गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उन्हें अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। 1961–62 में उन्होंने आयात की तदर्थ मात्रा 2,75,000 शार्ट टन निर्धारित की थी। बाद में मात्रा का तदर्थ निर्धारण नहीं किया गया ; केवल कोटा नियत किया गया। यही कारण है कि 1961–62 की तुलना में इसके आयात में कमी आ गई। वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही तो चीनी लेंगे।

श्री रामेश्वर टांटिया : जो चीनी हम निर्यात करते हैं उसका प्रति मन मूल्य लगभग कितना होता है और क्या यह सच है कि देश में चीनी की बहुत भारी कमी है और क्या उस समय तक चीनी के हमारे निर्यात को बढ़ाना उचित होगा जब तक कि हम अपने उत्पादन को न बढ़ा लें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि इस समय चीनी के विक्रय मूल्य के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। वह बाजार भाव के अनुसार भिन्न भिन्न हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : यह किस प्रकार सम्भव है कि मंत्री महोदय निर्यात मूल्य को न जानते हों ? जब इसका निर्यात किया जा रहा है तो निर्यात-पूर्व ही कुछ मूल्य निर्धारित किया जाता होगा। इस प्रकार का उत्तर देना माननीय मंत्री के लिये उचित नहीं है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि इस समय मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मेरा यह कहना है कि हमें इस वस्तु के निर्यात व्यापार का निर्माण करना है। यही कारण है कि कुछ कमी के होते हुए भी हम इसकी कुछ मात्रा का निर्यात कर रहे हैं, जैसा कि अन्य वस्तुओं के मामले में भी है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या ऐसे व्यापार करार सरकारी स्तर पर किये जाते हैं अथवा सरकार किसी दूसरी सरकार की समितियों के समक्ष सुनवाई के लिये किन्हीं गैर-सरकारी दलों को भेजती है ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : बातचीत के लिये हमने भारतीय चीनी मिल संघ के लोगों को भेजा था ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : जो कच्ची चीनी निर्यात की जाती है उसका कितना भाग सहकारी चीनी कारखानों के लिये रक्षित किया जाता है ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या हमारी चीनी उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि हुई है और क्या हमारे वर्तमान उत्पादन से देश की आन्तरिक आवश्यकताओं और विदेशों को चीनी के निर्यात के वायदों को पूरा किया जा सकता है ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है गुड़ और चीनी के बीच प्रति-स्पर्द्धा चल रही है और इसलिये गत दो वर्षों में गुड़ के मुकाबले में चीनी के उत्पादन में कमी हुई है । परन्तु हमें आशा है कि आगामी मौसम में, गन्ने की अच्छी फसल की सम्भावनाओं को देखते हुए, चीनी के कारखानों में भी अधिक उत्पादन करना सम्भव हो सकेगा ।

श्री अ० प्र० जैन : इस बात को देखते हुए कि चालू वर्ष के प्रारम्भ में पांच लाख टन का कोटा निर्धारित किया गया था और फिर बाद में चीनी की कमी के कारण घटाकर वह बहुत कम कर दिया गया, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे कि माननीय मंत्री को आगामी वर्ष के लिये निर्यात को बढ़ाने की सम्भावनाओं की खोज करने की प्रेरणा मिली ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : प्रश्न केवल निर्यात को बढ़ाने का ही नहीं है । प्रश्न तो यह है कि जो हम निर्यात कर रहे हैं उसे जारी रखा जाये । उस प्रयोजन के लिये भी हमें कुछ कार्य तो करना ही होगा और जितना हम अधिक उत्पादन कर सकेंगे उसी के अनुपात में हमारा कुछ कोटा भी होना चाहिये ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : एक बात का स्पष्टीकरण किया जाये । माननीय मंत्री ने यह कहा है कि उनके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । क्या हम यह समझ लें कि सहकारी चीनी कारखानों के लिये निर्यात का कुछ भाग रक्षित किया जायेगा ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : मुझे ऐसी आशा है । कुछ भाग रक्षित करने के बारे में मेरे पास सही जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

Shri Yogendra Jha : Is it a fact that in the past month of August sugar was exported at the rate of seven and a half annas per kilo ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : 1962 में यह कम मूल्य पर निर्यात की जा रही थी । गत मौसम में वास्तव में वह काफी अच्छे मूल्य पर निर्यात की गई थी और निर्यात में हानि न्यूनतम थी ।

Shri Yashpal Singh : There was shortage of sugar in the country but Government have exported sugar with a view to earn foreign exchange. May I know the amount of foreign exchange earned out of its export ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : 1964 में अमेरिका को कुल 1,16,521 शार्ट टन चीनी का निर्यात किया गया है। जैसा कि मैं पहिले भी बता चुका हूं, चीनी के मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी यहां मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री योगेन्द्र झा एक अनुपूरक प्रश्न में जानना चाहते थे कि अगस्त, 1964 में कितनी चीनी भेजी गई थी।

Shri Yogendra Jha : Is it a fact that in August, 1964, sugar was exported at the rate of 7 1/2 annas per kilo ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे पास इस समय मूल्य संबंधी जानकारी नहीं है। परन्तु, यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं तो मैं आंकड़े दे सकता हूं।

Shri Bagri : Mr. Speaker, Sir, will the hon. Minister reply to every question like this, that he does not have the information.

Shri Yogendra Jha : The hon. Minister should give an assurance to the House that he will give all this information to the House (Interruptions).

Mr. Speaker : Order, order, the hon. Members must keep this in mind that if at a particular moment the Minister does not have some information, he may be permitted to give it later on. I would ask the hon. Minister to give these figures later on.

Shri Bagri : It is a well known thing that one of the biggest trades of the country is that offood stuffs. It is a matter of surprise that the Minister does not know the price. Even a man having a little knowledge of the market is not ignorant about it.

Mr. Speaker : Order, order.

Shri Vishram Prasad : May I know the extent of increase in trade that is likely to be effected by sending this mission as compared to the volume of trade in 1961-62 and 1962-63 and the rate on which the sugar was exported, and the expenditure incurred on this mission ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन दौरों पर किया गया खर्च आमदनी की अपेक्षा कहीं कम है।

Shri Vishram Prasad : I want to know the actual expenditure incurred.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कुछ आंकड़े जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री कृपया इन आंकड़ों को प्राप्त करने और सभा पटल पर एक विवरण रखने का कष्ट करें जिसमें ये सब जानकारी दी हुई हैं : अगस्त, 1964 में कितनी मात्रा का निर्यात किया गया, उसका क्या मूल्य था, और अगले वर्ष में कितनी मात्रा निर्यात करने का विचार है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : और यह भी कि सहकारी समितियों के लिये कितनी मात्रा रक्षित की गई है।

अध्यक्ष महोदय : हां इसे भी सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरण में शामिल कर लिया जाये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां; मैं ऐसा करूंगा।

Shri K.N. Tiwari: May I know the quality of sugar, committed for export to U.S.A., the quantity actually exported as also whether sugar was exported to U.S.A. only or to any other country also ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम चीनी का निर्यात न केवल अमरीका को ही अपितु कैनेडा, इंगलैंड, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियटनाम, हांगकांग जैसे विभिन्न अन्य देशों को भी कर रहे हैं ।

Shri K.N. Tiwari: What quantity was committed and how much exported ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : 1964 में 31 अगस्त, 1964 तक हमने 2,17,277 टन चीनी निर्यात की ।

एक माननीय सदस्य : कितनी मात्रा मांगी गई थी और वास्तव में कितनी भेजी गई थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : दूसरे देशों के साथ वायदे का प्रश्न नहीं है । दूसरे देशों को चीनी के बारे में हम पेशकश करते हैं और यदि वे उन्हें मंजूर कर लें तो उसके आधार पर चीनी भेजी जाती है ।

श्री कृ० चं० पन्त : इस भारतीय चीनी संबंधी मिशन को भेजने से पहले क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया था कि आने वाली फसल में कितनी फालतू मात्रा उपलब्ध होगी और क्या निर्यात के लिये कोई निश्चित लक्ष्य रखा गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि निर्यात के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है । सर्वप्रथम हम यह देखना चाहते हैं कि अमरीका कितनी मात्रा लेने के लिये तैयार होगा क्योंकि वहां से हमें ऊंचा मूल्य मिलता है । जहां तक अमरीका का संबंध है, हम उस मात्रा तक अन्य देशों को निर्यात की मात्रा में कमी कर सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : अनुपूरक प्रश्न पर आपके निदेश के अनुसार माननीय मंत्री वे आंकड़े कब देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसके लिये 2 या 3 दिन ले सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : सत्र अगले सप्ताह समाप्त हो रहा है । इसलिये मैं यह जानना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अगले 2 या 3 दिन तक वह इसे सभा पटल पर रख सकेंगे ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां ।

प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देना

*325. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने की योजना में फेर-बदल का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो योजना कब लागू की जायेगी तथा उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). सभा मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) चुने हुए ग्राम सहायकों (प्रगतिशील किसानों) को प्रशिक्षण देने की इस मंत्रालय द्वारा शुरू की हुई योजना में फेर-बदल करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी ग्राम सहायकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना में जो सामुदायिक विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं, मामूली फेर-बदल किया गया है।

(ख) सभी राज्य सरकारों से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है कि वे निम्नलिखित तरीकों से ग्राम सहायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधन करें :—

(1) भविष्य में जो ग्राम-सहायक कैम्प आयोजित किये जायेंगे उनमें ज्यादा से ज्यादा युवा किसानों और विलेज वालन्टीयर फोर्स के सक्रिय सदस्यों को शामिल किया जायेगा। ये कैम्प युवकों के कार्य और कृषि उत्पादन कार्यक्रम की ओर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

(2) इन कैम्पों की अवधि तीन दिन से बढ़ा कर पांच दिन कर दी गई है।

(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले और विशेषकर युवा किसानों व कार्यकर्त्ताओं को उच्च प्रशिक्षण के लिए अधिक सघन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 12 दिन के यूथ लीडर्स कैम्पों, तथा चुने हुए ग्राम सहायकों के लिए खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रारम्भ किये हुए 15 दिन के विशिष्ठ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

यह संशोधित योजना शीघ्र ही क्रियान्वित की जाने वाली है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश के प्रगतिशील किसानों द्वारा की गई प्रति एकड़ पैदावार अथवा उत्पादन किसी भी अन्य देश के किसान द्वारा किये गये उत्पादन का अच्छी तरह मुकाबला कर सकती है, सरकार कुछ प्रगतिशील किसानों को अन्य देशों, विशेषतः जापान को भेजने का कार्यक्रम क्यों नहीं तैयार कर सकी, जहां कि वे खेती के तरीकों का अध्ययन कर सकते और उनके आने पर उन्हें लाभपूर्वक अपने देश में लागू किया जा सकता ?

श्री शाहनवाज खां : सरकार अपने स्तर पर, सभी विभिन्न देशों में कृषि के सुधरे हुए सभी तरीकों का अध्ययन करती है, और अपने विशेषज्ञों द्वारा वह इस जानकारी को किसानों को देती है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : प्रगतिशील किसानों को ग्राम सहायकों के साथ मिलाया जा रहा है, क्योंकि उनसे कहा जाता है कि वे ग्रामसहायकों के लिये चलाये जा रहे शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त करें। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि ये शिविर कृषि संबंधी आवश्यक ज्ञान नहीं दे सकेंगे, क्या सरकार देश में प्रगतिशील किसानों को दीर्घकालीन प्रशिक्षण देने की अपनी पुरानी नीति को पुनः लाना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रशिक्षण कई प्रकार के हैं । एक तो अल्पकालीन पाठ्यक्रम है जिसमें कुछ विशिष्ट कार्यक्रम हैं । छोटी आयु के व्यक्तियों के लिये एक लम्बा पाठ्यक्रम है जिससे कि वे 5 या 6 महीने वहां रह कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु यह तो एक अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है ।

Shri M. L. Dwivedy: From the statement laid on the Table of the House it appears that the Food and Agriculture Ministry does not want to amend its own plan, but wants to amend the plan of Community Development Department. Are both these plans in progress and, if so, what right this Ministry has got to amend the plan of Community Development Department ? What improvement has been made in the plan of this Ministry and what progress it has made ?

Shri Shahnawaz Khan : Previously these schemes were under the Community Development Department, but recently it has been decided that all these schemes should cater more to the needs of agriculture. Therefore, the scheme has been amended to that extent.

Mr. Speaker : Are the plans of community Development Department and those of Ministry of Agriculture run at one and the same place ?

Shri Shahnawaz Khan : They are being run at the same place.

Shri M. L. Dwivedi : At which place ?

Shri Shahnawaz Khan : In blocks etc.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस प्रकार की कोई योजना बनाई गई है कि जिससे पिछड़े वर्ग के किसान प्रगतिशील किसानों के अनुभव से फायदा उठा सकें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यही आशय है । ये किसान गांव में अन्य किसानों को जानकारी देंगे ।

डा० सरोजिनी महिषी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश के कुछ भागों में प्रगतिशील किसानों को डेनमार्क के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या सरकार अन्य देशों के सहयोग से इस प्रकार के प्रशिक्षण का विस्तार समस्त देश में करना चाहती है ?

श्री शाहनवाज खां : प्रगतिशील किसानों को अधिकांश प्रशिक्षण अमरीकी विशेषज्ञों के सहयोग से दिया जा रहा है । डेरी और इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम दूसरे देशों के सहयोग से चलाये जा सकते हैं, परन्तु कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण केवल अमरीकी और कुछ रूसी विशेषज्ञों के सहयोग से ही दिया जा रहा है ।

Shri Bade : Is it a fact that out of the exports who have returned from Japan after receiving training in Japanese method of cultivation, one has been made professor of some Agricultural College and another an M.P. and this method of paddy cultivation is not made use of and the farmers are not being trained in this method ?

Shri Shahnawaz Khan : This is not correct. The Japanese method of cultivation is being spread all over the country.

Shri Y.S. Chaudhary : In what proportion the expenditure will be borne by the centre and the States in respect of the opening of training centres for the progressive farmers and how they will Coordinate ?

Shri Shahnawaz Khan : About fifty fifty.

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that all the prize winners are those who have received no technical training but practical training ? Deputy Minister is also one of those prize winners. The progressive farmers are progressing by their own effort, then why they are being imparted training ?

Shri Shahnawaz Khan : We want the progressive farmers to make further progress.

श्री प्र० के० देव : भारत सेवक समाज कुछ किसानों को अग्रेतर प्रशिक्षण के लिये अमरीका भेज रही है । क्या ऐसा इस योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है ? इसके लिये विदेशी मुद्रा किस आधार पर दी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध देश के भीतर प्रशिक्षण दिये जाने से था ।

श्री प्र० के० देव : कुछ किसानों को विदेश भेजा जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी दूसरे प्रश्न की सूचना देकर प्राप्त की जा सकती है, इसके अन्तर्गत नहीं ।

श्री प्र० के० देव : मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते थे । वह कुछ बता सकते हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : परन्तु अध्यक्ष महोदय तो इस के लिये आज्ञा दें ।

श्री कृ० चं० पन्त : क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि जिसके अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाये, यदि हां, तो इस योजना में विश्वविद्यालयों का क्या भाग होगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, विश्वविद्यालयों से लाभ उठाने का हमारा कार्यक्रम है । वे प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक सप्ताह और दो सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित करती हैं ।

खाद्य तेलों का मूल्य

\+

*326. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री अ० व० राघवन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गत दो महीनों में खाद्य तेलों तथा दालों के बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): खाद्य तेलों के बढ़ते हुए मूल्यों को काबू में करने के लिये भारत सरकार ने जून, 1964 में खाद्य तिलहनों और तेलों के वायदा व्यापार पर और उनके निर्यात पर रोक लगाई, ऋण देने की सुविधाओं में सख्ती की और सोयाबीन तेल और सीमित मात्रा में सरसों के बीज के आयात की अनुमति दी । 1964–65 की मूंगफली की फसल के अच्छे भविष्य को देखते हुए वायदा व्यापार को हाल ही में फिर आरम्भ करने की अनुमति दे दी गई है ।

भारत रक्षा कानून के अधीन कुछ राज्य सरकारों ने खाद्य तेलों और तिलहनों को अपने प्रदेशों से बाहर भेजना कम कर दिया है या बन्द कर दिया है ।

जहां तक दालों का सम्बन्ध है, ऋण की सुविधाओं में सख्ती कर दी गई है और कुछ राज्यों में थोक व्यापारियों को लाइसैन्स दे दिए गए हैं, लाभ की सीमा निर्धारित कर दी गई है और मूल्यों का प्रदर्शन करने के लिये कहा गया है ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहना कहां तक सच है कि विनियंत्रण के बाद वनस्पति निर्माता संस्था ने वनस्पति के मूल्य चार गुना बढ़ा दिये हैं जब कि यह संस्था पहल स्वयं ही मूल्य निर्धारित किया करती थी और यह कहना कहां तक सच है कि खाद्य तेलों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के लिये सरकार ही पूर्ण रूप से ज़िम्मेवार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : वनस्पति का मूल्य मूंगफली के तेल के मूल्य पर आधारित है, और नियंत्रण भी स्वयं संस्था द्वारा ही किया गया था और वनस्पति के मूल्य मूंगफली के तेल के मूल्य पर निर्धारित किये जाते थे, परन्तु इसके लिये उस संस्था को सरकार की अनुमति लेनी थी। इसे विनियंत्रण इस हद तक ही कहा जा सकता है कि वह संस्था सरकार से लिखा पढ़ी किये बिना ही मूल्य निर्धारित कर सकती थी । यह सच है कि उन्होंने एक मास में चार गुना मूल्य बढ़ा दिये हैं। परन्तु उनका कहना यह है कि यह वृद्धि मूंगफली के तेल के मूल्य में वृद्धि के आधार पर की गई है जिस से कि वनस्पति बनाया जाता है ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहां तक सच है कि वनस्पति के इन एकाधिकारियों ने मूल्य बढ़ाने के लिये 125 लाख रुपये की कीमत का मूंगफली का तेल खरीदा, और उन्होंने जान बूझ कर मूल्य बढ़ाया है, और इसलिये मूंगफली पर फिर से नियंत्रण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने इन आरोपों के बारे में सुना है कि उन्होंने स्टाक इकट्ठे किये हैं, और उन्होंने बढ़े हुए मूल्य दिखाये हैं । इसकी जांच की गई थी । वनस्पति के निर्माताओं ने अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा नहीं खरीदी है । परन्तु ऐसा हो सकता है कि उन सम्बन्धित कुछ अन्य सहायक संस्थायें हों जिन्होंने मूंगफली का तेल खरीदा हो, परन्तु मेरे पास इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या श्रीमती सावित्री निगम के मन में अनेक सुझाव हैं जो उन्होंने शिमला में दिये थे और जिला मजिस्ट्रेट ने वहां पर उनकी प्रशंसा की थी । उनका विचार है कि वह मूल्यों को नीचे ला सकती हैं । माननीय मंत्री उनको ध्यानपूर्वक सुनें और उन सब प्रस्तावों पर विचार करें ..... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने उनके सुझाव ध्यानपूर्वक सुन लिये हैं ।

Shri M. L. Dwivedi : Is the Minister aware that apart from vanaspati oil, there is steep increase in the prices of other edible oils and consequently adulteration is also on the increase ? Not only that adulteration is also on the increase in pulses and all these things are leading to increased cases of rheumatism. What steps Government are taking to check the adulteration in pulses and bring down the prices ?

Mr. Speaker : Pulses have nothing to do with the edible oils.

Shri M. L. Dwivedi : This question also pertains to pulses.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खाद्य तेलों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसका मुख्य कारण गत वर्ष पैदावार में कमी का होना है । जहां तक अपमिश्रण का सम्बन्ध है यह बात सरकार की जानकारी में है कि कुछ मिलावट की गई है, विशेषकर सरसों के बीजों में । मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य विभाग पर्याप्त कार्यवाही कर रहा है ।

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री ने बताया कि तेल के बीजों के मूल्यों को कम करने के लिये उनका आयात किया जाय । क्या सरसों के मामले में हम आत्म-निर्भर हैं जिस कारण इनका आयात नहीं किया गया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सरसों की कमी इसलिये है चूंकि इसका उत्पादन कम हुआ है । अन्य देशों में सरसों के तेल का उत्पादन खाने के लिये नहीं होता अपितु अन्य कार्यों के लिये होता है । संसार में इसका उत्पादन भी कम होता है । उसका प्रयोग विशेषकर बंगाल में और कुछ अन्य क्षेत्रों में होता है ।

Shri Vishwa Nath Pandey : Which of the State Governments have banned the export of edible oils ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने सभी प्रकार के खाद्य तेलों का निर्यात समाप्त कर दिया है ।

Shri Vishwa Nath Pandey : I wanted to know which of the State Governments had banned the export of edible oils ?

श्री शाहनवाज खां : उत्तर प्रदेश और गुजरात ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या जमाखोरी के विरुद्ध कड़े कानून बनाने के लिये राज्य सरकारों को कोई निदेश दिया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : हर एक राज्य जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम है और हम समझते हैं कि वर्तमान विधान इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त हैं ।

श्री रंगा : वनस्पति के मूल्य चूंकि चार गुना बढ़ गये हैं इसलिये क्या सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वनस्पति निर्माताओं द्वारा उत्पादकों को इतने अधिक मूल्य दिये जाते हैं ? यदि ऐसी नहीं है तो इस प्रयोजनार्थ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं ने यह नहीं कहा था कि मूल्य चार गुना बढ़ गये हैं । मैंने यह कहा था कि चार बार मूल्य बढ़ाये गये हैं । परन्तु मूंगफली के तेल के मूल्य इन मूल्यों के अनुपात

में हैं इस दृष्टि से बनस्पति निर्माताओं द्वारा निर्धारित मूल्य उचित हैं परन्तु यह मैं नहीं कह सकता कि इन बढ़े हुए मल्यों का लाभ उत्पादक को मिलता है या व्यापारियों को ।

श्री रंगा : मूल्यों का स्तर उचित हो इस प्रयोजनार्थ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : सोयाबीन तेल का आयात मूल्यों को कम करने के उद्देश्य से ही किया गया है । इसके अतिरिक्त अगली फसल भी अक्तूबर मास में आ रही है और सौभाग्यवश मूंगफली आदि के बीजों की फसल अच्छी होगी । इसका मूल्यों पर असर पड़ेगा ।

Shri Bagri : The increase in the prices of pulses is having its effect on grains also and the demand of seeds is not being met in Punjab and Rajasthan. It has affected even the sowing. Has the Government taken note of the fact that next crop will be affected due to scarcity of grains for sowing purposes ?What do the Government propose to do in the matter ?

Shri Shahnawaz Khan : The Government have collected information regarding the requirements of seeds from various State Governments. We are trying to meet their demands from one source or the other.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या सरकार का ध्यान भारत सरकार के विधान मंत्रणाकार की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि एक ही वर्ष में मौसम के आरम्भ में और आखिर में मूंगफली के बीजों के मूल्य में 400 से 700 प्रतिशत तक अन्तर होता है ? यदि हां, तो स्थिति के निवारण के लिये सरकार क्या करेगी ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि 400 प्रतिशत का अन्तर होता है । जनवरी 1964 में तेल के बीजों का सूचनांक 153.6 था ; अगस्त में यह 208.3 हो गया । यह अन्तर भी अधिक है और उसे दूर करने के लिये सरकार कुछ कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है ।

Food Situation

*327. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of truth in the statement made by Dr. P.V. Sukhatme, Director of Statistical Department, F.A.O. that Indians numbering equal to one tenth of world population are in the grip of starvation as reported in the 'Hindustan Times' dated the 10th July, 1964 ; and

(b) the reaction of Government thereto ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) डा० सुब्रह्मण्यम ने यह कहा था कि संसार में दस व्यक्तियों में से चार व्यक्ति भूखे हैं और उन चार में से एक भारतीय है । डा० सुब्रह्मण्यम के अनुसार भूखे होने का मतलब अल्प-पोषित होना और कुपोषित होना है । डा० सुब्रह्मण्यम के आंकड़े अन्तर्राष्ट्रीय पोषाहार स्तरों पर आधारित हैं जो भारतीय स्तर से काफी अच्छे हैं । जनता को खाद्यान्न और संतुलित खाद्य वस्तुयें उपलब्ध करने के लिये सरकार खाद्यान्न के उत्पादन के लिये हर संभव प्रयत्न कर रही है ।

Shri M. L. Dwivedi : Is it a fact that in various States, like U.P., Andhra Pradesh, Bihar, etc., people are subsisting on plants due to scarcity of foodgrains and the Government has either reduced or stopped the supply of food to these areas which has resulted in starvation ? How is it that foodgrains are not supplied to such areas in spite of Government's decision in regard thereto ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इन बातों का प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the reaction of the Government in regard to Dr. Sukhatme's Report. I also want to know the steps being taken by Government to ensure that ample food as well as nutritious, food is supplied to the children and aged people of the country.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उत्पादन बढ़ाने के लिये हर तरह से प्रयास किये जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त आयात कार्यक्रम भी है हमारा **(अन्तर्बाधा)**

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the steps being taken by Government to provide nutritious food to the people.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस प्रयोजनार्थ हम दूध, सब्जियां, मछली, मांस आदि के उत्पादन में वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : बच्चों के लिये पौष्टिक आहार का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है और पोषक आहार की आवश्यकता की दृष्टि से 'भूख से विमुक्ति' कार्यक्रम को किस तरह विस्तृत बनाया जा रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम बच्चों की खूराक का उत्पादन भी कर रहे हैं परन्तु सामान्यतः हमारा उद्देश्य देश के सामान्य स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना है ।

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार ने पौष्टिक और सस्ती खूराक की पैदावार बढ़ाने के लिये क्या योजनायें बनाई हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अधिक दूध का सम्भरण करने और दूध से बच्चों के लिये खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिये हम ने कार्यक्रम बनाया है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या खाद्य तथा कृषि संस्था के सांख्यकी विभाग द्वारा विभिन्न देशों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसके लिये उस विभाग के प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है । हम जानते हैं कि हमारे पास अनाज की और पौष्टिक अनाज की काफी कमी है । हमारे सामने समस्या देश में अनाज के उत्पादन को बढ़ाने की है ताकि हम अधिक मात्रा में और अच्छी किस्म का अनाज लोगों को दे सकें ।

Shri M. L. Dwivedi : F.A.O. is also referred to in the question. But the hon. Minister says that he cannot tell about that.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वह सर्वेक्षण खाद्य तथा कृषि संस्था की ओर से नहीं किया गया था । उन्होंने स्वयं ही सर्वेक्षण करके हमें प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था ।

श्री स० मो० बनर्जी : डा० सुखतमे के कथन में कहां तक सच्चाई है और क्या यह गलत है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और बिहार के उत्तरीय जिलों में भूख से मौतें हुई हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ने पहले भी यह आरोप लगाया था और उन्हों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री ने स्वीकार किया है कि भूख से मौतें हुईं । हम ने इस बात की छान-बीन की । राज्य के खाद्य मंत्री ने इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया और भूख से उत्तर प्रदेश में कोई मौत भी नहीं हुई ।

श्री स० मो०बनर्जी : उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री ने इस खबर को गलत नहीं कहा कि भूख से मौतें हुईं ।

Dr. Ram Manohar Lohia: Government gives figures to prove that there has been improvement whereas I give figures to prove that people get four chattaks each. In view of this has Government decided to give two types of figures : one of cent per cent about 48 crores and the other of 60 per cent about 30 crores ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे डा० लोहिया के आंकड़े देख कर आश्चर्य हुआ था कि 27 करोड़ लोगों को तीन या चार छटांक खुराक प्रति-दिन मिलती है । उस हिसाब से हमारे देश में 100 लाख टन अनाज फालतू होना चाहिये । चूंकि यदि 27 करोड़ लोगों को केवल चार छटांक मिले तो शेष 18 करोड़ लोगों के लिये शेष अनाज का प्रयोग करना कठिन है । यदि 18 करोड़ लोग अधिक से अधिक स्तर पर खाते हों तो भी 100 लाख टन अनाज फालतू होना चाहिए परन्तु हमारे पास अनाज की कमी है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order, Sir. I only wanted to say that Government should also start supplying figures of 60 per cent average so that people have a clear view of the situation.

Mr. Speaker : This is a suggestion only.

Dr. Ram Manohar Lohia : According to an expert of F.A.O. one Indian out of 10 persons in terms of world population remains near starving condition, which means 30 crores want that Government should give figures of the lowest 60 per cent in the country. I am prepared to discuss with them at any time they like. But they are not prepaned for that.

Mr. Speaker : The hon. Member need not get angry.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

Prices of Foodgrains in Delhi

SNQ. 4. Shri Naval Prabhakar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the prices of foodgrains fixed by the dealers of Delhi themselves have crossed their ceiling ;

(b) whether the foodgrains have been gradually disappearing from the market ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां, कुछ चीजों में ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Naval Prabhakar : The Price Resistance Committee set up by Chief Commissioner of Delhi said in a statement that food prices in Delhi increased by 20 per cent in the last month.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वृद्धि हुई है । परन्तु मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि 30% वृद्धि हुई है ।

Shri Naval Prabhakar : That committee also made allegations that actually prices do not increase but some traders show the stock sold in register to purchasers and increase the prices. If so, the action being taken to check this ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मूल्य लागत पर कुछ प्रतिशत के आधार पर निश्चित किये गये थे । परन्तु लागत का किसी को पता नहीं था । अतः यह पाया गया कि इस आधार पर निश्चित किये गये मूल्य ठीक नहीं थे । दिल्ली के व्यापारियों का यह विचार है कि पंजाब से गेहूं के आने पर मूल्य निश्चित करते हैं । क्योंकि वह इसी आधार पर मूल्य निश्चित करते हैं जिस आधार पर उन को मूल्य देने पड़ते हैं । हमें भी मूल्य निश्चित करते समय एक फार्मूला बनाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या फार्मूला बनाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह आरोप लगा रहे हैं कि व्यापारी स्वयं झूठी खरीद फरोख्त कर लेते हैं । एक व्यापारी बन जाता है तथा दूसरा खरीदार तथा दूसरा पुनः तीसरे व्यक्ति को अधिक मूल्य पर माल बेच देता है इस प्रकार मूल्य बढ़ते जाते हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे जानकारी नहीं है । संभव है कि बचने के लिये उन्होंने ऐसा किया हो ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार जानती है कि एक काफी के प्याले के मूल्य को लेकर कनाट प्लेस में बहुत हल्ला गुल्ला हुआ है तथा कुछ राजनीतिज्ञों ने भी इस में भाग लिया । यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि काफी के प्याले के मूल्य न बढ़ें ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने भी इस समाचार को समाचारपत्रों में पढ़ा है तथा मुझे विश्वास है कि दिल्ली प्रशासन इस पर ध्यान देगा ।

श्री दाजी : सरकार जुलाई से यह घोषणा कर रही है कि वह खाद्यान्नों के अधिकतम मूल्य निश्चित करने जा रहे हैं । परन्तु उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है । क्या सरकार का अभी भी एसा करने का विचार है तथा क्या सरकार जानती है कि इस विलम्ब के कारण अब निश्चित किए गए मूल्य इस समय प्रचलित मूल्यों से बहुत कम होंगे ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह मूल्य खरीफ की फसल के निश्चित किये जायेंगे जो 15 अक्तूबर से शुरू होगी । मुझे आशा है कि उससे पहले मैं मूल्य घोषित कर दूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को बताया गया है कि आटा, चावल, दालों तथा मसालों के मूल्य दिल्ली में 10 से 20 प्रतिशत बढ़ गये हैं, यदि हां, तो मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सच है कि मूल्य बढ़ गये हैं तथा बढ़ रहे हैं । मैं यह ठीक नहीं समझता कि मूल्य कम करने का काम व्यापारियों पर छोड़ दिया जाये । इसलिये कुछ अन्य तरीके निकालने पड़ेंगे । इस बारे में जब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं उन की घोषणा नहीं कर सकता ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : व्यापारियों की यह मांग, कि 30 प्रतिशत मुनाफा रखा जाय, पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने 30 प्रतिशत मांग नहीं देखी है ।

Shri Bagri : Whether this price rise is not due to less production and whether Government propose to distribute seed to State Governments for sowing as the price of seed has gone very high; particularly the seed of gram is not available in Punjab ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पंजाब में कतई बीज नहीं है । सच यह है कि हम अन्य राज्यों के लिये पंजाब से बीज ले रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनको यही सन्देह है कि कहीं इसी कारण पंजाब में पर्याप्त बीज न रहे ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार से कोई भी किसान अपनी आवश्यकता के लिये बीज बचाये बिना ही सभी बीज दे दे ।

Shri Bagri : The prices of gram in Hissar is Rs. 35 a maund ?

श्री इकबाल सिंह : पंजाब में गेहूं के मूल्य प्रति क्विंटल 50 से 55 रुपये रहे जबकि उपभोक्ता मूल्य प्रति क्विंटल 70 रुपये रहे । इतने अन्तर के क्या कारण हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : गेहूं के मूल्य किस्म के अनुसार 51 से 58 रुपये रहे । पहली किस्म 51 से 52 रुपये तथा दूसरी किस्म 54 से 56 रुपये, तीसरी किस्म 57 से 58 रुपये । ये मूल्य 10–9–64 को थे ।

बिहार को खाद्यान्न की सप्लाई

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 5.

श्री भागवत झा आजाद :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री चं० ला० चौधरी :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री दि० ना० सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री न० प्र० यादव :
श्री कृ० क० सिंह :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य को आवंटित किया गया खाद्यान्न का कोटा वहां भेजा जाता रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिये मांगी गई मात्रा भेजना स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) गत कुछ महीनों में आवंटित कोटे में से बिहार को कुछ कम सम्भरण किया गया है परन्तु यह कमी शीघ्र ही पूरी कर दी जायेगी ।

(ख) और (ग) उन प्रसिद्ध नगरों के अतिरिक्त जिन में भारत सरकार, केन्द्रीय डिपो से खुदरा व्यापारियों को गेहूं देती है राज्य में वितरण के लिये एक लाख टन का आवंटन करने की बिहार सरकार ने मांग की है । अन्य कमी वाले क्षेत्रों की मांग का तथा केन्द्र द्वारा उपलब्ध की गई सामग्री का ध्यान रखते हुए यह सम्भव नहीं पाया गया कि प्रति माह 50,000 टन से अधिक गेहूं आवंटित किया जाये ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या राज्यों को किया गया आवंटन केवल सितम्बर महीने के लिये है अथवा यह उन दो महीनों के लिये है जो नई फसल आने से पहले के होते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं । हम महीने महीने आवंटन करते हैं । अक्तूबर के शीघ्र ही आवंटन किये जायेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार का यह कहना है कि वायदे के अनुसार कोटा नहीं दिया गया है तथा भविष्य में यह उन को दे दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि यह कोटा अभी दे दिया जायेगा अथवा नई फसल बाज़ार में आने पर दिया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं आशा करता हूं कि अक्तूबर के बाद से स्वीकृत कोटा 50,000 टन दिया जाता रहेगा ।

श्री श्रीनारायण दास : मार्च-जुलाई की अवधि में खाद्यान्नों के सम्भरण में कितनी कमी आई है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जनवरी से अगस्त के महीनों में कमी है । इस अवधि की अभी भी लगभग 40,000 टन बकाया है ।

श्री क० ना० तिवारी : भारी बाढ़ के कारण उत्तर बिहार में अनाज की कमी को देखते हुए क्या बिहार को अतिरिक्त कोटा देना ठीक समझा जा रहा है तथा यदि हां, तो यह कोटा बिहार कब तक पहुंच जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सच यह है कि केन्द्रीय सरकार को एक अभ्यावेदन था कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को कुछ अनाज भेजा जाना चाहिये तथा वहां पर अनाज भेज दिया गया था । भविष्य के बारे में मैं समझता हूं कि बिहार सरकार अपने कोटे में से उत्तर बिहार को अनाज भेज देगी ।

Shri Bade : I think Government is going to abolish zones. May I know when these will be abolished so that the food will reach lower level instead of higher level.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अगली फसल आने तक जोन खत्म करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । गेहूं के बारे में विशेषत: अगले मार्च में ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने वर्तमान तथा भविष्य के बारे में कुछ बताया है । मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान तथा भविष्य के बीच में जो समय रहेगा उसमें क्या जनता केवल आशा पर ही जीवित रहेगी ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : लगातार होते रहने वाला काम है । इसलिये बीच की अवधि का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री हरिश्चन्द्र मायुर : बताया जाता है कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि स्थिति 15 अक्तूबर के बाद सुधर जायेगी । कितना अनाज मिल जाने की आशा है तथा किस सीमा तक स्थिति सुधर जायेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में खरीफ की फसल आ जायेगी । हमें बड़े अच्छे समाचार मिले हैं तथा विशेषत: धान की फसल साधारण से अच्छी है । इसके साथ साथ अक्तूबर में हम 700,000 टन गेहूं का आयात करेंगे । इन सभी बातों पर विचार करने से मालूम होता है कि स्थिति अवश्य सुधर जायेगी ।

प्रश्नों के लिखत उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि उत्पादन

*328. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के स्वरूप तथा आकार के बारे में अन्तिम निश्चय कर लेने के बावजूद भी कृषि के विकास संबंधी प्रस्तावों को कार्य रूप देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि का विकास करने के लिये जो प्रस्ताव इस हेतु निर्मित कार्यकारी दलों ने तैयार किये हैं उन की सरकार ने जांच कर ली है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां । सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आकार तथा माप के विषय में अन्तिम निर्णयों के बिना ही कृषि विकास सम्बन्धी प्रस्तावों पर अग्रिम कार्यवाही करने का निश्चय किया है और राज्य सरकारों से यह भी प्रार्थना की गई है कि वे इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करें ।

(ख) और (ग). चतुर्थ योजना की अवधि में कृषि विकास विषयक "वर्किंग ग्रुपों" ने जो परीक्षात्मक प्रस्ताव तयार किये थे उन पर कृषि विभाग ने विचार करने के पश्चात् योजना आयोग को भेज दिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचार न होने के कारण अभी तक इन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

*329. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विभूति मिश्र :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान विभिन्न क्षेत्रों में हो रही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धीमी प्रगति की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उन्हें कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने संबंधी कोई सुझाव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विकास आयुक्तों और राज्यों के मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलनों में कार्यक्रम की समीक्षा करने के अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कार्यान्विति में हुई प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करने और असफलताओं तथा कमियों से राज्य सरकारों को अवगत कराने की कार्यप्रणाली रही है। जुलाई 1964 में हुए गत वार्षिक सम्मेलन ने निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो रहे काम में सुधार करने के लिए विशिष्ट सिफारिशों की—यथार्थवादी ग्राम कृषि उत्पादन योजनाएं तैयार करना और उनकी कार्यान्विति, अधिक कृषि उत्पादन की प्राप्ति क लिए संस्थागत और विभागीय ताल-मेल, प्रगतिशील किसानों और विभिन्न विस्तार कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को मजबूत करना, कार्यक्रम की अन्तर्वस्तु को मजबूत करने के लिए खण्ड एजन्सी के माध्यम से विभिन्न विकास विभागों की निधि सुलभ करना, पंचायत राज संस्थाओं को समय से वित्तीय उपबन्धों की पूर्व सूचना देना जिससे कि वे यथार्थवादी बजट बना सकें, विस्तार कर्मचारियों के लिए काम करने की उचित परिस्थितियां सुनिश्चित करना और अनुपयुक्त कर्मचारियों की छंनी करना।

कार्यक्रम के 1963–64 के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर मंत्रालय ने अभी-अभी एक पत्र सभी राज्यों को भेजा है, जिसमें उन राज्यों में सामुदायिक विकास के लिए धन की अधिक व्यवस्था करने की आवश्यकता पर विशष बल दिया गया है जिनमें इस कार्यक्रम

को धन की अपर्याप्तता के कारण क्षति पहुंच रही है। मंत्री महोदय ने भी इस बारे में एक पत्र भेजा है।

कम किराये वाली हवाई सेवा

*330. डा० सारादीश राय :
डा० रानेन सेन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० व० राघवन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का कम किराये वाली हवाई सेवा चालू करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

असैनिक उडडयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) कोच क्लास सर्विस चलाने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन्न की कोई तात्कालिक योजनाएं नहीं हैं ।

ईराक को चावल का निर्यात

*331. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री सोलंकी :
श्री महानन्द :
श्री नरसिम्हा रेडडी :
श्री दे० जी० नायक :
श्री कजरोलकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ईराक को 10192 बोरे चावल का निर्यात किया गया ;

(ख) यदि हां, तो यह चावल किस मूल्य पर बेचा गया ; और

(ग) चावल के निर्यात करने का निर्णय किन परिस्थितियों में किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां। बढ़िया बासमती चावल के 11312 बोरे निर्यात किये गये थे।

(ख) भाव बताना वांछेनीय न होगा क्योंकि यह विक्रेता और खरीदार के बीच गोपनीय माना जाता है।

(ग) विदेशों में रहने वाले भारतीयों के प्रयोग के लिये इस बढ़िया किस्म के चावल की कुछ थोड़ी सी मात्रा के निर्यात करने का निर्णय लगभग दो वर्ष पूर्व लिया गया था। निर्यात अब निलंबित कर दिया गया है।

अखिल भारतीय पंचायतीराज सम्मेलन

*332. **श्री हेमराज:** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बंगलौर में अखिल भारतीय पंचायतीराज का एक वार्षिक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या संकल्प पारित किये गये ; और

(ग) सरकार इन संकल्पों पर क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--3202/64]**

बड़े पत्तनों का यंत्रीकरण

*333. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तनों पर खाद्यान्नों के पहुंचने तथा उसकी निकासी संबंधी समस्याओं पर सतत निगरानी रखने के लिये खाद्य तथा कृषि, रेलवे, परिवहन और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय समन्वय समिति बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या बम्बई तथा कलकत्ता पत्तनों की गोदियों में माल के भारी जमाव को कम करने के लिये बड़े पत्तनों के यंत्रीकरण के कार्य में तेजी लाने के लिये कोई निर्णय किया गया है;

(ग) क्या कांडला, विशाखापटनम् और मरमागोआ पत्तनों में माल ढोने वाली मशीन लगाने की व्यवस्था की गई है; और

(घ) गुजरात में पोरबन्दर को आधुनिक पत्तन बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है जिससे उसको सभी मौसमों में प्रयोग में लाया जा सके ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--3203/64]**

कलकत्ता को मछली का संभरण

*334. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :
श्री सरकार मुरमू :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के बाजार में पर्याप्त मात्रा में मछली का संभरण सुनिश्चित करने की कोई योजना स्वीकार की है;

(ख) इस योजना में किन-किन राज्यों ने सहयोग देना स्वीकार कर लिया है;

(ग) इस योजना के अधीन अनुमानतः देश में कितनी मात्रा में मछली का उत्पादन होगा; और

(घ) इस से पूर्व पाकिस्तान से होने वाला मछली का आयात किस सीमा तक अनावश्यक हो जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). कलकत्ता के बाज़ार में मछली का संभरण करने के लिये एक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है । प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । भारत के कई राज्यों अर्थात् उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि जो कि पहले ही कलकत्ता के बाजार में थोड़ी मात्रा में मछली का सम्भरण कर रहे हैं, में अन्तर-स्थलीय मात्स्यकी के सघन विकास की एक योजना पहले ही तैयार कर ली गयी है और अब इस पर विचार हो रहा है ।

(ग) और (घ). इस योजना के अन्तर्गत इसके चालू होने से पांच वर्ष की अवधि में 1,00,000 टन और छटे वर्ष से 40,000 टन प्रति वर्ष मछली का सम्भरण होना है । यदि ये लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तब पाकिस्तान से मछली का आयात उत्तरोत्तर कम किया जा सकेगा ।

कृषि उत्पादन बोर्ड

*335. श्री कर्णी सिंहजी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कृषि उत्पादन बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) इन बैठकों में किन विशिष्ट तथा मुख्य बातों को विचारार्थ चुना गया तथा उन पर विचार किया गया; और

(ग) क्या उन सभी निर्णयों को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा कृषि उत्पादन में सुधार करने के मामले में उन के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री(श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :(क) नवम्बर, 1963 से अगस्त, 1964 तक कृषि उत्पादन बोर्ड की नौ बैठकें हुई हैं।

(ख) बोर्ड ने कृषि सम्बन्धी विकास कार्यक्रमों को शीघ्रता से और प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन तरीकों पर विचार किया जिनमें पशु-पालन, डेरी उद्योग, वन-विद्या तथा मत्स्य-पालन भी शामिल हैं। जिन महत्वपूर्ण उपायों और बातों पर बोर्ड ने इन बैठकों में विशेष रूप से विचार किया वे लोक सभा की पटल पर रखे गये विवरण में सूचीबद्ध हैं।

(ग) बोर्ड के सारे निर्णयों पर आवश्यक कार्यवाही की गई है। केन्द्र और राज्य इस बात को अच्छी तरह समझने लगे हैं कि थोड़े से थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादन को बढ़ाने की शीघ्र आवश्यकता है। प्रशासकी ढांचे को भी बहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विवरण

जिन महत्वपूर्ण उपायों और बातों पर कृषि उत्पादन बोर्ड ने विशेष रूप से विचार किया वे ये हैं :—

1. चावल, मोटे अनाज और दाल, कपास, जूट, तिलहन और गेहूं की गहन खेती के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।
2. किसानों को सीमेन्ट, लोहा और इस्पात तथा अन्य उत्पादन सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त सम्भरण से सम्बन्धित समस्यायें।
3. देश में ट्रैक्टर और पावर टिलर्स का निर्माण।
4. कृषि के लिए बिजली के रेट्स और कृषि की आवश्यकताओं के लिए अधिक बिजली उपलब्ध करने की समस्या।
5. उर्वरकों, सुधरे हुए बीज, पौद रक्षा की आवश्यक वस्तुओं और सुधरे हुए औजारों के वितरण के प्रबन्ध में सुधार।
6. भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।
7. विपणन सुधार, मूल्य स्थिरीकरण और कृषि-फसलों के लिए सहायक नीति सम्बन्धी प्रकाशन।
8. राज्य, जिला, खंड और ग्राम स्तर पर प्रशासकीय समन्वय।
9. लघु-सिंचाई कार्यक्रमों पर द्रुत खर्च।
10. किसानों की सभी उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए विशेषकर गहन कृषि क्षेत्रों में पर्याप्त ऋण देने के प्रबन्ध करना।
11. कृषि कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किये गये खर्च को दूसरे क्षेत्रों को देने पर रोक लगाना।

उत्तर प्रदेश के लिये चीनी का कोटा

*336. **श्री विश्वनाथ पांडेय:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि उनके चीनी के कोटे में जो कटौती की गई थी उसको पूरा कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) शर्करा की कठिन सप्लाई स्थिति होने के कारण राज्य का कोटा नहीं बढ़ाया जा सकता ।

कृषि वस्तुओं की उत्पादन लागत

*337 **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 24 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 715 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के हेतु आवश्यक आंकड़े देने के लिये उत्पादन लागत सम्बन्धी अध्ययनों के क्षेत्र का विस्तार करने के प्रस्ताव पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) अन्य बातों के अतिरिक्त मूल्य नीति के निर्माण में आवश्यक मुख्य फसलों की उत्पादन लागत सम्बन्धी सूचना तथा अन्य सम्बन्धित कृषि नीतियों के विषय में वर्तमान फार्म प्रबन्ध अध्ययनों के क्षेत्र का विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है । इन अध्ययनों से सम्बन्धित तकनीकी तथा संगठनात्मक विवरण तैयार किये जा रहे हैं ।

बम्बई बन्दरगाह की गोदी

*338. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बड़े :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बन्दरगाह की गोदियों से जहाजों पर खाद्यान्नों के लादने तथा उतारने के लिये मजदूरों को नियुक्त करने को ठेका पद्धति समाप्त कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं तथा बन्दरगाह की गोदियों से शीघ्र माल हटाने वाले मजदूरों को प्रोत्साहित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) अब यह कार्य विभागीय रूप में गोदी श्रम बोर्ड की एजेंन्सी के माध्यम से सीधे ही मजदूर रख कर कराया जा रहा है। मज़दूरों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के पश्चात्, विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों के लिये अधिक कार्य करने पर उत्तरोत्तर अधिक मज़दूरी देने की एक योजना बनायी गयी है और उसे पहली अगस्त से लागू कर दिया गया है।

एयर इंडिया के यात्रियों को शुल्क-मुक्त वस्तुओं की बिक्री

*339. **श्री कजरोलकर** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'एयर इंडिया' अपने विमानों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को शुल्क-मुक्त सिगरेट तथा चाकलेट 'भारतीय रुपया' लेकर नहीं बचती है किन्तु अन्य किसी भी देश की मुद्रा इन वस्तुओं के लिये स्वीकार कर लेती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) यह रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार है।

बम्बई बन्दरगाह पर दोहरी बैंकिंग प्रणाली

*340. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई बन्दरगाह पर खाद्यान्नों के जहाजों के लिये दोहरी बैंकिंग प्रणाली कब से लागू की गई है ;

(ख) इस पद्धिति के कारण प्रति टन क्या व्यय होगा ; और

(ग) जहाज से माल उतारने के सामान्य तरीके पर कितना धन व्यय होता था तथा इस पद्धति के कारण उसमें कितनी कमोबेशी होगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) जुलाई, 1964 में जब पत्तन पर जहाजों की भीड़ हो गयी तो आपातक स्थिति का सामना करने के लिये बम्बई बन्दरगाह पर खाद्यान्नों के जहाजों की दो कतारें बनाई गयी। यह व्यवस्था 12 जलाई, 1964 से लागू की गयी।

(ख) दो कतारों की व्यवस्था द्वारा अब तक उतारे गये माल पर औसतन 10.83 रुपये प्रति टन व्यय बैठता है। इसमें 7.25 रुपये प्रति टन की दर से बजरों का भाड़ा भी शामिल है।

(ग) चार्टर पार्टी की शर्तों के अन्तर्गत माल पाने वालों को टैंकरों से माल उतारने के लिये कुछ भी खर्च नहीं करना होता है। अत: टैंकर से माल नि:शुल्क समुद्र के किनारे पर याबजरों में जो जहाज के बगल में माल प्राप्त कर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये हों, उतारा जाता है। इसलिए दो कतारों की व्यवस्था द्वारा खाद्यान्न को टैंकरों से बजरों में उतारने में सरकार का कोई खर्चा नहीं हुआ। दो कत रों की व्यवस्था के अन्तर्गत 'लाइटरों' से खाद्यान्न किनारे पर लाने तथा वहां उसे उतारने

में हुआ खर्च औसतन लगभग 10.83 रुपये प्रति टन है जो जहाजों के दिलम्ब शुल्क में जो विदेशी मुद्रा में देना होता है, हुई बचत से पूरा हो जाता है ।

नया पी० एल० करार 480

*341. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महानन्द :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री म० रं० कृष्ण :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मुहम्मद इलियास :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका से एक नया पी० एल० 480 करार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके अधीन कितना गेहूं तथा चावल आने की संभावना है ; और

(ग) क्या अमरीका से भारत को खाद्यान्नों के परिवहन के लिये भारतीय जहाजों का उपयोग करने के लिये कोई रक्षोपाय रखे गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) चूंकि करार के बारे में अभी बातचीत चल रही है इसी लिए इस समय यह बताना संभव नहीं है कि उसमें गेहूं और चावल कितनी मात्रा में मिलेंगे । ऐसा विचार है कि पिछले करार की भांति नये करार में भी पी० एल० 480 के अन्तर्गत खरीदे जाने वाले खाद्यान्न का 50 प्रतिशत अमरीकी ध्वज पोतों में और शेष 50 प्रति शत अन्य ध्वज पोतों में लाए जाने की व्यवस्था होगी । जहां तक भारतीय जहाज प्राप्त हो सकेंगे उनका भी उपयोग किया जाएगा ।

SHORTAGE OF MILK IN DELHI

*342. **Shri Parkash Vir Shastri :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Jagdev Sing Siddhanti :
Shri Naval Parbhakar :
Shri Surendra Pal Singh :
Shrimati Savitri Panday :
Shri Vishwa Nath Panday :
Shri P. R. Chakraverti :
Dr. Saradish Roy :
Shri S. M. Banerjee :
Dr. Ranen Sen :
Shri Dinen Bhattacharya :
Shri Vishram Parshad :
Shri P. Venkatasubbaiah :
Shri A. N. Vidyalankar :
Shri Kashi Ram Gupta :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the shortage of milk in Delhi still connues as before ;

(b) whether it is also a fact that mostly toned milk is being supplied to public at present ; and

(c) whether any fresh measures have been adopted to improve the Delhi Milk Supply Scheme ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) Not entirely. The Supply has improved a little since August, 1964.

(b) No, Sir. Nearly two-thirds of the milk supplied is buffalo and cow milk.

(c) To examine the working of the Delhi Milk Scheme, with a view to improving its day-to-day functioning and to make recommendations to Government regarding the future set up of the Scheme and its efficient functioning, a Team of Seven experts was appointed in July, 1964. Its final report which was received on 5-9-1964 is under examination

विधि शिक्षा संबंधी पृथक परिषद

*343. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:** क्या विधि मंत्री 5 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 185 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि शास्त्रज्ञों तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के इस सुझाव के अनुसरण में विधि शिक्षा सम्बन्धी पृथक परिषद् तथा एक अथवा कई राष्ट्रीय विधि स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) और (ख) ऐसी कोई प्रस्थापना इस समय सरकार के विचाराधीन नही है । अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 10(2)(ख) के अधीन गठित भारत की विधिज्ञ परिषद् की विधि शिक्षा समिति ने विधि शिक्षा से सम्बद्ध विषयों पर एक प्रश्नावली विश्वविद्यालयों, विधि संकायों के सदस्यों, राज्य विधिज्ञ परिषदों और विभिन्न उच्च न्यायालयों के विधिज्ञ संस्थानों को भेजी है और इस प्रश्नावली के अब तक जो उत्तर मिले हैं वे भारत की विधिज्ञ परिषद् के विचाराधीन हैं ।

भारतीय मत्स्यपालन निगम

*344. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक भारतीय मत्स्यपालन निगम स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित होगी तथा योजना पर कितना धन व्यय होगा ; और

(ग) प्रस्तावित निगम के सदस्य कौन कौन होंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) अमेरिका की एक ख्याति प्राप्त फर्म के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में एक कम्पनी स्थापित करने का विचार है और इस बारे में अन्तिम बातचीत हो रही है । कम्पनी की वास्तविक स्थापना की ठीक ठीक तिथि अथवा उसके गठन के सम्बन्ध में बताना अभी सम्भव नहीं है ।

वाणिज्यिक नौसेना अकादमी

*345. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह:** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक नौसेना के लिये अधिकारियों की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिये वाणिज्यिक नौसेना अकादमी स्थापित करने का सरकार ने निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये अकादमी कहां पर स्थापित होगी तथा इस पर अनुमानत: कितना धन व्यय होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) मुख्यत: वाणिज्यिक नौसेना के दो पक्षों अर्थात् नौचालन और समुद्री इंजीनियरिंग के अधिकारियों में अति आवश्यक निकट सम्बन्ध स्थापित करने के लिये वाणिज्यिक नौसेना प्रशासन अकादमी स्थापित करने के लिये प्रस्ताव रखा गया है । मौजूदा पूर्व-समुद्री प्रशिक्षण संस्थाओं में और अधिक कैडटों की भर्ती करने की इजाजत देकर यह अकादमी और अधिक कैडटों को प्रशिक्षण देने में सहायक होगी । योजना के इस पहलू की अभी जांच की जा रही है ।

प्रस्तावित अकादमी तथा उसकी जगह की अनुमानित लागत को अन्तिम रूप देने का प्रश्न सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ।

पी० एल० 480 करार की अवधि बढ़ाना

*346. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महानन्द :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून, 1964 को समाप्त हो जाने वाले वर्तमान पी० एल० 480 करार की अवधि बढ़वा लेने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अनुरोध मान लिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) जून, 1964 के अन्त में जब गेहूं और चावल मंगवाने का मई 1960 का चार वर्षीय करार समाप्त हुआ तब सारा चावल ढोया जा चुका था, किन्तु 27.4 लाख टन ढोया जाना शेष रह गया था । संयुक्त राज्य

अमेरिका की सरकार न खरीदे गये गहूं की राशि आगे देने के लिए सहमत हो गई है। गेहूं की उपर्युक्त मात्रा के दिसम्बर, 1964 के अन्त से पूर्व ही ढोये जाने की सम्भावना है।

देश में गेहूं और चावल की निरन्तर कमी रहने के कारण यह अत्यावश्यक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात जारी रहे, इसीलिए अमरीकी सरकार के साथ आगे के लिए जून, 1965 की अवधि तक गहूं और चावल का आयात करने के लिए नये पी० एल० 480 करार पर सक्रिय विचार हो रहा है।

दिल्ली के लिये चीनी का कोटा

1001. **श्री दलजीत सिंह:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिये चीनी का कोटा किस आधार पर निर्धारित किया गया है ; और

(ख) ग्रामीण लोगों में उसे किस प्रकार वितरित किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) चीनी की उपलब्ध मात्रा तथा सितम्बर, 1961 में समाप्त हुई पिछली नियंत्रण अवधि में चीनी के कोटे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लिये चीनी का कोटा निर्धारित किया गया है।

(ख) सम्बन्धित ग्राम की जन संख्या को ध्यान में रखते हुए चीनी बहुप्रयोजनीय सहकारी समितियों तथा गैर-सरकारी खुदरा व्यापारियों को दे दी जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग दिल्ली शहर में काम के लिये आते हैं और शहर में स्थित दूकानों से चीनी खरीदते हैं।

पंजाब में सड़क परियोजनायें

1002. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री बागड़ी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सड़क परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो कि तीसरी योजना अवधि में केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता दे कर पंजाब में निर्माण के लिये स्वीकृत की गई थीं ; और

(ख) उनमें से अब तक कितनी पूरी हो गई हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3204/64]**

वृद्धावस्था पेंशन योजना

1003. **श्री प्र० के० देव :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्धावस्था पेंशन योजना को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता दिये जाने के बारे में राज्य सरकारों ने कोई प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इस प्रार्थना के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) मद्रास, आंध्र प्रदेश तथा केरल से प्रार्थना आई है । इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

उद्योगों के लिये कृषि का कच्चा माल

1004. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के कच्चे सामान का उत्पादन देश में उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ है ; और

(ख) क्या इन वस्तुओं के उत्पादन पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है, यदि हां, तो यह काम किस अभिकरण को सौंपा गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां, विभिन्न नगदी फसलों जैसे पटसन, कपास, तिलहन, गन्ना, तम्बाकू, नारियल, लाख तथा काजू के उत्पादन पर केन्द्रीय वस्तु समितियों तथा संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से भारत सरकार पूरी तथा निरन्तर निगरानी रखती है ।

विवरण

(क) तीसरी योजना का एक मुख्य उद्देश्य विभिन्न नगदी फसलों, जैसे, पटसन, कपास, तिलहन, गन्ना, लाख, तम्बाकू, नारियल और काजू के उत्पादन को बढ़ाना है ताकि अन्य बातों के साथ साथ उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । जहां तक लाख, गन्ना तथा तम्बाकू का सम्बन्ध है, इनका उत्पादन इनसे सम्बन्धित उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार रहा है । जहां तक पटसन का सम्बन्ध है, हाल के कुछ वर्षों में देश में पटसन का उत्पादन पटसन उद्योग की आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा करने में समर्थ रहा है। अन्य नगदी फसलों अर्थात्, कपास, नारियल, काजू तथा तिलहन के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) **कपास** : 1–1/16 तथा इससे अधिक स्टेपिल की कपास को छोड़कर कपास का उत्पादन काफी हद तक उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार रहा है ।

(2) **नारियल** : देश में नारियल का उत्पादन औद्योगिक प्रयोजनों के लिये नारियल के तेल की मांग को पूरी करने में असफल रहा है ।

(3) **काजू** : कच्चे काजू का उत्पादन इस समय काजू तैयार करने वाले कारखानों की मांग पूरी करने में असमर्थ है ।

(4) **तिलहन** : इस समय तिलहन का उत्पादन खाने तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये देश में वनस्पति तेल की मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

Movement of Boora

1005. Shri Achal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state whether the ban on the movement of Boora, a by-product of Gur, has been removed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan) : No, Sir. Boora is covered by the definition of sugar in the Sugar (Control) Order, 1963, and its inter-State movement is banned except under permit.

स्थानीय विकास कार्य

1006. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 26 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1543 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964–65 के लिये स्थानीय विकास कार्यों के लिये राज्य-वार निधियों के आवंटन के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस अवधि के लिये उस प्रयोजन के लिये उड़ीसा को कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। 1964–65 के लिये स्थानीय विकास कार्यों के लिये राज्यवार निधियां आवंटित कर दी गई हैं।

(ख) उड़ीसा के लिये 18.50 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

सामान्य चुनावों का निरीक्षण करने के लिये अमरीका को भारतीय प्रतिनिधिमण्डल

1007. { **श्री राम हरख यादव :**
श्री बसवन्त :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल आगामी अक्तूबर में अमरीका में होने वाले आम चुनावों का निरीक्षण करने के लिये वहां जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों की संख्या क्या है ; और वे कितने समय तक अमरीका में रहेंगे ; और

(ग) प्रतिनिधि मण्डल पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च होगी ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). अमरीका में आम चुनावों का निरीक्षण करने के लिये वहां कोई प्रतिनिधि मण्डल नहीं भेजा जा रहा है। परन्तु एक प्रतिनिधि मण्डल जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा तीन पदाधिकारी शामिल हैं ब्रिटेन की सरकार के निमन्त्रण पर लगभग चार सप्ताह के लिये अधिकतर चुनावों सम्बन्धी मामलों के बारे में आम जानकारी प्राप्त करने के लिये ब्रिटेन जायेगा। प्रतिनिधि मण्डल पर अनुमानत: कुल 2200 रुपये खर्च होंगे।

सशस्त्र पुलिस बल का मत देने का अधिकार

1008. { श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अपने राज्यों से बाहर सेवा करने वाले सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों को विशेष सुविधायें देने का विचार है ताकि वे आम चुनावों में राय देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो उनको दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). जी हां। सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध मत देने सम्बन्धी सुविधाओं को अपने राज्य से बाहर सेवा करने वाले सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को उपलब्ध करने के लिये लोक-सभा में एक विधेयक पेश किया गया है ।

खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा मोटर गाड़ियों का सभरण

1009. { श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री बसवन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन ने अच्छे पोषाहार के सिद्धान्तों के बारे में ग्रामीण तथा नागरीय क्षेत्रों में ज्ञान के प्रसार के लिये विशेष रूप से सुसज्जित 9 चलती फिरती मोटर गाड़ियां दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी नहीं । खाद्य तथा कृषि संगठन ने कोई चलती फिरती गाड़ी नहीं दी है। ब्रिटेन की "भुखमरी दूर करने सम्बन्धी आन्दोलन" "फ्रीडम फ्रॉम हंगर केमपेन" समिति के "बच्चों को बचावो कोष" "सेव दि चिल्ड्रेन फंड" ने आवश्यक उपकरण सहित 9 चलती फिरती मोटरगाड़ियां देने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) खाद्य संरक्षण तथा पोषाहार के क्षेत्र में इसके सिद्धान्त तथा व्यावहारिक रूप में विद्यमान अन्तर को समाप्त करने के लिये एक खाद्य तथा पोषाहार विस्तार कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। उचित रूप से सुसज्जित चलती फिरती मोटरगाड़ियों की सहायता से, खाद्य संरक्षण के उपाय करने, अपव्यय को रोकने, उचित आहार की आदत डालने, कम खर्चीले संतुलित आहार को लोकप्रिय बनाने, पाक-विद्या तथा खाद्य के प्रयोग के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में ज्ञान फैलाने तथा लोगों की खाद्य उपभोग आदतों के बारे में सामग्री एकत्रित करने के लिये एक क्रमबद्ध आन्दोलन का उत्तरोत्तर विकास किया जा रहा है । सर्वप्रथम केन्द्रीय सरकार ने ऐसे चार एकक स्थापित किये हैं । ब्रिटेन से प्राप्त होने वाले एककों से इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलेगा ।

उड़ीसा में तिलहन का विकास

1010. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1964–65 में उड़ीसा राज्य में तिलहन के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को कोई केन्द्रीय अनुदान अथवा ऋण दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : उड़ीसा सरकार को तिलहन के विकास के लिये कोई पृथक् धनराशि आवंटित नहीं की जाती है । यह सम्भव है कि राज्य विकास योजनाओं के लिये दिये गये कुल विकास अनुदानों में से तिलहन के विकास पर उड़ीसा सरकार 1964–65 में कुछ धनराशि व्यय करे । उस राशि के बारे में उड़ीसा सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था बस्ती

1011. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि अनुसन्धान संस्था बस्ती, पूसा, नई दिल्ली में, जो कि विदेशक के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत एक संरक्षित क्षेत्र है, कई वर्षों से नागरिक सुविधाओं का प्रबन्ध नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अंधे बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधायें

1012. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **सामाजिकसुरक्षा** मन्त्री 12 फरवरी, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंधे बच्चों की शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने तथा खेती के काम में वयस्क अंधे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये नई योजना तैयार की गई है और उसको अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) योजना पर विचार किया जा रहा है और उसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में मोटे अनाज की कमी

श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चना, बाजरा और मोठ जैसे मोटे अनाजों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं । इस समय दिल्ली के बाजारों में मोटे अनाज की कोई कमी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अंगूरों की खेती

1014. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में और अन्य स्थानों पर अंगूर की खेती के प्रयोगों से पता चला है कि उत्तर भारत में अंगूर बड़ी सफलता से पैदा किये जा सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रयोग किन स्थानों पर किये गये हैं और उत्तर भारत में किसानों में अंगूर की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या सफलतायें प्राप्त की गयी हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां । शीघ्र पकने वाली किस्म के अंगूरों की खेती की उत्तर भारत में अच्छी सम्भावना है ।

(ख) उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित अनुसन्धान केन्द्रों में अंगूर की खेती के बारे में प्रयोग किये गये हैं ;

(1) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली ।

(2) (क) उद्यान विद्या अनुसन्धान संस्था, सहारनपुर ।

(ख) राष्ट्रीय होरटोरियम, सर्किट हाउस, मेरठ ।

(3) पंजाब में विभिन्न केन्द्र, जैसे अटारी, जालंधर , पटियाला चण्डीगढ़, लुधियाना, अबोहर, करनाल और पंछी गुजरान (रोहतक) ।

(4) प्रादेशिक अनुसन्धान संस्था, ग्वालियर

(5) (क) सरकारी बागान, दुर्गापुर (जयपुर) ।

(ख) श्रीगंगानगर ।

(ग) सरकारी बागान, कोटा ।

(घ) चोपासानी (जोधपुर) ।

इन प्रयोगों के फलस्वरूप उत्तर भारत की जलवायु में उगाने के लिये निम्नलिखित किस्में रखी गयी हैं ;

पूसा, सीडलैस, ग्रोस कोलमैन, भारत अरली, ब्लैक प्रिन्स, कंधारी हिमरोड, चन्डीगड, डिलाइट, पेरलेट और ब्यूटी सीडलैस ।

पंजाब में 450 एकड़ क्षेत्र में अंगूर की खेती की गयी है और सम्भावित उत्पादकों को ऋण और राजसहायता दी गयी है ।

राजस्थान में अंगूर उत्पादकों को तकावी ऋण और खेती के सामान के रूप में प्रोत्साहन दिये गये हैं। वर्ष 1964–65 के लिये 100 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उत्तर प्रदेश में चुने हुए केन्द्रों में 12 संवर्द्धक उत्पादक क्षेत्रों में अच्छी किस्मों के प्रदर्शन प्लाट बनाये गये हैं ताकि इन क्षेत्रों में अंगूर की खेती को लोकप्रिय बनाया जा सके।

भूमध्यसागर के फल-कीट द्वारा दूषित केले

1015. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व जापान के दो कृषिशास्त्रियों के एक दल ने यह पता लगाने के लिये इस देश का दौरा किया कि क्या भारतीय केले भूमध्यसागर के फल-कीटों द्वारा दूषित होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला और अब जापान को केले के निर्यात की क्या संभावनायें हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) जापानी विशेषज्ञ दल द्वारा भारत सरकार को दिये गये अस्थायी सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार उन्होंने भारत में जो सामान एकत्र किया उसमें भूमध्यसागर का फलों का कीड़ा नहीं मिला। अब यह समझा जाता है कि जापान सरकार भारत से केले के आयात पर प्रतिबन्धों को हटाने के लिये शीघ्र ही जनता की राय लेगी और यह आशा है कि उसके बाद प्रतिबन्ध हटा दिया जायेगा। इतने समय में, जापान को केले के निर्यात से सम्बन्धित समस्याओं का परीक्षण किया जा रहा है।

कैरावेल जेट सेवा

1016. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की कैरावेल जेट सेवा कार्यक्रमानुसार नहीं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब से अनियमित रूप से चल रही है; और

(ग) कार्यक्रम बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). जी, हां। कैरावेल सेवा में शुरू से ही विलम्ब हुआ है जो कि सामान्यतः नये विमान लगाने से जो कठिनाई होती है, वही कठिनाई है।

(ग) तब से इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने इस विमान के संचालन में कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया है और 1-10-1964 से कैरावेल के मार्ग में परिवर्तन कर देने से कैराबेल को एक बाहर के स्टेशन पर, जहां से इसके आवश्यक रुटीन संधारण के बाद समय पर उड़ान सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, रोकना बन्द कर दिया गया है। मार्ग में इस परिवर्तन से विमान का समय पर और कार्यक्रमानुसार उड़ान सुनिश्चित हो सकेगी क्योंकि वे उस स्थान से उड़ान आरम्भ करेंगे जो विशेषत: इसके संधारण के लिये बनाया गया है।

कांगड़ा में जरसी पशु

1017. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया से आयात किये गये जरसी पशुओं को और पशु पैदा करने के लिये कांगड़ा में रखा गया है; और

(ख) क्या यह प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं। तथापि, कांगड़ा ज़िले में पालमपुर में एक 'बुल डिपो' स्थापित किया गया है जहां अमरीका/आस्ट्रेलिया से आयात किये गये पांच जरसी बैलों को रखा गया है। इनका क्रास-ब्रीडिंग द्वारा स्थानीय पशुओं की नस्ल सुधारने में प्रयोग किया जाता है।

(ख) अब तक प्राप्त परिणाम उत्साहवर्द्धक हैं।

चुकन्दर की जड़ से चीनी

1018. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० च० चक्रवर्ती :
श्री तन सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि अनुसन्धान बोर्ड ने देश में चुकन्दर की जड़ से चीनी उत्पादन करने की एक योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इससे देश में चीनी और खाद्यान्न की समस्या हल करने में किस प्रकार सफलता मिलेगी; और

(घ) योजना की क्रियान्विति की क्या संभावनायें हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, खाद्य विभाग वाणिज्यिक स्तर पर मीठे चुकन्दर पैदा करने और चुकन्दर की जड़ से चीनी बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

(ग) विशेषत: ठंडे क्षेत्रों में, जो चुकन्दर की खेती के उपयुक्त हैं, यह चीनी का एक वैकल्पिक साधन होगा। चुकन्दर से प्राप्ति अधिक होने की आशा है।

(घ) इस योजना को वाणिज्यिक स्तर पर पैदा किये गये चुकन्दर को विशेष मशीनों की सहायता से चीनी निकालने के लिये इस्तेमाल करके क्रियान्वित किया जायेगा ।

कृषि अध्ययन दल

1019. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भो० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में योजना आयोग के एक कृषि अध्ययन दल ने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों का दौरा किया और राज्य अधिकारियों को कुछ सिफारिशें कीं;

(ख) यदि हां, तो दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) उनको राज्य सरकार ने कहां तक मान लिया है; और

(घ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां । कृषि कार्यक्रम, 1964–65 सम्बन्धी संयुक्त केन्द्रीय दल ने 9 से 11 जन, 1964 तक राजस्थान राज्य का दौरा किया ताकि वर्ष 1964–65 में राज्य में कृषि कार्यक्रमों को बनाने और उनकी प्रभावी क्रियान्विति में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच निकट का सम्पर्क बनाया जा सके और सके बारे में उसने कुछ सिफारिशें की हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें दी गयी हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3205/64 ।]**

(ग) और (घ). दल का प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई के लिये राज्य सरकार को भेज दिया गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

उचित मूल्य वाली दुकानों का लूटा जाना

1020. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बागड़ी :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्यों में गलत ढंग से वितरण और अनुचित मल्यों के कारण उचित मूल्य वाली दुकानों के लूटे जाने की घटनायें हुयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश भर में इस प्रकार लूटे जाने और दंगों की कितनी घटनायें हुयीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). केवल उत्तर प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के लूटे जाने के दो मामलों का पता लगा है। इनमें से एक मामले में लूट दुकानदार के दुर्व्यवहार के कारण हुई। दूसरे मामले में दुकान तब लूटी गयी जब दुकानदार वहां नहीं था।

कन्दमूल अनुसंधान

1021. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय
श्री नि० रं० लास्कर

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिवेन्द्रम में एक ट्यूबर अनुसंधान संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर अनमानतः कुल कितनी लागत आयेगी;

(घ) क्या किसी विदेशी सहायता के बारे में विचार किया जा रहा है या कोई विदेशी सहायता ली जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो सहायता का स्वरूप क्या है और यह किस देश से ली जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अप्रैल, 1963 में त्रिवेन्द्रम में एक ट्यूबर अनुसंधान संस्था स्थापित की गयी थी। इसका उप-केन्द्र बिहार में होगा।

(ख) इस परियोजना की मुख्य बातें टैपियोका, शकरकन्दी, कोलोकेसिया, जिमिकन्द आदि जैसी कन्दमूल फसलों के बारे में अनुसंधान करना और उनका उत्पादन बढ़ाना है।

(ग) दोनों केन्द्रों के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में 13·18 लाख रुपये का उपबन्ध है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

सेतुसमुद्रम परियोजना

1022. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामनाथन चेट्टियार :
श्री मुथिया :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेतुसमुद्रम परियोजना के बारे में मुदलियार समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ख) परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) श्री ए० रामस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में सेतुसमुद्रम परियोजना समिति ने रिपोर्ट दी है कि परियोजना संभव है और इस पर लगभग 9·98 करोड़ रुपये लागत आयेगी जिसमें तूतीकोरिन पत्तन पर सुविधायें बढ़ाने के लिये खर्च होने वाला 1·62 करोड़ रुपया भी शामिल है। तब से तूतीकोरिन परियोजना पर अलग से काम किया जा रहा है। भारत सरकार ने समझा कि जहाज-नहर परियोजना के लिये समिति के प्राक्कलन कम हैं। परिवहन मंत्रालय के विकास परामर्शदाता ने लागत का अनुमान लगभग 26 करोड़ रुपये लगाया। विशेषतः परियोजना की प्राक्कलित लागत कम करने के उद्देश्य से इस परियोजना से सम्बन्धित नौपरिवहन आवश्यकताओं के बारे में परामर्श देने के लिये एक नौपरिवहन विशेषज्ञ, कैप्टेन जे० आर० देवीस की सेवायें प्राप्त की गयीं। कैप्टेन देवीस ने कुछ परिवर्तनों और नौपरिवहन सहायता में कमी करने का सुझाव दिया। इस परियोजना से सम्बन्धित अन्य तकनीकी जांच-पड़ताल के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में 22·14 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। अध्ययन पूरा करने के बाद, मद्रास सरकार ने मई, 1963 में एक पुनरीक्षित प्राक्कलन पेश किया। उनके अनुसार 26 फुट ड्राफ्ट वाले जहाजों के चलने योग्य नहर पर 15·50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। अगस्त, 1963 में मद्रास सरकार ने 30 फुट ड्राफ्ट वाले जहाजों के लिये आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में एक नयी रिपोर्ट भेजी। इस पर लागत का अनुमान 21·72 करोड़ रुपये लगाया गया। इसमें 4·50 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। मद्रास सरकार की परियोजना पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति विचार कर रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

कृषि उत्पादन

1023. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तथा कृषि संगठन के हाल के अध्ययन प्रतिवेदन पर ध्यान दिया है जिसमें विकासशील देशों को खाद्य तथा कृषि के उत्पादन लक्ष्य पूरा न करने के विरुद्ध चेतावनी दी गयी है जिससे व्यापार में और अधिक घाटा होगा; और

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने और चौथी योजना के लिये वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने और इस प्रतिवेदन को ध्यान में रख कर उन्हें पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां। 'संयुक्त राष्ट्र विकास दशाब्दी में कृषि वस्तुओं का व्यापार, खंड 1, भाग 1, 2 और 3' सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रतिवदन की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई है।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य फसलों के उत्पादन के लक्ष्य, खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता और अधिक कृषि उत्पादन द्वारा उद्योग और निर्यात की आवश्यकता को पूरा करने को ध्यान में रख कर, निर्धारित किये गये हैं। कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिये उठाये जा रहे कदमों में कृषि कायक्रमों, विशेषत: छोटी सिंचाई और भू-संरक्षण के लिये अधिक निधि का उपबंध करना, चुने हुए क्षेत्रों में विशिष्ट फसलों के लिये सघन खेती कार्यक्रम अपनाना, उत्पादन की आवश्यकताओं के लिये ऋण की अधिक व्यवस्था करना, उर्वरक, अच्छे बीज आदि की खपत अधिक करने के लिये व्यवस्था करना, अधिक उत्पादन के लिये किसानों को अन्य प्रोत्साहन देना और अच्छे कृषि उपकरणों को इस्तेमाल करने के लिये आवश्यक विस्तार सेवाओं, तकनीकी जानकारी और मार्ग-दर्शन की बड़े पैमाने पर व्यवस्था करना, शामिल हैं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि विकास सम्बन्धी प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

Production of Wheat

1024. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the estimate of prodution of wheat in the country during this year;

(b) the procurement programme of Government; and

(c) the total stock imported from other countries as also the present stock of wheat procured in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture Shri D. R. Chavan : (a) 9.7 million metric tons.

(b) At present there is no programme for procurement of wheat by the Central Government.

(c) About 3.2 million tons of wheat has been imported during the eight months January to August 1964. No wheat has been procured from within the country for Central stocks.

बकरियां पालना

1025. श्री हेमराज : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन की बैठक हाल में ही साइप्रस में हुई थी;

(ख) क्या यह सच है कि इस बैठक ने बकरियां पालने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार तथा क्या उन्हीं तरीकों को भारत में भी लागू किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां

1026. श्री हेमराज : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां बनाने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस काम के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिये कुछ जातियों की सूची भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) और (ख). सभी राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिले हैं तथा अधिकांश प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया है। शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ). प्रस्तावों तथा उन पर क्या निर्णय लिये जायेंगे के ब्योरे बताना लोकहित में नहीं होगा।

वन आयोग

1027. श्री हेमराज : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वनशास्त्र बोर्ड की सिफारिश के अनुसार केन्द्र सरकार ने वन आयोग स्थापित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में डेरी "फार्म"

1028. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि दूध तथा दूध से बनी वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिये डेरी फार्म स्थापित करने के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार की सहायता की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) भारत-जर्मन परियोजना के रूप में पश्चिम जर्मनी सरकार की सहायता से मण्डी में 'डेरी प्लांट' स्थापित करने का विचार है । हिमाचल प्रदेश में मण्डी सब से बड़ा नगर है जिसकी जनसंख्या लगभग 18,000 है । ब्यास-सतलज को मिलाने की परियोजना के शुरू हो जाने पर मण्डी के निकट 3 केन्द्रों में लगभग 30,000 तकनीकी व्यक्तियों तथा मजदूरों को लगाने की संभावना है ।

दूध के सम्मरण में सुधार करने के लिये प्रस्ताव है कि ग्राम सहकारी समितियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से दूध लेने का प्रबन्ध किया गया है तथा दूध के परिष्करण तथा वितरण के लिये मण्डी में 'डेरी प्लांट' स्थापित किया जायेगा । इस योजना के अधीन प्रतिदिन 10,000 लिटर दूध इकट्ठा होगा तथा मण्डी, पांडोह, सुन्दरनगर तथा सालावार में उसका परिष्करण तथा वितरण होगा ।

पर्याप्त मात्रा में दूध इकट्ठा करने के लिये ज़िले में पशुओं की नस्ल सुधारी जायेगी । इस काम के लिये जर्मनी की सहायता ली जायेगी ।

मण्डी में 'डेरी प्लांट' स्थापित करने की योजना पर लगभग 30·12 लाख रुपया लगेगा । इस रक़म में से पश्चिम जर्मनी की सरकार 17·418 लाख रुपये के उपकरण तथा मशीनें देगी ।

केन्द्रीय तिलहन समिति

1029. श्री. सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तिलहन समिति के कार्यालय में पता लगा है कि वहां पर सरकारी धन का गबन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं तथा यदि संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). कुछ समय पहले पता लगा था कि भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के हिसाब में कुछ गड़बड़ी है। उसके बारे में विशेष पुलिस संगठन आवश्यक संगठन कर रहा है। जांच के अन्तिम प्रतिवेदन मिलने के बाद यह पता लगेगा कि गबन हुआ है अथवा नहीं। उसके बाद गबन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

होटल विकास निधि

1030. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार आसान किस्तों पर गैर सरकारी होटल मालिकों को ऋण की सुविधायें देने के लिये होटल विकास निधि स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निधि के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार होटल उद्योग को ऋण देने के लिये होटल विकास ऋण निधि स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है।

(ख) यदि यह निर्णय कर लिया गया कि होटल विकास निधि स्थापित की जाये तो सरकार इसको यथासंभव शीघ्र स्थापित करने की कार्यवाही करेगी।

बीजापुर में हवाई अड्डा

1031. **श्री स० ब० पाटिल** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के बीजापुर में हवाई अड्डा अथवा हवाई पट्टी बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब आरम्भ होगा ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). बीजापुर में हवाई पट्टी बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

खादी भंडारों में खादी का मूल्य

1032. **श्री काशीराम गुप्त** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी भंडारों (जो नई योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं) में बिकने वाली खादी के मूल्य गत अप्रैल में लागू उत्पादन तथा छूट के बारे में नई योजना लागू करने के बाद, लगभग 20 प्रतिशत कम कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नई योजना लागू करने के अब तक क्या परिणाम निकले तथा किन राज्य तथा क्षेत्रों में यह सफल हुई है; और

(घ) योजना में कदाचारों को रोकने के लिये क्या पर्याप्त नियंत्रण रखे गये हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) 31-3-1964 को स्टाक में रखी हुई सूती खादी के विक्रय मूल्य 20 प्रतिशत बट्टे-खाते डाल दिये गये जिससे नई योजना के अधीन उपभोक्ताओं को खादी के विक्रय मूल्य में कोई अन्तर न मिले ।

(ग) 6 अप्रैल, 1964 से लागू की गई नई योजना के परिणाम इतने शीघ्र नहीं बताये जा सकते हैं ।

(घ) जी हां ।

दिल्ली-भोपाल विमान सेवा

1033. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा भोपाल के बीच विमान सेवा बन्द कर दी गई है क्योंकि वह अलाभदायक थी; और

(ख) क्या उसको पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) जी हां । दिल्ली/ग्वालियर/भोपाल/इंदौर/बम्बई सेवा 1-4-63 से बन्द कर दी गई थी ।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार 1-10-64 से सप्ताह में तीन बार डकोटा सेवा चालू करने का है जो दिल्ली से कलकत्ता सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को चलेगी । सेवा मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार को कलकत्ता से दिल्ली चलेगी ।

मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास

1034. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में खजुराहों तथा सांची जैसे स्थानों पर पर्यटन का विकास करने की कोई योजना स्वीकार की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं के ब्योरे क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) और (ख) पर्यटन के विकास की पंचवर्षीय योजना के अधीन खजुराहों तथा सांची में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

खजुराहो :

केन्द्रीय सरकार ने खजुराहों में 2·55 लाख रुपये की लागत पर पर्यटन बंगला (क्लास 1) बनाया गया है । जो अक्तूबर 1963 से काम कर रहा है । इसमें 10 पलंग हैं तथा इसका प्रबन्ध एक प्रसिद्ध होटल मालिक को ठेके पर दे दिया है । इस बंगले में 20 पलंग करने का तथा इसको वातशीतोनुकूलित का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

राज्य सरकार ने खजुराहो में 1.50 लाख रुपये की लागत से पर्यटन बंगला (क्लास 2) बनाया है । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत लागत दी है । इस में 25 पलंग हैं तथा इसका प्रबन्ध राज्य सरकार के हाथ में है। चतुर्भुज मंदिर को जाने वाली सड़क को सुधारने की योजना के लिये 30,000 रुपये स्वीकार किये गये तथा राज्य सरकार इसको क्रियान्वित कर रही है । यह पूरा धन केन्द्रीय सरकार वहन करेगी ।

खजुराहो के मंदिरों से लगभग 2½ मील की दूरी पर अच्छे मौसम की विमान पट्टी बनाने के लिये लगभग 5.5 लाख रुपये की लागत की योजनायें स्वीकार की गई हैं। विमान पट्टी के लिये भूमि ले ली गई है तथा आशा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक काम समाप्त हो जायेगा ।

खजुराहो में पर्यटन यातायात बढ़ाने के लिये पर्यटन विभाग ने दिल्ली से पटना की आइ० ए० सी० विमान सेवा की अनुसूचित उड़ान करने में सहायता देना स्वीकार कर लिया है । पर्यटक दिल्ली से सवेरे चलेंगे तथा खजुराहो के निकट पन्ना की हवाई पट्टी पर 9 म० पू० पहुंच जायेंगे। वहां से वह एक 'कोच' में खजुराहो जायेंगे। यह 'कोच' मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है । खजुराहो में मंदिरों आदि को देखेंगे तथा सांयकाल में दिल्ली वापस लौट आयेंगे । इस सेवा को इतना पसन्द किया गया है कि आइ० ए० सी० को सप्ताह में दो बार विमान चलाना पड़ा तथा आगामी मौसम में सप्ताह में चार बार विमान चलाने का विचार है । खजुराहो के निकट हवाई पट्टी बन जाने पर पन्ना से खजुराहो तक पहुंचने का दो घंटे का समय बच जायेगा तथा पर्यटकों को मंदिरों को देखने का अधिक अवसर मिलेगा । यातायात कम होने पर विमान सेवा प्रतिदिन भी चलाई जा सकती है ।

खजुराहो के पर्यटन बंगले (क्लास 1) के अन्दर 40 गैलन पानी का वाटर कूलर लगाने के लिए धन स्वीकार कर दिया है। यह पानी 4 मोबाइल ट्राली में खजुराहो के विभिन्न स्मारकों में ले जाया जायेगा ।

भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा एक गाइड नियुक्त करने के अतिरिक्त] पर्यटन विभाग ने भी मंदिरों को दिखाने के लिये एक गाइड नियुक्त किया है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन खजुराहो के मंदिरों के चारों ओर के क्षेत्र को सुन्दर बनाने की योजना केन्द्रीय सरकार इसलिए शुरू नहीं कर पाई क्योंकि खजुराहो में पानी की बहुत कमी थी। खजुराहो से 7 मील दूर बेनीगंज बांध बन जाने पर आशा है कि उद्यान आदि बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जायेगा तथा सुन्दर बनाने की योजना शीघ्र आरम्भ कर दी जायेगी ।

पर्यटन विभाग ने खजुराहो के बारे में एक 'फोल्डर' बनाया है जहां मध्य प्रदेश की 'गाइड' में भी खजुराहो के बारे में एक अलग अध्याय रखा गया है । यह साहित्य भारत तथा विदेशों में भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों, भारतीय दूतावासों, एयरलाइनों, यात्रा अभिकरणों तथा अन्य कार्यालयों के द्वारा बांटा गया है । खजुराहो के बारे में बनाई गई एक फिल्म भारत तथा विदेशों में कुछ चुने हुए व्यक्तियों को दिखाई गई है ।

सांची

केन्द्रीय सरकार सांची में 10 पलंग का पर्यटन बंगला (क्लास 1) चला रही है । विस्तृत जानकारी मध्य प्रदेश संबंधी साहित्य में शामिल कर दी गई है । यह साहित्य विभाग द्वारा बांटा गया है । पर्यटन विभाग द्वारा बनाये गये बौद्ध स्मारक संबंधी साहित्य में भी सांची के बारे में भी विस्तार से बताया गया है ।

राज्य सरकार भोपाल तथा छतरपुर से क्रमश: सांची तथा खजुराहो को उचित परिवहन सुविधा देने के लिये क़दम उठा रही है । वह इन केन्द्रों पर स्थानीय परिवहन के लिये कारों की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है ।

Machinery from U.S.S.R.

1035. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some machines have been recently obtained from Russia for Suratgarh farm in Rajasthan ; and

(b) if so, the value thereof and the purpose for which they have been obtained ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) and (b). The following items of agricultural equipment costing Rs. 13,152/- have been ordered from U.S.S.R. for Suratgarh Farm :—

	Number
(i) Maize Cob Sheller	1
(ii) Potato harvesting machine	1
(iii) Rotating mounted hoe	1
(iv) Plough	1
(v) Mounting planting hole digger	1
(vi) Straw and Silo cutter	1

These items are required for agricultural operations. They have not so far been received at the Farm.

Central Farm at Kotah

1036. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a central farm has been set up at Kotah in Rajasthan ;

(b) if so, the result achieved so far ; and

(c) the manner in which its produce is being sold ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) There is a research farm at Kotah attached to the Soil Conservation Research, Demonstration and Training Centre of the Ministry of Food and Agriculture.

(b) The experiments, conducted at the Centre, have revealed that

(i) closure to grazing and other boitic interferences have helped in controlling the deep Chambal ravine areas and led to the growth of thicky covered natural vegetation and better type of species of grasses and trees; the yield of grass per hectare has also gone up ;

(ii) the deep Chambal ravines are suitable for production of fuel and fodder ; and

(iii) shallow ravine reclamation for agricultural purposes is feasible.

(c) The surplus farm produce of the Centre is disposed of by auction through the Co-operative Society ; Grain Market, Kota, in the presence of two Gazetted Officers of the Research Centre. Some of the farm produce is also sold/auctioned by the Centre itself after giving wide publicity in the neighbouring areas. Before the auction is held the reserve price, on the basis of the rates prevailing in the market, is fixed.

Temperature of Soil

1037. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether experiments are being conducted in India to develop a new type of equipment for measuring the temperature of soil ;

(b) if so, at which places this experiment is being conducted ; and

(c) the outline and basis of this experiment ?

The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo) : (a) to (c). An instrument for measuring soil temperature at different depths, based on thermoelectric principle, was designed at the Central Agricultural Meteorological Observatory, Poona. But, this new instrument has been found suitable for research purposes only.

Certain experiments are also being made at the Central Agricultural Meteorological Observatory, Poona, for measurement of soil moisture, based on the principle of the dependence of electrical conductivity of soil on soil moisture, after making due allowance for temperature fluctuations of the soil. These experiments are still in an exploratory stage.

पंजाब में समाज कल्याण विस्तार परियोजनायें

1038. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष **1963–64** में और **1964–65** में अब तक पंजाब को समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं, सामाजिक और नैतिक स्वच्छता और बाद की देख भाल कार्यक्रम के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

(1) कल्याण विस्तार परियोजनायें	राशि रुपयों में
1963–64	1,79,000
1964—65 (14 अगस्त, 1964 तक) . .	69,500

(2) सामाजिक और नैतिक स्वच्छता और बाद की देखभाल कार्यक्रम

1963–64	60,384
1964–65	शून्य

रिवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

1039. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री 2जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 108 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को नवीनतम ऋण की सभी किश्तें मंजूर की जा चुकी हैं ;

(ख) इस ऋण द्वारा इस कम्पनी की किन कठिनाईयों को दूर किया जायेगा; और

(ग) क्या इस कम्पनी से पहले मंजूर किया गया 2 करोड़ रुपये के सरकारी ऋण में से बिना इस्तेमाल की गयी रकम वापस ले ली गयी है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) 60 लाख रुपये के नये ऋण से कम्पनी अपनी वर्तमान वित्तीय कठिनाईयों को दूर कर सकेगी ।

(ग) बिना इस्तेमाल किये गये ऋण की वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि राशि कम्पनी द्वारा किये गये वास्तविक व्यय पर ही दी जाती है और कम्पनी ने ऐसी कोई रकम नहीं ली है जो इस्तेमाल न की जा चुकी हो ।

भारत सरकार इस कम्पनी को पुराने बेडे के बदलने के लिये 2 करोड़ रुपये देने को सहमत हो हो गयी है । अभी तक कम्पनी ने केवल 45·32 लाख रुपये ही लिए और बाकी रकम इसको दी गयी है ।

Trucks engaged in smuggling

1040. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Police requested the Delhi Administration to cancel the permits in respect of the trucks engaged in smuggling between U.P., Punjab and Delhi and which were seized by them ; and

(b) if so, the number of such permits which have been cancelled and the number of cases under consideration ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b). The Delhi Police requested the District Magistrate, Delhi, to cancel the permits of six trucks which were seized by them in connection with smuggling of sugar.

The District Magistrate referred the matter to the Directorate of Transport, Delhi. Out of the six trucks involved, three belonged to Delhi and three to Uttar Pradesh.

As regards the 3 Delhi vehicles, the State Transport Authority, Delhi, after hearing the permit holders concerned, came to the conclusion that it was not possible under Section 60 of the Motor Vechicles Act, 1939 to take any action against them, as they had not been convicted by a Court of Law Action to cancel or suspend a permit can be taken only by that Authority which issued the permit. The cases in respect of the three vehicles belonging to Uttar Pradesh were, therefore, referred by the Delhi Administration to the Government of Uttar Pradesh for necessary action.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

1041. **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 30 मार्च, 1964 को तत्कालीन खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा "कृषि" के संवैधानिक पहलू के बारे में उनके मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर मतदान के समय वाद-विवाद का उत्तर देते समय सभा में दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह आवश्यक समझा है कि केन्द्र में वर्तमान मंत्रालय के आधार को छोटा किया जाये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : तत्कालीन खाद्य तथा कृषि मंत्री ने संसद् के पिछले सत्र में अपने भाषण में 'कृषि' के बारे में संवैधानिक स्थिति बतायी थी लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कृत्य और उत्तरदायित्व कम हो गये हैं या किए जायेंगे । वास्तव में, हाल में देश में खाद्यान्न की वर्तमान संकट की स्थिति और फलस्वरूप कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता के कारण इस मंत्रालय के कृत्यों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि हुई है । अतः अभी इस मंत्रालय के आकार को छोटा करने का प्रश्न नहीं उठा है ।

बीकानेर में दूध सुखाने का संयंत्र

1042. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर में एक दूध सुखाने का संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब से चालू होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान को खाद्यान्न का संभरण

1043. **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार को विशेषत: दुर्भिक्ष सहायता उपाय के तौर पर कितना खाद्यान्न दिया गया है ; और

(ख) इसमें से कितना खाद्यान्न आयात किया हुआ है और कितना देशी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) सहायता कार्यों पर लगे श्रमिकों को, मजूरी के आंशिक भुगतान के तौर पर, देने के लिये पी० एल० 480 के टाइटल 2 के अन्तर्गत स्वीकृत 30,000 टन में से अमरीका सरकार से अभी तक 20,534 टन गेहूं प्राप्त हुआ है ।

(ख) यह समस्त गेहूं आयात किया हुआ है ।

गन्ने के मूल्य का भुगतान

1044. **श्री बालगोविन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार की उन मिलों के क्या नाम हैं जिन्होंने गन्ना उत्पादकों को अब तक का गन्ने का मूल्य नहीं चुकाया है ;

(ख) ऐसे दोषी कारखानों के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करेगी ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे कारखानों पर गन्ना उत्पादकों को बैंक दर से ब्याज देने के लिये दबाव डालने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सभा पटल पर एक सूची रखी जाती है ।

(पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—3206/64)

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश में, गन्ना आयुक्त ने दोषी कारखानों के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी किये हैं ताकि बकाया की भूराजस्व के रूप में वसूली की जा सके । दोषी कारखानों को डिलीवरी से 15 दिन बाद गन्ना संघों को $7^1/_2$ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होता है ।

बिहार में, गन्ना उत्पादक ने रिपोर्ट दी है कि बकाया राशि बहुत थोड़ी है, भुगतान 98.3 प्रतिशत तक हो गया है ।

महानदी और विरूपा पुल

1045. **श्री प्र० के० देव :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हाल में खोले गये राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 पर महानदी और बिरूपा पुलों पर कितना धन व्यय किया गया है और इस परियोजना में केन्द्र का कितना अंशदान है ;

(ख) क्या इन पुलों से कलकत्ता-मद्रास राजपथ सर्व-ऋतु राजपथ बन जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो किन पुलों से यह राजपथ सर्व-ऋतु राजपथ बन जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) क्रमशः 195.92 लाख रुपये और 41.32 लाख रुपये । इन दोनों पुलों की पूरी लागत केन्द्रीय सरकार ने वहन की है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) महानदी और बिरूपा पुलों के अतिरिक्त, इस सड़क को सर्व-ऋतु राजपथ बनाने के लिये निम्नलिखित प्रमुख पुल तथा क्रासिंग बनाने हैं :

(1) पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर कोलाघाट में रूपनारायण नदी पर पुल ।

(2) उड़ीसा में ब्रह्मनादी नदी पर पुल ।

(3) उड़ीसा में वैतरणी नदी पर पुल ।

(4) उड़ीसा में खरसुआ नदी पर पुल ।

(5) उड़ीसा में बुद्धबलंग नदी पर पुल ।

(6) उड़ीसा में सालंदी नदी पर पुल ।

(7) आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी की वशिष्ट शाखा पर पुल ।

(8) आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी की गौतमी शाखा पर पुल ।

(9) आन्ध्र प्रदेश में बुडामेरु नदी पर पुल ।

(10) आन्ध्र प्रदेश में 87/8 मील पर छोटा पुल ।

(11) आन्ध्र प्रदेश में 172/8 मील पर छोटा पुल ।

(12) आन्ध्र प्रदेश में 230/4 मील पर छोटा पुल ।

(13) आन्ध्र प्रदेश में 238/1 मील पर छोटा पुल ।

(14) आन्ध्र प्रदेश में 628/2 मील पर छोटा पुल ।

(15) आन्ध्र प्रदेश में 629/2 मील पर छोटा पुल ।

(16) आन्ध्र प्रदेश में गुडूर द्वि-मार्ग पर छोटा पुल ।

औषधीय पौधे

1046. **श्री प्र० के० देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में उन फार्मों के क्या नाम हैं जो औषधीय पौधे की गहन खेती का प्रचार करते हैं ;

(ख) वहां पर उगाये जाने वाले पौधे के वानस्पतिक नाम क्या हैं ;

(ग) उनके उत्पाद का औषधि-निर्माण के लिये देश में ही इस्तेमाल किया जाता है या निर्यात किया जाता है ; और

(घ) औषधीय पौधा उत्पादों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) से (घ) राज्य सरकारों आदि से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नलकूप

1047. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1964 में विश्व बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के किसी विशेषज्ञ दल ने उत्तर प्रदेश राज्य का और भारत के कुछ अन्य राज्यों का खाद्य उत्पादन के लिये विश्व बैंक की सहायता से बनाये गये नल-कूपों के योगदान के बारे में अध्ययन करने के लिये दौरा किया ; और

(ख) यदि हां, तो इस दल की क्या प्रतिक्रिया हुई और उत्तर प्रदेश में नलकूपों के बारे में दल ने क्या सुझाव दिये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) केवल उत्तर प्रदेश में ही अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था कीं वित्तीय सहायता पर 800 नलकूप बनाये गये हैं और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के एक लाभ निरीक्षक मिशन ने जून, 1964 में उत्तर प्रदेश का दौरा किया।

(ख) मिशन को इस बात से प्रसन्नता हुई कि उत्तर प्रदेश ने परियोजना के लिये निर्धारित समय के भीतर अनुमानित लागत से कम लागत पर 800 नलकप सफलतापूर्वक बना लिये हैं लेकिन इसक मत था कि राज्य नलकूपों के संचालन और प्रबन्ध पर पुनर्विचार के लिये कड़े कदम उठाये जायें। मिशन ने कहा कि सिचाई वाली खेती के तरीके में सुधार किया जाये ताकि जल संभरण का पूरा लाभ उठाया जा सके।

इन सामान्य बातों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में नलकूपों के बारे में मिशन की विशिष्ट सिफारिशें दो प्रकार की हैं, अर्थात (क) 1.5 क्युसेक की क्षमता से बड़े नलकूप बनाने की संभावना की जांच करने के लिये इंजीनियरी अध्ययन किया जाये ; और (ख) बिजली की दरों पर पुनर्विचार किया जाये ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उपयुक्त समायोजन द्वारा वर्तमान दरों में कोई कमी की जा सकती है।

सड़क दुर्घटनायें

1048. **श्री कृष्णपाल सिंह : क्या परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में कई राज्यों से हो कर गुजरने वाली ग्रांड ट्रंक रोड पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं की संख्या में कमी करने के विचार से सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से क्या कदम उठायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख ी जायेगी।

सर्व श्रेष्ठ गांव

1049. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 28 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1218 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ गांव का चयन किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) मध्य प्रदेश में पूर्व नीमार जिले के, शाहपुर खंड में दपौरा गांव को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ गांव माना गया है ।

सामान्य बीमा सहकारी समितियां

1050. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 28 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1221 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा सहकारी समितियों सम्बंधी अध्ययन दल ने तब से कोई प्रतिवेदन पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) (क) जी, हां ।

(ख) सामान्य बीमा सहकारी समितियों सम्बंधी अध्ययन दल के मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों का सार संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—3207/64]**

(ग) इन सिफारिशों पर सम्बंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना

1051. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी संगठनों ने यह मांग प्रस्तुत की है कि कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अधीन कर्मचारियों को जो चिकित्सा सुविधायें प्राप्त हैं वे उनके परिवारों के सदस्यों को भी प्रदान की जानी चाहियें ।

(ख) क्या किन्हीं राज्यों में ऐसी सुविधायें कमचारियों के परिवारों को दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं ;

विधिमंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथराव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां। इस समय कर्मचारियों के परिवारों के सदस्य, अस्पताल में भर्ती हो कर चिकित्सा कराने के अतिरिक्त, उन्हीं चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था के अधिकारी हैं जो कि कर्मचारियों को दी जाती हैं। अस्पताल में उनके परिवारों के सदस्यों की चिकित्सा की व्यवस्था करना तब तक व्यवहार्य नहीं है जब तक कि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों का निर्माण न हो जाये। बीमा कराये हुए कर्मचारियों में से अधिकांश के परिवारों को अस्पताल में भर्ती हो कर चिकित्सा कराने के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था दो प्रक्रमों में की जाती है। प्रथम प्रक्रम बहिर्वासी रोगी उपचार तक ही सीमित है। दूसरे प्रक्रम में, विशेज्ञों से परामर्श, प्रयोगशाला तथा रेडियोलाजीक्ल परीक्षण और रोगीवाहन सुविधाओं की इसके अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ।

(ग) निम्नलिखित राज्यों में परिवारों की चिकित्सा के लिये निम्न व्यवस्था है :

प्रथम प्रक्रम

(1) केरल (अलगधानगर, अल्लैप्पे, अलवाये, कोचीन, इरनाकुलम, कोट्टायम, मत्तनचेरी, क्विलोन, त्रिचुर और त्रिवेन्द्रम के क्षेत्र)

(2) मद्रास तथा उसके उपनगर, कोयम्बटूर मदुराई, विक्रमसिंहपुरम, मेट्टूर बांध और तूतीकोरन के अतिरिक्त अन्य सब क्षेत्र जहां कि यह योजना क्रियान्वित की गई है ।

(3) महाराष्ट्र (समस्त क्षेत्र जहां कि यह योजना क्रियान्वित की गई है)

(4) उड़ीसा (समस्त क्षेत्र जहां कि यह योजना क्रियान्वित की गई है)

(5) पंजाब (तदेव)

(6) उत्तर प्रदेश (तदेव)

(7) आसाम (तदेव)

द्वितीय प्रक्रम

(1) आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के उन समस्त क्षेत्रों में जहां कि यह योजना क्रियान्वित की गई है और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ।

(2) मैसूर राज्य में बंगलौर में ।

'Freedom from Hunger Movement'

1052. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the programme chalked out for increasing food production by the National Committee appointed for carrying out "Freedom From Hunger" movement, and

(b) whether the Committee has assessed the percent of people living in semi-starved condition in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The programme has three constituents :

(1) *Informational and Educational*

The aim is to arouse public awareness and interest. This is sought to be achieved through feature articles, documentary films, farm broadcasts, rural rallies and the celebration of "Freedom From Hunger Week".

(2) *Research*

This is aimed at clearing the way for specific action projects and is undertaken by State Governments/Research Institutes on the recommendations of the National Committee.

(3) *Action Projects*

The projects aim at increasing food and agriculture production and raising the nutritional standards of the population. These are intended to supplement and reinforce the development efforts already under way in the country. Two of these projects relate to manufacture of scientifically compounded poultry mash and improvement of fruit and vegetable production and are being implemented with the resources of the National Campaign Fund. Eight Projects as per list attached **[Placed in Library See No LT-3208/64.]** have been accepted or are in the process of being accepted by F.A.O. following negotiations with donor organisations in differnt countries. The total foreign assistance envisaged under these eight projects aggregates to $ 10 lakh. The remaining projects are still under the consideration of the F.A.O. The more important of these projects relate to development of poultry and piggery for the purpose of supplying protein rich food, promotion of nutritional diet, application of science and technology for conservation and effective utilisation of food, soil conservation measures, development of fisheries etc.

(b) No such survey has been undertaken by the National Campaign Committee.

फोकर फ्रैंडशिप विमान सेवा

1053. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता-गौहाटी-मोहनबारी तथा कलकत्ता-अगरतला मार्गों पर चलाई जाने वाली फोकर फ्रडशिप विमान सेवा बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस तारीख से तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं कि स्काई-मास्टर विमान कलकत्ता से मोहनबारी तक नहीं चलता अपितु जोरहाट से बरास्ता गोहाटी लौट आता है; और

(घ) क्या कलकत्ता से इम्फाल तक बरास्ता अगरतला तक तथा सिलचर सरकार को फोकर फ्रैंडशिप विमान सेवा चालू करने का प्रस्ताव है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) जी, हां। कलकत्ता/गौहाटी/मोहनबारी मार्ग पर फ्रैंडशिप विमान सेवा के स्थान पर 1 फरवरी, 1664 से वाइकाउन्ट विमान सेवा चालू कर दी गई थी। तथापि 1 जून, 1964 से यह विमान सेवा जोरहाट पर ही समाप्त हो जाती है क्योंकि मोहनबारी हवाई अड्डे पर मरम्मत का कार्य चल रहा है।

क्षमता की कमी के कारण 1 नवम्बर, 1963 से कलकत्ता/अगरतला मार्ग पर फ्रैंडशिप विमान सेवा बन्द करनी पड़ी।

(ग) क्योंकि मोहनबारी हवाई अड्डा इस समय ऐसी अवस्था में नहीं है कि उस पर डकोटा से बड़े विमान उत्तर सकें।

(घ) जब भी कभी एफ–27 किस्म के और विमान उपलब्ध हो जायेंगे तो इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन कलकत्ता/अगरतला/सिलचर/इम्फाल मार्ग पर टर्बो-प्रॉप विमान सेवा चालू करने के प्रश्न पर विचार करेगी।

कन्याकुमारी –मद्रास सड़क

1054. **श्री उमानाथ** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री के हाल ही के मद्रास के दौरे के समय मद्रास सरकार ने उनसे यह अभ्यावेदन किया था कि एक राष्ट्रीय राजपथ के रूप में कन्याकुमारी-मद्रास सड़क के निर्माण कार्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सड़क के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, उस क्षेत्र के लोगों ने यह अभ्यावेदन किया था कि समुद्र तट के साथ साथ मद्रास को कन्याकुमारी से मिलाने वाले एक तटीय राजमार्ग का विकास किया जाये। यह अभ्यावेदन राज्य सरकार के प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था क्योंकि जब यह सड़क बन कर तैयार हो जायेगी तो यह राज्य की एक सड़क होगी। इस समय कन्याकुमारी तक, बरास्ता डिंडीगुल, तिरुचिरापल्ली और मदुराई, एक राष्ट्रीय राजमार्ग विद्यमान है।

कालीकट पर हवाई अड्डा

1055. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट पर प्रस्तावित हवाई अड्डे के स्थल के सम्बन्ध में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कौनसा स्थान चुना गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). कालीकट पर एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिये उपयुक्त स्थल के चयन के प्रश्न की अभी तक जांच की जा रही है।

चावल का समाहार

1056. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने मिज़ो पहाड़ियों की जिला परिषद् द्वारा दिया हुआ कोई प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है जो कि उस जिले के चावल की कमी वाले उन क्षेत्रों के लिये जो कि मानसून के मौसम में अप्रवेश्य होते हैं सर्दियों में चावल जमा करके रखने के और इस प्रकार मानसून के मौसम में विमान द्वारा चावल गिराने के कार्य से बचने के संबन्ध में था ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव, चम्पई से 60 मील की दूरी पर और मिज़ो जिले के औज़ाल नगर से 150 मील की दूरी पर स्थित, कलिम्यो (बर्मा) के रास्ते से बर्मी चावल का आयात करने का है जिससे कि वह बर्मा के बहुत से बन्दरगाहों पर होते हुए बरास्ता कलकत्ता नहीं आयेगा जिसकी कि लागत अधिक बैठती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह निर्णय करना तो राज्य सरकार का कार्य है कि मिज़ो पहाड़ियों में विद्यमान स्थितियों को देखते हुए उस क्षेत्र में चावल का समाहार किया जाये अथवा नहीं ।

(ग) मिज़ो पहाड़ी जिले की बर्मा के साथ लगी सीमा पर होते हुए बर्मा से चावल आयात करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कोकोआ

1057. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास तथा केरल राज्यों के कोकोआ की विदेशों में भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में कोकोआ के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां । मद्रास राज्य के सरकारी गवेषणा केन्द्रों में बहुत ही छोटे पैमाने पर क्रिओल्लो किस्म के ताड़ के पेड़ के उबाले हुए और सुखाये हुए बीजों (क्यूर्ड कोकोआ बीन्स) का उत्पादन किया जाता है; इसके नमूने को स्विटज़रलैंड और बेल्जियम की फर्मों ने बहुत ही ऊंची किस्म का माना था और उसके लिये काफी ऊंचा मूल्य लगाया था । तथापि, केरल राज्य में कोकोआ का उत्पादन बहुत ही कम होता है । विदेशों में इसकी वार्षिक मांग लगभग 5,000 मीट्रिक टन होने की जानकारी मिली है ।

(ख) ततीय पंचवर्षीय योजना में क्रिओल्लो कोकोआ के विकास के लिये एक योजना सम्मिलित की गई है जिसमें केरल राज्य का निर्धारित लक्ष्य 2,000 एकड़ का है तथा मद्रास और मैसूर राज्य की परीक्षणात्मक परियोजनायें उसमें सम्मिलित हैं । केरल राज्य ने योजना

की क्रियान्विति हाल ही में प्रारम्भ की है तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक 500 से 600 एकड़ तक भूमि में इसका उत्पादन हो सकता है ।

केरल, मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में 1900 एकड़ के निर्धारित लक्ष्य की एक योजना को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ।

मार्ग में खाद्यान्न का कम हो जाना

1058. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962–63 के दौरान केन्द्र द्वारा खरीदा गया खाद्यान्न रेल अथवा सड़क द्वारा अन्तर्देशीय परिवहन में एक प्रतिशत से अधिक कम हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस खाद्यान्न का मूल्य कितना था; और

(ग) इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1962–63 में मार्ग में केवल 0.74 प्रतिशत खाद्यान्न कम हुआ था ।

(ख) इससे लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपये की हानि हुई ।

(ग) हांलांकि, खाद्यान्नों को उठाने धरने की व्यवस्था करने में और उनका परिवहन करने में, मार्ग में खाद्यान्न का कम होना अपरिहार्य तथा स्वाभाविक है, फिर भी इस हानि को न्यूनतम करने के लिये अनेकों उपाय किये गये हैं । खाद्यान्नों को लादने और उतारने के समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ।

माल लादने के स्थानों (गोदियों/रेलवे स्टेशनों) से गोदामों तक, जहां कहीं आवश्यक होता है, परिवहन के समय मार्गरक्षकों की व्यवस्था कर दी जाती है ।

खाद्यान्नों को भेजते समय और उतारते समय दोनों ही बार तोल की जाती है ।

रेलवे के विरुद्ध मान्य दावों का रुपया लेने के लिये तुरन्त तथा कड़ी कार्यवाही की जाती है ।

यदि सड़क परिवहन में हुई हानियां परिवहन ठेकेदारों के कार्य के कारण हुई समझी जाती हैं, तो उनके लिये उन ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है ।

कृषि पदार्थ सलाहकार समिति

1059. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पदार्थ सलाहकार समिति की स्थापना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, वह तो निर्णय क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : खाद्य तथा कृषि मंत्री ने हाल ही में प्रधान मंत्री के सचिव श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की है जो कि अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश करेगी कि उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के स्तर पर निरन्तर कृषि उत्पाद के मूल्यों का सुझाव देने के लिये किन आधारों पर एक संस्था की स्थापना की जानी चाहिये। इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् इस मामले पर विचार किया जायेगा।

डेरी उद्योग का विकास

1060. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री दिनाक 28 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2565 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डेरी उद्योग के विकास के लिये डेरी विशेषज्ञों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों की सरकार ने इस बीच जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) संसद् के पुस्तकालय में एक विवरण रख दिया गया है।

सड़क बोर्ड

1061. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन** मंत्री दिनांक 10 मार्च, 1664 के तारांकित प्रश्न संख्या 507 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सड़क बोर्ड की स्थापना करने के सम्बन्ध में इस बीच समस्त राज्य सरकारों की राय प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उन पर केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार के अतिरिक्त, अन्य राज्य सरकारें प्रशासनिक अधिकार प्राप्त किसी केन्द्रीय निकाय के गठित किये जाने के पक्ष में नहीं हैं। तथापि, बहुत सी राज्य सरकारें एक ऐसे केन्द्रीय सड़क बोर्ड की स्थापना के विरुद्ध नहीं है जिसका कार्य केवल सलाह देना हो।

(ग) परिवहन विकास परिषद् की पांचवीं बैठक में इस मामले पर आगे चर्चा की गई थी। परिषद् में यह सिफारिश की सबसे पहले, केन्द्र में तथा राज्यों में दोनों ही जगह, सलाहकार संस्थाओं को स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। इनका नाम सड़क आयोजन बोर्ड रखा जाये तथा ये बोर्ड एक एकीकृत आधार पर देश में सड़कों के विकास

कार्य में सहायता करेंगे । इस सिफारिश के अनुसार इस मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है ।

खारी भूमि पर खेती

1062. **श्री तनसिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में खारी भूमि को कृषि योग्य बनाने और उस पर कृषि करने के कोई परीक्षण किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला; और

(ग) ऐसी भूमि को उपयोग में लाने की क्या योजना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां । मद्रास राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों में तथा लखनऊ विश्वविद्यालय, शीला धर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद तथा खालसा कालेज अमृतसर में ।

(ख) लवण-क्षार वाली भूमि को कृषि योग्य बनाने और उस पर खेती करने के लिये ये उपाय प्रभावकारी पाये गये थे : भूमि में सुधार करने वाले ऐसे पदार्थों को घोल कर मिलाना जैसे कि कार्बनिक पदार्थ, जिप्सम, प्रैस-मड अथवा सीरा और नमक सहन कर सकने वाली फसलों को हेर-फेर कर बोना । ढेंचा, धान, जो और चुकन्दर जैसी फसलें भूमि के खारी तत्व को सहन कर सकीं ।

(ग) जो क्षेत्र कृषि योग्य बना दिये जाते हैं उनमें मिट्टी की किस्म के अनुसार खेती की जाती है ।

Mechanised Farming

1063. Shri Chandak : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have dropped the scheme of mechanised farming ;

(b) if not, whether the Government of Madhya Pradesh had given an assurance to make available one plot of 50,000 acres in the district of Betul ;

(c) whether it is a fact that this offer was examined by the Damle Committee.

(d) whether any decision has been taken by Government with regard to this project ; and

(e) if so, the nature thereof and the grounds on which this decision is based ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) The Government of Madhya Pradesh suggested a plot of 30,000 acres of forest land in Betul district for the establishment of a Central Mechanized Farm.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e). The plot of forest land suggested by the Government of Madhya Pradesh has not been found to be suitable by Damle Committee for establishing a Central Mechanized Farm due to the following reasons :—

(i) Clearing the forest would have taken a long time.

(ii) Absence of irrigation facilities.

(iii) A large portion of the area has got low quality soil which is not conducive to intensive cultivation under mechanized farming.

(iv) Heavy expenditure involved on development of land.

(v) Lack of drainage facilities.

The Government of India has accepted the finding of the Damle Committee.

Reclamation of Chambal Ravines

1064. **Shri Chandak :**
Shri R. S. Pandey :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any discussion has been held with the Government of Madhya Pradesh regarding the reclamation of Chambal ravines ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) the action proposed to be taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) Yes.

(b) and (c) : As a result of these discussions, the Government of Madhya Pradesh prepared a project for the reclamation of 5000 acres of ravine lands at a total cost of Rs. 22.46 lakhs. The State Government have been asked to take up this project from within the additional funds allocated to them for soil conservation programme during 1964-65 on the basis of the existing pattern of financial assistance for such schemes.

महिला पंचायतें

1065. **श्रीमती लक्ष्मीबाई** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या क्या नाम हैं जहां कि सर्व-महिला पंचायतें हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी पंचायतें हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) और (ख). में आंध्र प्रदेश के ग्यारह, महाराष्ट्र में दो तथा पश्चिम बंगाल में एक सब-महिला पंचायतें हैं । आसाम बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान राज्यों में तथा किसी भी संघ राज्य-क्षेत्र में एक भी सर्व-महिला पंचायत नहीं है ।

तीन राज्यों, अर्थात् गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर और उत्तर प्रदेश, के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त होने की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है तथा जानकारी प्राप्त होने पर वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और खादी ग्रामोद्योग केन्द्र, त्रिपुरा

1066. **श्री बीरेन दत्त :**
श्री दशरथ देब :

क्या **समाजिक सुरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में जो खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी ग्रामोद्योग केन्द्र बनाये गये थे उन दोनों ही के सदस्यगण एक ही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन सदस्यों के नाम क्या हैं ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) त्रिपुरा खादी ग्रामोद्योग केन्द्र के अधिकांश सदस्य त्रिपुरा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य ही हैं ।

(ख) त्रिपुरा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित हैं :—

1. श्री एस० एम० सेन गुप्त
2. श्री एन० के० मजूमदार
3. श्री यू० एल० सिंह
4. श्री के० जे० सिंह
5. श्री टी० एम० दास गुप्त
6. श्री के० सी० सेन
7. सचिव, पुनर्वास विभाग
8. रजिस्ट्रार, सहकारी समिति
9. उद्योग निदेशक

खादी ग्रामोद्योग केन्द्र (त्रिपुरा) के सदस्य बोर्ड के प्रथम छः सदस्य तथा श्री सेराजल इस्लाम हैं ।

सफदर जंग हवाई अड्डा

1067. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में सफदर जंग हवाई अड्डे को बन्द किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों और कब ; और

(ग) विमानों के अवतरण के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

असैनिक उड्डयन मन्त्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

रिंग रोड़, दिल्ली

1068. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में रिंग रोड पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण उस सड़क पर रात्रि के समय दुर्घटनाएं प्रायः होती हैं ;

(ख) 1962, 1963 और 1964 में अब तक इस सड़क पर कितनी दुर्घटनाएं हुईं ; और

(ग) सड़क पर बिजली की उचित व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) इस समय रिंग रोड के केवल अलीपुर-माल रोड के भाग पर बिजली का प्रबन्ध किया गया है ।

(ख) 1962, 1963 और 1964 (31 अगस्त तक) रिंग रोड पर क्रमश: 314, 352 और 270 दुर्घटनाएं हुईं ।

(ग) रिंग रोड पर बिजली लगाने के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा रहा है ।

मुनाफे की सीमा निर्धारित करना

1069. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने अनाज पर मुनाफे की सीमा निर्धारित कर दी है, परन्तु उसका मूल्य निर्धारित नहीं किया है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसा करने से अनाज के मूल्य घटते बढ़ते रहेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) दिल्ली प्रशासन ने न तो अनाज पर मुनाफे की सीमा निर्धारित की है और न ही अनाज के मूल्य ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहश्नहीं उठते ।

कोलहार के पास कृष्णा नदी पर पुल

1070. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने हुबली–बीजापुर सड़क पर कोलहार के पास कृष्णा नदी पर पुल बनाने और सात अन्य आर्थिक और अन्तर्राज्यिक महत्व के कार्यों के बारे में निर्माण संबंधी कार्यक्रम भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या लागत है; और

(ग) क्या इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). राज्य सरकार से जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वह केवल 6 परियोजनाओं के बारे में है और इस में कोल्हार के पास कृष्णा नदी पर प्रस्तावित पुल भी शामिल है । इनकी कुल लागत 156.32 लाख रु० होगी । निधियों की कमी के कारण इस मामले में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकी है । तथापि राज्य सरकार को यह सूचना दे दी गई है कि केन्द्रीय सरकार, चालू वर्ष में कोल्हार के पास कृष्णा नदी पर प्रस्तावित पुल के संबंध में सर्वेक्षण, जल संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने, स्थान के बारे में अंतिम निर्णय करने आदि के संबंध में, वित्तीय सहायता देने के लिये तैयार है और यह कि इसके निर्माण के लिये सहायता देने के प्रश्न पर चौथी योजना में विचार किया जायेगा ।

रामपुर में कोसी नदी पर पुल

1071. **श्री कृ० चं० पन्त :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली–बरेली सड़क पर रामपुर में कोसी नदी पर सड़क का पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की अनुमानित लागत क्या है और पुल कब बन कर तैयार हो जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां, पुल का निर्माण कार्य पहले से ही चालू है ।

(ख) अनुमान है कि परियोजना पर 56.80 लाख रु० खर्च आयेंगे और यह जुलाई, 1965 के अन्त तक पूरी हो जायेगी ।

अखिल भारतीय फल और वनस्पति प्रदर्शनी

1072. **श्री कृ० चं० पन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1964 के पहले सप्ताह में नैनीताल में अखिल भारतीय फल तथा बनस्पति प्रदर्शनी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शनी में कितने राज्यों ने भाग लिया ; और

(ग) प्रदर्शनी की मुख्य बातें क्या थीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) चार राज्यों ने फल प्रदर्शनी में और पांच राज्यों ने वनस्पति प्रदर्शनी में भाग लिया ।

(ग) सेब, नाशपाती, अखरोट, बादाम और तेन्दु की अनेक किस्मों का प्रदर्शन किया गया था । कुछ सेब असाधारण रूप से बड़े थे और एक एक सेब का वजन लगभग 700 ग्राम था। पर्यटक एक बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने आये और 11,545 रुपये के पुरस्कार फल प्रदर्शकों को दिये गये।

सेना सहकारी समितियां

1073. **श्री गौरी शंकर कक्कड़ :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्यों में सेवा सहकारी समितियों ने क्या प्रगति की है ;

(ख) कृषि उत्पादन पर सेवा सहकारी समितियों का क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि ऊपर दी गई अवधि में ग्रामीण क्षत्रों में सेवा समिति के सदस्यों के कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) प्राथमिक कृषि ऋण समितिओं (सेवा समितियों) द्वारा की गई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3209/64]**

(ख) सेवा समितियां न केवल ऋण देकर अपितु बीज, उर्वरक, कीटनाशी आदि दे कर भी कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं ।

(ग) ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

सहकारी आंदोलन

1074. **श्री गौरी शंकर कक्कड़** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सहकारी क्षेत्रों में ऋण और विपणन का संबंध बढ़ाने में सहकारी आन्दोलन को कहां तक सफलता मिली है ;

(ख) क्या सहकारी समितियों को बिचौलियों को इन संस्थाओं की सुविधाएं देकर सदस्य बनाने का अधिकार है ; और

(ग) छोटे उत्पादकों को अपनी उपज ले जाने में सुविधा मिले इसके लिये विपणन समितियों के स्थानों के संबंध में किस नीति का पालन किया जाता है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) अब तक केवल सीमित प्रगति की गई है । पता लगा है कि जून, 1963 को समाप्त होने वाले कृषि वर्ष में सहकारी विपणन और परिष्करण समितियों ने अपने सदस्यों की पैदावार की बिक्री में से लगभग 10 करोड़ रुपये के सहकारी ऋण वसूल किये।

(ख) जी, नहीं । सहकारी समितियों को बिचौलियों को सदस्य बनाने का अधिकार नहीं है । तथापि, ऐसे बिचौलिये जैसेकि आढ़तिये , जिन के साथ कृषि उपज के संबंध में विपणन समितियों का व्यापार होता है, प्रवेश शुल्क देकर नाममात्र सदस्य बन सकते हैं, परन्तु उनका कोई अंश नहीं हो सकता है । यदि इन व्यापारी सदस्यों की तरफ विपणन समितियों की कुछ रकम बाकी हो तो सहकारी विधि के अन्तर्गत उनके विरुद्ध मध्यस्थता कार्यवाही की जा सकती है। इन नाममात्र सदस्यों को दूसरे सदस्यों के अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जैसेकि प्रबन्ध में मतदान का अधिकार अथवा समितियों के मुनाफे में भाग लेने का अधिकार।

(ग) विपणन समितियां स्थापित करने के बारे में नीति यह है कि इनके लिये ऐसे केन्द्र चुने जायें जो मान्यता प्राप्त और पुरानी मण्डियां हैं अथवा थोक व्यापार के स्थान हैं। कृषक सदस्यों का वास्ता इन समितियों से सीधे रूप से पड़ता है क्योंकि वे अपनी उपज मण्डी केन्द्रों में ले जाते हैं। तथापि , जहां पर छोटे उत्पादकों के पास बिक्री के लिये काफी मात्रा में फालतू पैदावार नहीं होती, वे ग्राम सहकारी समितियों के द्वारा अपनी थोड़ी पैदावार को बेच सकते हैं। ये समितियां विपणन समितियों से सम्बद्ध होती हैं।

सरकारी जहाजों द्वारा हाथियों का परिवहन

1075. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्दमान द्वीप समूह के वन विभाग ने 1963–64 में खिचाई के कार्य के लिये लगभग 10 हाथी आयात करने के लिये सरकारी जहाज मांगें थे परन्तु जहाजों ने हाथियों को ले जाने से इनकार कर दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस वन विभाग के अधीन काम करने वाले कुछ गैर सरकारी ठेकेदारों ने मार्च, 1964 में "एम० वी० निकोबार" नामक सरकारी जहाज द्वारा कलकत्ता से हाथी आयात किये ; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) ऐसा सुझाव था कि वन विभाग मुख्य भूमि से कुछ हाथी आयात करना चाहता था, परन्तु अधिक लागत को देखते हुए प्रस्ताव को कार्यरूप में नहीं लाया गया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में सड़कों का चौड़ा किया जाना

1076. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बढ़ती हुई जनसंख्या और यातायात की कठिनाइयों को देखते हुए क्या राजधानी में सभी सड़कों को चौड़ा करने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

परिवहन **मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) यातायात की भीड़ में कमी करने के लिये दिल्ली में सड़कों को चौड़ा करने के कार्यक्रम सम्बधित अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये हैं ।

(ख) तीसरी योजना में चौड़ी की जाने वाली सड़कों की सूची संलग्न है [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3210/64**] जैसा कि सूची में दिखाया गया है कुछ सड़कों को चौड़ा करने का काम पहले से ही पूरा हो गया है । शष सड़कों का कार्य या तो जारी है या तीसरी योजना में आरम्भ किये जाने का विचार ह । कुछ सड़कों का कार्य चौथी योजनावधि में आरम्भ किया जायेगा ।

आटा मिलों का बन्द किया जाना

1077. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने आटा मिलों को केवल आयातित गेहूं के पीसने की आज्ञा दी हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयातित गेहूं के न मिलने के कारण अधिकांश मिलें बन्द हो गई हैं ;

(ग) पंजाब सरकार ने आयातित गेहूं की कितनी मात्रा मांगी है ;

(घ) गत तीन महीनों में पंजाब को कितना गेहूं दिया गया ; और

(ङ) पंजाब की आयातित गेहूं की पूर्ण मांग कब पूरी की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) स्वदेशी गेहूं के बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए मार्च, 1964 से गेहूं की वस्तुएं बनाने के लिये देश की सभी आटा मिलों द्वारा मण्डी से स्वदेशी गेहूं खरीदना निषिद्ध कर दिया गया है ।

(ख) आयातित गेहूं की कमी के कारण पिछले कुछ महीनों में पंजाब की आटा मिलें अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर सकी हैं ।

(ग) से (ङ). पंजाब में गेहू उसकी जरूरत से अधिक होता है। गेहूं के जोन बनाने के पश्चात यह देखा गया है कि पजाब सरकार को बड़ी मात्रा में गेहूं देना आवश्यक नहीं है । तथापि, जेलों, अस्पतालों, पुलिस आदि जैसी संस्थाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने 5,000 आयातित गेहूं की मांग की है । केन्द्रीय सरकार ने जुलाई में 5,000 टन गेहूं देने का वायदा किया और इसके अनुसार 100 टन गेहू जुलाई में भेजा गया और 1,000 टन अगस्त में । शेष मात्रा उस समय दी जायेगी जब राज्य सरकार को इसकी आवश्यकता होगी । गत तीन महीनों में पंजाब में बेलन आटा मिलों को दिये गेंहूं की मात्रा और उनके द्वारा पीसे गये गें की मात्रा इस प्रकार है :—

मास	खरीदी गई मात्रा टनों में	पीसी गई मात्रा टनों में
जून	23,861	25,629
जुलाई	14,264	18,861
अगस्त	13,554	13,633

वन अनुसंधान संस्था

1078. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय वन अनुसंधान संस्था, देहरादून को एक विश्वविद्यालय में बदलने के लिये आवश्यक विधान बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ; परन्तु भारतीय वन अनुसंधान संस्था को एक विश्वविद्यालय के कुछ कृत्य देने का प्रश्न विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश द्वारा ट्रैक्टरों का खरीदा जाना

1079. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने, कुछ क्रालर ट्रैक्टरों के आयात करने के लिये केन्द्र से विदेशी मुद्रा की मांग की है ;

(ख) विचाराधीन विशिष्ट मांग क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बंध में कोई निर्छय किया गया र ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) क्रालर ट्रैक्टरों के लिये मध्य प्रदेश सरकार से निम्न मांगें प्राप्त हुई हैं :

योजना का नाम	राशि (लाख रु० में)
(एक) मशीन ट्रैक्टर स्टैशन योजना .	60.00
(दो) तंग घाटी संबधी भूमि सुधार योजना .	15.00
(तीन) लघु सिंचाई योजनाएं .	44.00

मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना के लिये 9 लाख और लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 4 लाख रु० की विदेशी मुद्रा पहल से ही दे दी गई है । राज्य सरकार को हाल ही में कुछ और विदेशी मुद्रा देने की संभावना है ।

खादी के कपड़ों पर छूट

1080. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी के कपड़ों पर विशष छूट देने का विचार है; और

(ख) क्या ऊनी कपड़ों पर भी इस प्रकार की छूट दी जायेगी ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) हालांकि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सुझाव दिया था कि खादी के ऊनी तथा रेशमी कपड़ों की खुदरा बिक्री पर इसी प्रकार की छट दी जाये, परन्तु सरकार ने केवल खादी के सूती कपड़ों की खुदरा बिक्री पर ही यह छूट देने का निर्णय किया है ।

मछली उद्योग का विकास

1081. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय मीन क्षेत्रों के विकास की क्या संभावनायें हैं और बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्यों में उनका वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ख) बिहार को मीन क्षेत्रों का पूर्ण रूप से विकास करने के लिये क्या सलाह तथा सहायता दी गई है ;

(ग) बिहार राज्य ने इस सम्बन्ध में योजना में निर्धारित राशि का अब तक किस सीमा तक प्रयोग किया है ;

(घ) मीन क्षेत्रों के विकास के लिये बिहार में उपलब्ध संसाधनों का पूरा फायदा न उठाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) मीन क्षेत्रों के पूर्ण रूप से विकास किये जाने से बिहार राज्य के राजस्व में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों में मीन क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इन राज्य सरकारों ने मछली उद्योग के विकास के लिये उपलब्ध विभिन्न प्रकार के जलक्षेत्रों का अभी तक कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया है। इन राज्यों में इस समय अन्तर्देशीय जल-क्षेत्रों से मछलियों का वार्षिक उत्पादन इस प्रकार है :—

बिहार	52,000 टन
पश्चिम बंगाल	34,000 ,,
उड़ीसा	25,000 ,,
आंध्र प्रदेश	78,000 ,,
मैसूर	36,000 ,,

(ख) भारत सरकार तकनीकी पहलू से योजनाओं की जांच करती है और स्वीकृत प्रणाली के अनुसार वित्तीय सहायता देती है।

(ग) तीसरी योजना अवधि के केवल पहले तीन वर्षों के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं और वे इस प्रकार हैं :—

लाख रुपयों में

	योजना में निर्धारित राशि	वास्तविक राशि
1961–62 . .	6.50	6.62
1962–63	11.45	7.59
1963–64 . .	8.61	8.67

(घ) मीन क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा एक प्रभावशाली संगठन के अभाव के कारण राज्य में इस दिशा में धीमी प्रगति हुई। परन्तु अभी हाल में बिहार में एक पृथक् मीन क्षेत्र निदेशालय स्थापित किया गया है और यह आशा है कि विकास की गति और अधिक तीव्र हो जायेगी।

(ङ) मीन क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम का उद्देश्य मछलियों का उत्पादन बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व में होने वाली वृद्धि केवल आकस्मिक होगी और इसलिये इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

1082. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने विदेशी सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी योजनायें हाथ में लेने के लिये केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इनमें किन किन योजनाओं को स्वीकृत प्रदान की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) केन्द्रीय सरकार को विदेशी सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में किसी राज्य सरकार से अभी हाल में कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आई० ए० सी० की केरेवैल उड़ानें

1083. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की केरेवैल सेवायें कुछ मार्गों पर बहुत घाटे में चल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे कौन कौन से मार्ग हैं और पिछले छै महीनों में इनमें से प्रत्येक मार्ग पर कितना घाटा हुआ ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की केरेवैल सेवा दिल्ली-मद्रास-दिल्ली मार्ग पर घाटे में चल रही है । फरवरी से जून, 1964 की अवधि में अनुमानतः 10.79 लाख रुपये का घाटा हुआ ।

कलकत्ता पत्तन पर अनाज का जहाज से उतारा जाना

1084. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन पर 1957 से जुलाई 1964 की अवधि में प्रति मास प्रति घंटा प्रति कांटा जहाजों से कितना अनाज ढोया गया ;

(ख) अप्रैल, 1957 से जून, 1964 की अवधि में कलकत्ता पत्तन से 24 घंटों में एक जहाज से अधिकतम कितने टन माल ढोया गया ; और

(ग) 1957 से जुलाई, 1964 की अवधि में कलकत्ता पत्तन से प्रति मास 24 घंटों में एक जहाज से औसतन कितना अनाज ढोया गया ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : : (क) 1957 से जुलाई, 1964 की अवधि में प्रति घंटा प्रति कांटा अनाज ढोने की औसत दर इस प्रकार रही :—

	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964
जनवरी		13.0	12.6	11.3	13.6	12.3	10.6	9.1
फरवरी		13.1	11.9	11.4	11.4	11.9	9.7	9.3
मार्च		12.3	11.6	11.1	13.1	11.1	10.9	9.3
अप्रैल		10.7	11.4	11.3	13.3	11.1	10.3	9.0
मई		11.1	11.6	11.0	11.1	10.0	10.1	8.0
जून	10.4	10.0	11.1	11.3	11.3	9.1	8.7	7.9
जुलाई	10.1	9.0	10.1	10.0	11.1	9.7	9.1	9.00
अगस्त	11.1	9.3	9.4	10.3	11.6	10.0	9.3	
सितम्बर	12.3	10.9	9.3	10.7	11.4	10.1	8.7	
अक्तूबर	11.8	12.4	9.6	10.6	12.0	10.0	9.7	
नवम्बर	13.4	12.6	10.7	12.4	12.3	9.7	9.6	
दिसम्बर	13.4	12.9	11.1	13.9	12.0	11.1	10.0	

(ख) तीन लगातार पारियों में एक दिन में 24 घंटों में एक जहाज से ढोई गई अधिकतम मात्रा 4,305 टन है और यह 30 नवम्बर, 1960 को ढोई गई थी।

(ग) 1957 से जुलाई 1964 की अवधि में कलकत्ता पत्तन से 24 घंटों में जहाज से ढोये गये अनाज की औसतन मात्रा इस प्रकार है :—

	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964
जनवरी		1818	1628	1685	1686	1559	1360	942
फरवरी		1853	1533	1744	1417	1414	1174	950
मार्च		1871	1560	1524	1605	1329	1105	1021
अप्रैल		1625	1437	1521	1652	1282	1113	916
मई		1595	1572	1483	1248	1095	1042	904
जून	1153	1478	1530	1443	1311	932	928	840
जुलाई	1038	1109	1283	1437	1233	1024	1069	916
अगस्त	1092	1284	1150	1287	1452	1102	1084	
सितम्बर	1211	1774	1183	1370	1377	1131	905	
अक्तूबर	1240	1784	1266	1341	1476	1065	1146	
नवम्बर	1331	1804	1604	1880	1500	1087	1144	
दिसम्बर	2043	1786	1622	1606	1496	1384	1211	

1349 (Ai) LSD—7.

Detention Money paid to Ships

1085. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the name of the ships bringing foodgrains to Calcutta and Bombay on which Government had to pay Ports detention money from April, 1958 to August, 1964 as also the money so paid in each case ;

(b) the dispatch money earned by Government in each case ; and

(c) the steps being taken by Government to earn dispatch money and to reduce the payments as detention money ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan) : (a) and (b). About 2400 ships are involved. It is considered that furnishing the required information about each ship will involve considerable effort which would not be commensurate with the possible benefit which might be derived. However, Year-wise figures of demurrage and despatch money are given below :

(*Figures in '000' rupees*)

Yaer	Detention money paid		Despatch money earned	
	Calcutta	Bombay	Calcutta	Bombay
1958-59	119·7	116·4	2284·7	1251·1
1959-60	14.0	4.8	2105.7	986.4
1960-61	244·6	725·8	1973·2	927·4
1961-62	90·6	419·3	1521·2	452·4
1962-63	1299·5	1779·0	889·1	242·2
1963-64	358·7	490·0	1567·8	528·1
1964·65 (upto Aug. 1964)	1136·9	3602·2	255·2	44·5
TOTAL	3264·0	7137·5	10596·9	4432·1

(c) The following steps have been taken to earn more despatch money and to reduce the payments of detention money :—

Bombay port.

(i) Reservation of a fourth priority berth for foodgrain vessels since 25-5-1964.

(ii) Chartering of non-U.S. flag vessels by the Central Chartering Organisation at Delhi from 1-11-1964 to check bunched arrivals of foodships from the U.S.A.

(iii) Double banking of some vessels for discharge.

(iv) Diversion of foodships to Kandla, Madras and other ports to give relief to Bombay.

(v) Additional pneumatic pumps have been commissioned to step up discharge of grain from Tankers.

(vi) Increased allotment of wagons for clearance from the port.

(vii) Discontinuance of the contract system for handling and clearance and getting the work done departmentally since 1-8-1964. Introduction of an incentive scheme of piece work wages for increase

in outturn and grant of certain benefits for greater cooperation of labour.

(viii) Introduction of regular three shift working at the dock and the godowns.

Calcutta port

(i) Supervisory and disciplinary measures by the Dock Labour Board to ensure that labour do not slow down the tempo of work.

(ii) Strength of listed baggers and sttichers has been increased.

(iii) Rational distribution of labour on the various foodships to achieve maximum output.

(iv) Allotment of additional berths to foodships besides the 4 reserved ones as and when necessary with the result that at times even 10 foodships are discharging simultaneously.

(v) Incentive piece rate scheme for foodgrain labour is being devised.

Construction of Aerodrome at Gulbarga

1086. Shri Veerappa : Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct an aerodrome at Gulbarga ; and

(b) if so, the progress made in regard thereto ?

The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo) : (a) and (b). There is no proposal at present for the construction of an aerodrome at Gulbarga.

खाद्य विभाग के कर्मचारी

1087. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या क्या है ; और

(ख) उनमें से कितने स्थायी, अर्ध-स्थायी तथा कितने अभी अस्थायी हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 949 ।

(ख)	स्थायी	755
	अर्ध-स्थायी	84
	अस्थायी	110

ये आंकड़े केवल खाद्य विभाग विशेष के सम्बन्ध में हैं । संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मूल्य उतार-चढ़ाव कोष

1088. **डा० सरोजिनी महिषी :**
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्य उतार चढ़ाव कोष सभी स्तरों पर सहकारी समितियों की किस प्रकार सहायता करेगा ; और

(ख) उस कोष में सरकार का अंशदान क्या होगा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण सहकारी विपणन समितियों द्वारा कृषि उत्पादों की सीधी खरीद से उत्पन्न हुई संभाव्य हानि के प्रति गद्दे का काम करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर सहकारी विपणन समितियों में यह कोष बनाया जा रहा है ।

(ख) सरकार पहले वर्ष में समितियों द्वारा की गई सीधी खरीद के मूल्य का 2 प्रतिशत भाग अंशदान के रूप में देगी परन्तु प्राथमिक विपणन समिति को 20,000 रुपये, राज्य प्रादेशिक विपणन समिति को एक लाख रुपये तथा राष्ट्रीय फैडरेशन को 2.5 लाख रुपये से अधिक अंशदान नहीं दिया जायेगा ।

विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि

1089. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1963 से अगस्त 1964 की अवधि में कितने प्रतिनिधि मण्डल बाहर भेजे गये ;

(ख) उनके विदेशों के दौरे का क्या उद्देश्य था ;

(ग) क्या सभी प्रतिनिधि मण्डलों ने भारत लौटने पर अपने प्रतिवेदन पेश किये थे ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रतिवेदनों में किये गये महत्वपूर्ण सुझाव क्या थे ; और

(ङ) सरकार ने उन पर कहां तक अमल किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम घाट नहर

1090. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम घाट नहर को केरल में बडागरा से माहे तक बढ़ाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) तीसरी योजना अवधि में किस प्रकार का काम पूरा करने का विचार है ; और

(ग) इस वर्ष इस पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने का अनुमान है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केरल राज्य सरकार ने लगभग 6.30 लाख रुपये की लागत से नहर के 7400 फुट लम्बे भाग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है ।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) 2.50 लाख रुपये ।

बुहलर संयंत्र

1091. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यंत्रों द्वारा सामान उतारने, उसे बोरों में भरने तथा बोरों को सीने के लिये कुछ बुलहर संयंत्र खरीदे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) क्या ये संयंत्र बेकार पड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) केवल एक ।

(ग) संयंत्र अस्थायी रूप से बेकार पड़ा है ।

(घ) बम्बई पत्तन पर श्रमिकों के विरोध के कारण यह संयंत्र 1960 में कांडला भिजवा दिया गया और 1961 में उसने वहां पर काम करना आरम्भ कर दिया। बाद में टूट फूट के कारण कुछ पुर्जों को बदलने की आवश्यकता पड़ी और संयंत्र ने काम करना बंद कर दिया । ये पुर्जे अब बाहर से मंगा लिये गये हैं और इंजीनियर लोग इसे ठीक कर रहे हैं । आशा है कि यह संयंत्र शीघ्र ही काम करने लगेगा ।

प्रतिरक्षा मंत्री की अमरीका तथा रूस की यात्रा पर वक्तव्य के बारे में

RE : STATEMENT ON DEFENCE MINISTER'S VISITS TO THE U.S.A. AND THE U.S.S.R.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मिग विमान संबंधी करार में जो बातें रह गयी थीं क्या वह वर्तमान करार में तय हो गयी हैं और क्या यह सच है कि अमरीका हमें एच० एफ० 24 सुपरसानिक जैट इसलिये देने को उत्सुक नहीं है चूंकि हम मिग प्राप्त कर रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अपने व्यावहारिक अनुभव के आधार पर पहले करार में जो कमियां थी उनको पूरा करने के उद्देश्य से बाद में पूरक करार सम्पन्न किये गये हैं ।

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

इन करारों के आधार पर हमें आशा है कि हम मिग संबंधी कार्यक्रमों को दो या तीन वर्षों में पूरा कर सकेंगे ।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं नहीं समझता कि इन दोनों का कोई परस्पर सम्बन्ध है । परन्तु इस विषय में एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या एच० एफ० 24 और मिग विमानों के अतिरिक्त सुपरसानिक विमानों का निर्माण करना आर्थिक दृष्टि से सुकर होगा । अमरीका को हम ने इसके उत्तर में बताया था कि इन विमानों को हम निर्माण करने की दृष्टि से नहीं वरन् अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के लिये प्राप्त करना चाहते हैं ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभनी) : क्या विदेशी मुद्रा की कमी ए० आई० डी० कन्सार्टियम से बिना किन्हीं शर्तों के पूरी हो जायेंगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस का ए० आई० डी० कन्सार्टियम से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस की कमी इन सम्पन्न करारों द्वारा पूरी की जायेगी ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Is the reluctance on the part of both Russia and America to put through the proposals of MIGs and Supersonic planes is due to the fact that both the countries react upon each other in regard to giving defence aid to India, and if so the measures that the Government propose to take in regard thereto ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक मैं समझता हूं दोनों देशों में परस्पर स्पर्धा की भावना नहीं है, यह बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है । रूस जो कुछ दे सकता था उस का उस ने प्रस्ताव किया जिस के लिये उन की शर्तों के अनुसार अदायगी करनी होगी । मिग संबंधी जो करार पहले हुआ था वह अधूरा था ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : विवरण में कहा गया है कि रूस हमें पनडुब्बियां आदि सम्भरित करने के लिये तैयार है । चूंकि अमरीका संसार भर में सर्वोच्च नौसेना शक्ति है इसलिये क्या उन्होंने भी हमें जहाज़ आदि देने के लिये उत्सुकता प्रकट की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अमरीका हमें नौसेना जहाज़ देने में दिलचस्पी नहीं रखता । चूंकि उनके पास वह बेड़े नहीं हैं जो हमें चाहिएं । चूंकि हमारी नौसेना के बेड़े आदि ब्रिटेन के माडल के हैं इसलिये हम उन्हीं से यह प्राप्त करना चाहते हैं । वर्तमान खतरे की दृष्टि से हम नौसेना सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्राथमिकता नहीं देते ।

श्री भगवत झा आजाद : मास्को में मिग विमानों संबंधी करार को सम्पन्न करने से पूर्व क्या अमरीका से सुपरसानिक विमान प्राप्त करने की सम्भाव्यताओं को दृष्टि में रखा गया था । और इस विषय में अमरीका की प्रतिक्रिया क्या थी ? अमरीका ने किस कारण हमारे अनुरोध को अस्वीकार किया ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अमरीका ने हमारे अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया है । मिग विमान सुपरसानिक जैट विमानों के स्थान पर प्राप्त नहीं किये गये हैं । मूल प्रश्न हमारी आवश्यकताओं का है । अमरीका सरकार ने कहा है कि वह यह देखने के लिये कि एच० एफ०–24 विमान का निर्माण करने के लिये किस प्रकार सहायता कर सकती है विशेषज्ञ भेजेगी और एच० एफ०–24 मैक । टाईप विमान के निर्माण में हमारी सहायत करेगी ।

श्री अलवारेस : राष्ट्रपति ने कहा था कि हमें 20 लाख कर्मचारियों की जरूरत है। परन्तु प्रतिरक्षा मंत्री ने युद्ध सामग्री की आवश्यकतायें 8.25 लाख कर्मचारियों के आधार पर ही निर्धारित की हैं। इस का क्या कारण है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सम्भवतः राष्ट्रपति ने अपने अनुमान से ही यह बात कही होगी। यह बात उन्होंने तकनीकी मंत्रणा के आधार पर नहीं कही होगी।

श्री रंगा : क्या इसका यह मतलब है कि स्वयं प्रतिरक्षा मंत्री या प्रधान मंत्री राष्ट्रपति के स्थान पर सर्वोच्च कमांडर बन गये हैं ?

श्री प्र० के० देव : उन्हें यह शब्द वापिस लेने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने तो यही कहा है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अनमान से ही यह बात कह दी होगी।

श्री रंगा : परन्तु मंत्री महोदय का इस प्रकार का कथन अनुचित है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राष्ट्रपति जी ने जो कुछ कहा था उसका मुझे ज्ञान नहीं है। परन्तु मैं उन के कथन पर टिप्पणी नहीं दे रहा हूं।

श्री प्र० के० देव : एक व्यवस्था का प्रश्न है। राष्ट्रपति जो कुछ कहते हैं मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कहते हैं। प्रतिरक्षा मंत्री का यह कहना कि राष्ट्रपति जी ने गलत कहा था या उन्होंने अपने अनुमान से ही कहा था एक गलत उदाहरण कायम करना है। इस लिये यह शब्द वापिस लिये जाने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह कोई टिप्पणी नहीं दे रहे हैं। प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा जो कुछ कहा गया है वह मंत्रालय ने जो वास्तविक निर्धारण किया है उसी के आधार पर कहा गया है। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रंगा : मंत्री महोदय द्वारा अपने शब्द वापिस लिये जाने चाहियें।

श्री भगवत झा आजाद : श्री रंगा ने प्रतिरक्षा मंत्री के कथन में फेरबदल करने का प्रयत्न किया है। उन्हें अपने शब्द वापिस लेने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : किसी को अपने शब्द वापिस लेने की जरूरत नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रतिरक्षा मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि इन करारों के सम्पन्न होने पर भी हम प्रतिरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिये निरन्तर तत्पर रहेंगे।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : निश्चय ही हम आत्मनिर्भर होने के लिये तत्पर रहेंगे।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

दिल्ली में पीने के पानी का दूषित हो जाना

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली में पेय जल के दूषित हो जाने सम्बन्धी स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें मुझे मिली हैं। इस विषय के ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों की सूचनायें भी हैं। मैं समझता हूं कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Speaker, Sir.....

Mr. Speaker : The hon. Member should not stand when I am on my legs. I am telling for the information of all that we will hold a discussion on this matter on 24th of September at 3.30 p.m.

Shri Bagri: I had moved a motion on this subject twice but they were rejected. Now our names may not be included because....

Mr. Speaker : Their names will also be included.

Shri Bagri : But their names should come first...

Mr. Speaker : All the Members shall be equally entitled for taking part in the discussion. The hon. Member will not be put to any disadvantage on that account.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैंने भी इसी विषय के प्रस्ताव की सूचना दी हुई है । क्या उसी के प्रस्तावक की चर्चा आरम्भ करने दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

"केअर" संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये दोपहर के भोजन से स्कूल के कुछ बच्चों की मृत्यु

श्री यशपाल सिंह : मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

> "कुरनूल के निकट एक गांव के स्कूल में कुछ एक बच्चों की दोपहर का भोजन करने के पश्चात् जो कि 'केअर' संगठन से प्राप्त सामग्री से तैयार किया गया बताया जाता है, हुई कथित मृत्यु ।"

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): 25 बच्चों की मौत हो जाने पर हमें बहुत शोक हुआ है । हम ने आंध्र प्रदेश सरकार और 'केअर' के कार्यालय से पूछा है । 'केअर' कार्यक्रम के कार्यप्रभारी अधिकारी हैदराबाद में ही हैं, और वह मामले की जांच के लिये संबंधित गांव में गये हैं। 'केअर' का दोपहर के भोजन संबंधी कार्यक्रम बहुत से राज्यों में चल रहा है और उनके अधिकारी भी प्रत्येक राज्य में मौजूद हैं। जब तक मामले की छानबीन नहीं हो जाती तब तक इस विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस दुर्घटना के वास्तविक कारण क्या हैं। ज्योंही हमें इस विषय में सूचना प्राप्त होगी उसे सभा के समक्ष रखा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : तो मैं इसे कुछ दिन तक स्थगित रखूं ताकि माननीय मंत्री राज्य से पूरी जानकारी प्राप्त कर लें ।

श्री मु० क० चागला : ज्योंही मुझे जानकारी प्राप्त होगी मैं सभा पटल पर रख दूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : 'केअर' प्रशासक श्री डेल हैरीसन ने कहा है कि 'केअर' की ओर से दिया गया खाना खाने पर 25 बच्चों की मौत नहीं हो सकती । परन्तु ऐसा कहने से पूर्व मामले की जांच पूरी तरह होनी चाहिए।

श्री दाजी (इन्दौर) : ऐसी दुर्घटनायें भविष्य में न हों इस के लिये क्या सावधानी बरती जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : जब तक वर्तमान दुर्घटना के कारणों का पता न चल जाय तब तक बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं दिया जायेगा ।

श्री मु० क० चागला : सारे आंध्र प्रदेश में 'केअर' के दोपहर के भोजन का वितरण बन्द कर दिया गया है ।

श्री हेम बरुआ : यह पता लगाया जाना चाहिए कि 'केअर' द्वारा दिया गया भोजन किस अवस्था पर खराब हुआ । चूंकि इस प्रकार की घटना आसाम में भी हुई थी ?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य जांच कार्य के लिये कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। इस समय इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती ।

Shri Bagri : I want to suggest that inquiry into this incident should be held by three departments of Education, Food and Agriculture collectively and not by Education alone.

श्री पें० वैंकटा सुब्बया : माननीय मंत्री संबद्ध राज्य सरकार से मालूम करें कि जो बच्चे अभी खतरे में हैं उन के लिये क्या चिकित्सा व्यवस्था की गयी है ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस बारे में सूचना प्राप्त करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं जानना चाहता हूं कि यह जांच कौन कर रहा है ?

श्री मु० क० चागला : सभी संगत बातों की सूचना प्राप्त कर के सभा के समक्ष रखी जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के बारे में (प्रश्न)

RE. CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE (Query)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): बख्शी गुलाम मुहम्मद की गिरफ्तारी के बारे में मैंने एक ध्य दलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया है हालांकि उन्हें केन्द्र की मंत्रणा से ही गिरफ्तार किया गया है ....

अध्क्ष महोदय : मुझे खेद है कि बार बार बताये जाने पर भी अस्वीकृत प्रस्ताव का प्रश्न इस प्रकार उठाया जाता है । यदि माननीय सदस्य मेरे पास नहीं आना चाहते तो वह मुझे लिख सकते हैं। यह प्रक्रिया का मामला है। इसे इस तरह नहीं उठाया जा सकता ।

श्री हेम बरुआ : चूंकि बख्शी गुलाम मुहम्मद को भारत प्रतिरक्षा नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है इसलिये यह मामला संसद् के क्षेत्र का है ....

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख दें तो मैं विचार कर के आप को उत्तर दूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप हमारा मार्गदर्शन करें ।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए । (**अन्तर्बाधायें**)

Mr. Speaker: So many hon. Members should not stand like this simultaneously.

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री वक्तव्य देने के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना बोलना अनुचित है ।

श्री म० ल० द्विवेदी : मैं आप से क्षमा चाहता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : राज्य सभा में वक्तव्य दिया गया है परन्तु इस सभा में उस के लिये अनुमति नहीं दी जा रही है ।

श्री घाड़े : राज्य सभा में वक्तव्य देने के लिये अनुमति दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही रिकार्ड में नहीं आयेगी । मैं फिर दोहराता हूं कि यदि माननीय सदस्य मेरे किसी निर्णय के साथ सहमत नहीं हैं तो वह मुझे लिख सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हैं । आप हमारा मार्गदर्शन कीजिये । सभा से बाहर तो इन बातों पर चर्चा की जा रही है । प्रधान मंत्री वक्तव्य देते हैं । परन्तु यहां चर्चा तब होगी जब मामले का महत्व ही समाप्त हो जायेगा । हम आप पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : केवल यह कहना काफी नहीं है कि आप मुझ पर आक्षेप नहीं करते । आप को इस प्रकार आग्रह नहीं करना चाहिये । मैं फिर दोहराता हूं कि आप मुझे इस बारे में लिखें तो मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि कोई मंत्रणा दी गई थी अथवा नहीं और फिर कोई अग्रेत्तर कार्यवाही करेंगे ।

श्री हेम बरुआ : काश्मीर का विषय संसद् के क्षेत्राधिकार में है । मैं आप से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह सभा का काम नहीं चल सकता । हो सकता है कुछ माननीय सदस्य मेरे निर्णय से सहमत न हों परन्तु मेरा अनुरोध है ....

श्री हेम बरुआ : जब आप स्वयं समझते हैं कि आप का निर्णय गलत होने की सम्भावना हो सकती है तो क्या आप हमें कुछ कहने का अवसर नहीं दे सकते ? इस विशेष मामले में

समाचारपत्रों में चर्चा हो सकती है। राज्य सभा में वक्तव्य दिया जा सकता है परन्तु इस सभा को मंत्री महोदय से सूचना प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा में जो कुछ हुआ है उससे हमारा सम्बन्ध नहीं है।

श्री हेम बरुआ : जनता ने हमें चुन कर यहां भेजा है परन्तु सरकार हमारी उपेक्षा करती है। हमें विश्वास में नहीं लिया जाता।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य देने सम्बन्धी एक प्रक्रिया है। यदि आप मुझे लिखें तो मैं इस बारे में सूचना प्राप्त करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : हम आप पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं। जनता हमें यहां पर चुन कर भेजती है। यदि राज्य सभा में वक्तव्य दे दिया जाता है और यहां पर उस के लिये अनुमति नहीं दी जाती तो उस का अर्थ यही है कि हमारी उपेक्षा की जा रही है। हम यही जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्र ने राज्य से बख्शी गुलाम मुहम्मद को गिरफ्तार करने की मंत्रणा दी थी ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस विषय पर चर्चा के लिये अनुमति देने में और मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिये कहने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मुझे माननीय सदस्यों के व्यवहार पर अवश्य आपत्ति है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इसके लिये खेद प्रकट करता हूं।

श्री हेम बरुआ : हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप अब कृपया मंत्री से वक्तव्य देने के लिये कहें।

अध्यक्ष महोदय : क्षमा मांगने का तरीका यही है कि आप मुझे इस विषय में लिखें।

श्री भगवत झा आजाद : क्या सरकार के लिये यह उचित है कि राज्य सभा में इस महत्व-पूर्ण मामले सम्बन्धी वक्तव्य दे दिया जाय और उस सभा में न दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मेरा विनिर्णय स्पष्ट है। मैंने कई बार कहा है कि इस सभा को कम दर्जा नहीं दिया जाना चाहिये। वैसे दोनों सभाओं की स्थिति में कोई अन्तर नहीं है। दोनों के अधिकार समान हैं। परन्तु चूंकि इस सभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं इसलिये इस सभा का विशेष रूप से सम्मान किया जाना चाहिये। यदि राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया जाता है तो वह यहां भी दिया जाना चाहिये। परन्तु मुझे इस बारे में आपत्ति है कि राज्य सभा की कार्यवाही की यहां चर्चा की जाती है। उस सभा के अपनी प्रक्रिया है और यहां की अलग है। यदि कोई माननीय सदस्य यह महसूस करता है कि वहां पर वक्तव्य दिया गया है और यहां पर नहीं दिया गया और कि यह मामला केन्द्र के क्षेत्राधिकार का है आदि आदि, तो इस बारे में मुझे लिखना चाहिये। यह एक प्रक्रिया का मामला है जिस का मैं उल्लंघन नहीं करूंगा।

श्री श्यामलाल सर्राफ (नाम-निर्दिष्ट—जम्मू तथा काश्मीर) : हम तो यही जानना चाहते हैं कि क्यों वहां पर वक्तव्य दिया गया और इस सभा में नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं कि यदि राज्य सभा में वक्तव्य दिया गया है तो यहां भी दिया जाना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मुझे खेद है कि प्रश्न इतने पूछे गये कि मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर सका।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक दुविधापूर्ण स्थिति में डाल दिया गया है। यदि सरकार राज्य सभा में एक वक्तव्य देती है तो उसकी सूचना मुझे मिलनी चाहिये। मैं यहां पर वक्तव्य देने की अनुमति नहीं देता और वही मंत्री राज्य सभा में वक्तव्य दे देते हैं। यदि गृह-मंत्री ने वहां वक्तव्य दिया है तो सचेतकों में तालमेल होना चाहिये और मुझे बताया जाना चाहिये कि वक्तव्य दिया गया है ताकि मैं इस दुविधापूर्ण स्थिति में न पड़ूं।

श्री रंगा (चित्तूर) : अच्छा होता कि आप अपना निर्णय देने से पहले सरकारी पक्ष से परामर्श कर लेते। इससे यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता था कि गृह-कार्य मंत्री वक्तव्य देने के लिये तैयार थे परन्तु मैंने इस पक्ष की ओर मुंह नहीं फेरा क्योंकि उसमें प्रक्रिया के विरुद्ध जाने का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त था।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैंने अथवा गृह-मंत्रालय के मेरे किसी अन्य सहयोगी ने राज्य सभा में कोई वक्तव्य नहीं दिया और न ही सरकार ने राज्य सभा को ऐसे वक्तव्य के दिये जाने की सूचना भेजी थी। वास्तव में प्रश्नकाल के समय हमें आगे जानकारी प्राप्त हो गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उसी के आधार पर प्रधान मंत्री ने पूछे जाने पर वह जानकारी दे दी। मेरे पास भी उस वक्तव्य की एक प्रति है और मैं उसे सभा को दे सकता हूं। मैं उसे यहां पर पढ़े देता हूं। यह जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा हमें भेजा गया है। राज्य अधिकारी पिछले कुछ अरसे से भ्रष्टाचार के कुछ मामलों तथा अन्य आपराधिक मामलों की छानबीन कर रहे थे जिनमें बख्शी गुलाम मुहम्मद का हाथ होने का सन्देह था। बख्शी गुलाम मुहम्मद ने उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से पहले ही ऐसे कार्य करने शुरू कर दिये जिनसे राज्य में बदअमनी फैलने का खतरा था। आर्थिक विकास के ऐसे नाजुक दौर में ऐसे विघटनकारी कार्यों से समुदाय के सामान्य जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने का अन्देशा था। राज्य सरकार ने व्यवस्था तथा शांति बनाये रखने के लिये ही इन लोगों की समाजविरोधी कार्रवाइयों को रोकने का फैसला किया। इसीलिये वहां की सरकार ने बख्शी गुलाम मुहम्मद तथा छै अन्य व्यक्तियों को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह कदम केन्द्र की सलाह से उठाया गया है अथवा स्वयं राज्य सरकार ने अपनी ओर से यह कदम उठाया है ?

श्री नन्दा : हमारी जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है और जब यह कदम उठाया गया तब हमें कोई जानकारी नहीं थी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चीन के साथ पत्रों का आदान-प्रदान

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं श्री स्वर्ण सिंह की ओर से निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारत स्थित चीन के दूतावास को दिनांक 9 सितम्बर, 1964 को दिये गये नोट की एक प्रति।

(2) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय पैकिंग द्वारा 27 जुलाई, 1964 को चीन में भारत के दूतावास को दिये गये नोट की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी०** 3199/64]

बड़े पत्तन न्यास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिनाक 1 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 967 में प्रकाशित मरमागांव पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ।

(2) दिनांक 1 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 968 में प्रकाशित मरमागांव पत्तन न्यास (प्रन्यासियों की फीस और भत्तों का भुगतान) नियम 1964 [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 3200/64]

नौसैनिक उत्सव सेवा की शर्तें तथा विविध विनियम, 1963

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत दिनांक 3 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ०, 22 ई में प्रकाशित नौसैनिक उत्सव, सेवा की शर्तें तथा विविध विनियम, 1963 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 3201/64]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

"मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का निदेश मिला है कि संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1964 को, जो लोक-सभा द्वारा अपनी 24 अप्रैल, 1964 की बैठक में पारित किया गया था, राज्य सभा ने अपनी 18 सितम्बर, 1964 की बैठक में निम्नलिखित संशोधन सहित पारित किया है :—

खंड 1

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:—

"(2) यह 1 जून, 1964 से लागू समझा जायेगा ।"

[सचिव]

खंड 3

2. पृष्ठ 2, पंक्ति 4 से 7,

"ऐसे सदस्य को जिसका सामान्य निवास स्थान उस स्थान से जहां संसद् का सत्र हो रहा है या जहां समिति की बैठक हो रही है रेल अथवा सड़क से सात सौ किलोमीटर से अधिक दूरी पर है।" शब्दों को निकाल दिया जाये।

खंड 4

3. पृष्ठ 2, खंड 4 निकाल दिया जाये।

अतः मुझे राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसरण में इस प्रार्थना के साथ कि उक्त संशोधनों के प्रति लोक-सभा की सहमति इस सभा को सूचित कर दी जाये यह विधेयक लोक-सभा को वापिस लौटाना है।"

संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भते (संशोधन) विधेयक 1964

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL, 1964

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाए गए रूप में

सचिव : मैं संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भते (संशोधन) विधेयक, 1964 को, जो राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया है, सभा पटल पर रखता हूं।

भाण्डागार निगम (अनुपूरक) विधेयक

WAREHOUSING CORPORATIONS (SUPPLEMENTARY) BILL

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 में अनुपूरक उपबन्ध बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भांडागार निगम अधिनियम, 1962 में अनुपूरक उपबन्ध बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)--जारी

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL)--*contd.*

श्री सुब्बरामन (मदुरै) : जहां तक मांग संख्या 69 का सम्बंध है, अधिकांश मामलों में सरकार के विरुद्ध दायर किये गये मामलों में न्यायालयों द्वारा ठेकेदारों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। ऐसा लगता है कि ठेकेदारों के साथ किये गये समझौते में कोई न कोई त्रुटि रह जाती है अथवा इन विभागों के प्रभारी अधिकारी समझौते की शर्तों का ठीक तरह से पालन कराने में असमर्थ हैं। कारण चाहे जो भी हो, सरकार को भविष्य में ऐसे मामले नहीं होने देने चाहिये।

मांग संख्या 37 पर बोलते हुए मैं कहूंगा कि सरकारी ट्रकों तथा कारों का बीमा कराया जाना चाहिये और उनके कारण हताहत व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिये। "दिल्ली" से संबंधित मांग संख्या 53 के बारे में मेरा कहना है कि सरकार को गैर सरकारी संस्थाओं को दिल्ली में कालेज खोलने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि वे दिल्ली में दो और कालेज खोलने के लिये तैयार हो सकें।

मांग संख्या 93 "विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय" के बारे में है। यह बहुत ही सराहनीय है कि उन्हें विभिन्न विकास कार्यों में लगा दिया गया है। परन्तु कुछ विस्थापित व्यक्तियों का जिन्हें कोयम्बटूर तथा मदुरै जैसे दूर के स्थानों में भेजा गया है, रवैया उचित नहीं है क्योंकि वे अपनी खेती के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसके विपरीत, बर्मा से आये व्यक्ति सरकार को उन्हें बसाने के मामले में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं।

मांग संख्या 129 पर बोलते हुए मैं कहूंगा कि भारतीय सीमेंट निगम की स्थापना गैर सरकारी उद्योगों को चेतावनी देने में सहायक सिद्ध होगी और वे कम लागत पर अपना सीमेंट उत्पादन बढ़ाने के लिये मजबूर हो जायेंगे। मांग संख्या 139 हवाई अड्डों का विस्तार करने के बारे में है। कैरेवेल सेवाएं घाटे में चल रही हैं। इसलिये सरकार को वेगमपेट हवाई अड्डे का विस्तार शीघ्र ही शुरू कर देना चाहिये ताकि इस हानि को कुछ हद तक रोका जा सके।

योजना मंत्री श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, ऐसा संभव है कि समझौते में त्रुटि होने के कारण हमें मामला हारना पड़ता है परन्तु हमारे द्वारा किये गये समझौते चाहे कितने ही त्रुटिहीन हों फिर भी एक आध मामले में सरकार द्वारा मामला हार जाना स्वाभाविक है। हमारा प्रयास यही होगा कि ऐसे मामले कम से कम हों।

उत्तर प्रदेश के अधिकांश सदस्यों ने उस राज्य को कम मात्रा में अनाज के संभरण के बारे में सरकार की बड़ी आलोचना की है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री पर सारे देश की जिम्मेदार है और उसको दृष्टि में रख कर ही कोई कदम उठाना होता है। तथ्य यह है कि राज्य सरकार तथा केन्द्र के बीच विचार विमर्श के पश्चात अगस्त से उत्तर प्रदेश को प्रति मास 1,05,000 टन गेंहू देने का फैसला किया गया था। अगस्त में इस समझौते के आधार पर जो गेंहू उस राज्य को दिया जाना था उससे भी 16,000 टन अधिक गेंहू उस राज्य को दिया गया। सितम्बर में, कुछ मजबूरन परिस्थितियों के कारण, महीने के प्रारम्भ के दिनों में हमारी आशा से कम गेंहू का आयात किया जा सका। फिर भी 20 सितम्बर तक उत्तर प्रदेश को 55,000 टन गेंहू दिया गया। अब स्थिति प्रतिदिन सुधरती जा रहीं है। उत्तर प्रदेश को विभिन्न पत्तनों से प्रति दिन लगभग 4,000 टन गेंहू भेजा जा रहा है। इस प्रकार इस महीने के अन्त तक उस राज्य को 95,000 टन गेंहू प्राप्त हो जायेगा। यदि इसमें

[श्री ब० रा० भगत]

अगस्त में अधिक मात्रा में भेजे गये 16,000 टन गेंहू को शामिल कर दिया जाये तो यह 1,05,000 टन से अधिक हो जायेगा । इसलिये यह आरोप लगाना उचित नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने अपना वचन पूरा नहीं किया है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री महोदया कुछ कहती हैं और केन्द्रीय खाद्य मंत्री उसका खण्डन करते हैं परन्तु तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश में लोग भूखे मर रहे हैं । हमें इसका उत्तर चाहिये ।

श्री ब० रा० भगत : इस सभा के सदस्यों को सारे देश के बारे में सोचना है जब कि एक मुख्य मंत्री को अपने राज्य की अधिक चिन्ता हो सकती है । अतः माननीय सदस्यों को कुछ कहने से पहले सब पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिये । अब गेंहू के आयात करने में कोई कठिनाई नहीं है और आशा है कि अक्तूबर में लगभग 700,000 टन गेंहू का आयात किया जा सकेगा । अगस्त अथवा सितम्बर में आयात किये गये गेंहू की मात्रा से यह मात्रा बहुत अधिक है । अतः उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों को गेंहू में आगे कोई कठिनाई पेश नहीं आयेगी ।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : मेरी राय में उत्तर प्रदेश में यह स्थिति उत्पन्न होने का कारण समय पर गेंहू का न दिया जाना है ।

श्री ब० रा० भगत : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को केन्द्रीय सरकार की मजबूरी का भी ध्यान है । आयल इंडिया तथा विदेशी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में एक तेल शोधनशाला स्थापित करने सम्बंधी समझौते देश के लाभ की दृष्टि से बहुत ही अच्छे समझौते हैं । जहां तक आयल इंडिया का सम्बंध है, बर्मा आयल कम्पनी तथा आसाम आयल कम्पनी में सरकार का हिस्सा 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है । अशोधित तेल के अधिकाधिक उत्पादन से यह काम सरकार को बहुत लाभदायक सिद्ध होगा । इस प्रारम्भिक अवस्था में उन्हें 9 प्रतिशत की गारंटी का दिया जाना अधिक नहीं है । तेल की खोज अथवा तेल साफ करने के काम में हमें अभी विदेशी सहयोग की आवश्यकता है । यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि यह विदेशी कम्पनी कोचीन तेल शोधनशाला में 25 प्रतिशत की भागीदार पर सहयोग देने के लिये तैयार हो गई है । समझौते की एक शर्त यह भी है कि स्वदेशी अशोधित तेल के उपलब्ध होने पर उसे विदेशी तेल पर तरजीह दी जायेगी । शोधनशाला पर अधिक खर्चा होने की बात भी गलत है क्योंकि शोधनशाला के निर्माण पर 13 करोड़ रुपये ही खर्च होंगे जोकि किसी अन्य शोधनशाला की तुलना में अधिक नहीं हैं ।

मुझे आशा है कि सभा इन अनुपूरक मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी ।

श्री प्र० के० देव : उड़ीसा कांड के बारे में सरकार को दिये गये स्मरण-पत्र पर सरकारी पक्ष की ओर से कोई प्रकाश नहीं डाला गया है कि सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मांग संख्या 131 पर बोलते हुए मैंने कलकत्ता तथा मद्रास में प्रवर्तन निदेशालय की शाखा द्वारा तलाशी लिये गये कुछ मामलों का उल्लेख किया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि ये छापे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मारे गये थे अथवा वाणिज्य कराधान विभाग द्वारा ।

श्री ब० रा० भगत : इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । मैं बाद में उन्हें यह जानकारी दे दूंगा ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 7 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Cut motion No. 7 was put and negatived.

अन्य सब कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the other cut motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1964-65 के लिये सामान्य आयव्ययक के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांग मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The followings Demands for Supplementary grants in respect of the Budget (general) for 1964-65 were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
53	दिल्ली	50,00,000
78	पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,43,44,000
93	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	4,25,00,000
126	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	1,000
129	उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	10,00,000
131	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय का पूंजी व्यय	50,00,000
134	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी व्यय	8,25,000
136	इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का पूंजी व्यय	1,000
139	असैनिक उड्डयन मंत्रालय का पूंजी व्यय	1,000
141	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी व्यय	1,00,00,000

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं, श्री अ० कु० सेन की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधियिम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह एक अविवादस्पद विधेयक है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 (3) के अन्तर्गत भारत की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में निवासी समझा जाता है और इसलिये वे अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं । हालांकि सेवा की आवश्यकताओं के कारण, वे सामान्यतया मतदाता सूचियों की तैयारी अथवा पुनरीक्षण के समय वहां निवासी नहीं होते हैं । इसी कारण उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के मातहत डाक द्वारा अपना मत भेजने का अधिकार प्राप्त है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.*]

ये सुविधाएं राज्यों के सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को उपलब्ध नहीं हैं जब कि वे अपने राज्य के बाहर सेवा कर रहे हों । केरल राज्य के मालाबार विशेष पुलिस बल के एक दस्ते तथा विशेष सशस्त्र पुलिस बलों के एक दस्ते नागालैंड राज्य के सीमान्त क्षेत्रों में तैनात किया गया है । ये लोग जिनकी संख्या लगभग 3000 है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों के उपबन्धों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं । अतः राज्य सरकार ने केन्द्र से उन्हें ये सुविधायें प्रदान करने के लिये कहा है ।

कई अन्य राज्यों के सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्य भी अपने राज्यों से बाहर अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं । अपने राज्य से बाहर सेवा कर रहे राज्यों के सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों तथा भारत की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के कार्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । इसलिये ऐसे लोगों को निर्वाचन विधि द्वारा मत देने की सुविधाओ से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है । परन्तु अपने राज्य की सीमाओं के अन्दर सेवा कर रहे सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं की जायेगी ।

वर्तमान संशोधन विधेयक ये सुविधाएं देने के उद्देश्य से लाया गया है । इस विधेयक को इस इस समय लाने का कारण यह है कि फरवरी, 1965 के मध्य में केरल राज्य में चुनाव होने वाले हैं । मेरा सभा से निवेदन है कि वह इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : गोंडा चुनाव के मामले से यह बात साबित हो गश गई हैं कि भारत में चुनाव प्रजातंत्र के प्रति मजाक मात्र रह गये हैं । यदि सरकार लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना चाहती है तो वह वह व्यापक होना चाहिए । केवल केरल में निकट भविष्य में होने वासू चुनावों में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं है ।

यद्यपि यह विधेयक विवादास्पद प्रतीत नहीं होता किन्तु यह शरारतपूर्ण उद्देश्य से लाया गया है । इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये यह तर्क दिया गया है किस शस्त्र सेनाओं के सदस्यों को दी गई डाक द्वारा मतदान करने की सुविधा को सशस्त्र पुलिस बल पर भी लागू किया जाये क्योंकि कभी कभी उन्हें अपने राज्य के बाहर कार्य पर भेजा जाता है जिस से वे अपने मत देने के

अधिकार से बंचित रह जाते हैं। विधेयक के पारित हो जाने पर वे अपने मताधिकार का पूर्ण प्रयोग कर सकेंगे। किन्तु तथ्य यह है कि कि पुलिस बल राज्य का मामला है। प्रायः पुलिस में उसी राज्य के लोग भर्ती किये जाते हैं। इस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही बाहर भेजा जाता है। अतः यह तर्क निराधार है।

यह बात अनुभव के आधार पर कही जा सकती है कि सशस्त्र सेना के सदस्यों द्वारा डाक से किया गया मतदान गुप्त नहीं रह सकता है क्योंकि उन्हें अपने अधिकारियों की उपस्थिति में मत देना पड़ता है। इस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये मत अपनी इच्छानुसार नहीं दिये जाते हैं क्योंकि उन्हें ये मत सत्तारूढ़ दल को ही देने पड़ते हैं। अतः हमें आशंका है कि वर्तमान विधेयक सत्तारूढ़ दल द्वारा इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि वे केरल के आगामी चुनावों में सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों के मतों के बारे में आश्वस्त होना चाहते हैं।

अ त में मैं इस बात को फिर कहता हूं कि यदि सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में वास्तव में संशोधन करना चाहती है तो एक व्यापक विधेयक सभा में लाया जाये क्योंकि यह समूचा अधिनियम त्रुटियों और कमियों से भरा है।

श्री वारियर (त्रिचूर): मैं माननीय मित्र श्री प्र० के० देव द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करता हूं। यदि विधेयक को बिना चर्चा किये हुए पारित करना था तो इसे सभा के सामने लाने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों से इसके बारे में परामर्ष अवश्य कर लना चाहिए था। यह सर्व-विदित है कि सशस्त्र सेना के सदस्यों द्वारा डाक द्वारा किया गया मतदान गोपनीय नहीं रह सकता है। यही बात सशस्त्र पुलिस बल के उन सदस्यों के पर भी लागू होगी जो डाक द्वारा अपना मत देंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए खुले रूप से सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध अपना मत नहीं दे सकता है। ऐसा करने से उसे अपनी नौकरी जाने का भय बना रहेगा। अतः सरकार जब तक ऐसा कोई तरीका नहीं निकालगी जिससे मतदाताओं को, विशेषतः सशस्त्र बलों के सदस्यों को, यह विश्वास दिलाया जा सके कि उन के मत गोपनीय रहेंगे, सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध सुविधा, सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को देने का कोई लाभ नहीं होगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में यह है कि चुनाव के उम्मीद-वारों को मतदाताओं से सम्पर्क स्थापित करने का अवसर दिया जाये। जब तक उन्हें इस प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता तब तक प्रजातंत्रात्मक प्रणाली से चुनाव करने का दावा करना बेकार है। मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा अपने विचारों से अवगत कराना अनिवार्य है।

Shri S. N. Chaturvedi (Ferozabad) : Mr. Deputy Speaker the Bill under discussion before the House is simple and non-controversial. The only purpose of the Bill is to amend the Representation of the People Acts with a view to bring the members of the Armed Police Forces on a par with the members of the Armed Forces in the matter of voting by postal ballot.

I am well aware of the Gonda elections. There is no complaint of tempering ballot papers in that election. There has been not a single instance in the past where pressure was exerted in any form on the members of Armed Forces etc. with a view to compelling them to cast their votes in favour of the candidates belonging to the ruling party.

श्री स० मो० बनर्जी : सभा में कम से कम गणपूर्ति तो होनी ही चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बज रही है. . . अब आशापूर्ति हो गई है । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

Shri S. N. Chaturvedi : The Members of the opposition party should not have any apprehensions in their minds. The fears in this respect are unwarranted. With these words I support the Bill.

Shri Bade (Khargone) : Mr. Deputy Speaker, the provision of giving the right of voting to the Armed Police Forces when they are posted outside their respective States, is commendable. But generally it happens that whenever the ruling party feels that its candidate is on the verge of defeat in the election,it exerts pressure on the Government employees to compel them to vote for the candidate of the ruling party. It seems that the present Bill is being brought forward with a similar purpose in view.

The Government should ensure that the provisions of the Bill will not be misused for the benefit of any particular party. If it is so, it will serve a laudable purpose and it should have been brought forward much earlier.

Shri A. S. Saigal (Jangir) : It is wrong to say that this Bill is being brought forward for the benefit of any particular party. The Bill is simple one. The only purpose of the Bill is to amend the Representation of the People Acts with a view to bring the members of the Armed Police Forces on a par with the members of the Armed Forces in the matter of voting by postal ballot. It is not proper to say that pressure is exerted on the voters casting their vote by postal ballat to vote for a particular party. Everybody is free to vote for the candidate of his choice.

With these words I support the Bill.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : We are given assurance of secret ballot. But secrecy of voting cannot be maintained by postal ballot. I can say with my own experience that nearly 99 percent of the votes caste through the postal ballot go in favour of the candidate belonging to the party in power, because the voters are afraid to caste their votes in favour of the candidate other than the one belonging to the ruling party. The Government should device some mathod to maintain secrecy in postal ballots.

Our voting system is defective. A situation has not yet been created in our country in which people are free to cast their votes to the candidate of their liking. In this situation, the provisions for postal ballot are likely to be misused.

Under the above circumstances, if at all the Government is very keen to see that the present Bill be passed it should be brought forward after the next Kerala elections.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रस्तुत विधेयक द्वारा पुलिस बल के उन कर्मचारियों के लिये, जो अपने राज्यों से बाहर अन्य स्थानों पर तैनात रहते हैं, मत देने की व्यवस्था करना सराहनीय कार्य है । किन्तु यह सर्वविदित है कि डाक द्वारा भेजे गये मत मतदाता की अपनी स्वयं की राय नहीं होती है । प्राय: कोई सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी जाने के भय से सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध अपना मत नहीं दे सकता है । वर्ष 1957 में मेरे चुनाव के समय मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1800 पुलिस कर्मचारियों ने, जो मतदाता थे , किसी को भी अपना मत नहीं दिया क्योंकि वे

सत्तारूढ़ दल को मत देना नहीं चाहते थे और मुझे मत न देने के लिए उन पर दबाव डाला गया था । अतः भारत जैसे प्रजातंत्र में ये 1800 पुलिस कर्मचारियों को अपने मताधिकार से वंचित होना शोभनीय बात नहीं है । गोंडा के चुनाव में जो कुछ हुआ है वह सर्व विदित ही है ।

इन सब बातों को देखते हुए भी यह समझ में नहीं आता कि उन लोगों को अन्य लोगों के साथ स्वतंत्ररूप से मतदान करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती और डाक द्वारा मतदान प्रणाली अपनाने के लिये क्यों मजबूर किया जाता है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे जिससे गोंडा चुनाव जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सराहनीय बात है कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया है। विधेयक के उपबन्धों पर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा आपत्ति भी की गई है । उन सदस्यों द्वारा यह आशंका करना कि डाक द्वारा भेजे गये मत पत्र गोपनीय नहीं रह सकते और सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य स्वतंत्र रूप से तथा स्वेच्छापूर्वक मतदान नहीं कर सकेंगे, अनुचित है । मतदाता निर्वाचन अधिकारी को अथवा अन्य किसी व्यक्ति को मतपत्र दिखाने के लिये बाध्य नहीं है और न ही उससे किसी को यह बताने के लिये कहा जाता है कि उसने अपना मत किसको दिया है ।

कुछ माननीय सदस्यों का यह सोचना भी गलत है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य डाक द्वारा किये गये मतदान के कारण ही विजयी होते हैं। आज तक डाक द्वारा दिये गये अपने मतों के बारे में न तो कोई निर्वाचन याचिका ही पेश की गई है और न ही मतदाताओं पर किसी प्रकार का दबाव डालने की शिकायत मिली है । यह विधेयक लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों को भी अन्य भारतीय नागरिकों की भांति अपने मताधिकार का उचित अवसर देना है ।

श्री प्र० के० देव ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को संशोधन करने वाला एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने की मांग की है। आवश्यकता पड़ने पर ऐसा किया जायेगा ।

देश के सभी दलों का यह कर्त्तव्य है कि वे सब मिलकर एक राजनीतिक सदाचार और सार्वजनिक नैतिकता कायम करने के लिये कोई तरीका निकालें और उसको कार्य रूप दें ।

मुझे आशा है मेरे इस उत्तर से अब सभी सदस्य संतुष्ठ हो गये होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृतव हुआ :

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे । क्या श्री कु० कृ० वर्मा खंड पर अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री कु० कृ० वर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

[श्री कु० कृ० वर्मा]

मेरा अनुरोध है कि सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को डाक द्वारा मतदान करने का प्राप्त अधिकार केवल राज्य से बाहर तैनात सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों को ही नहीं वरन् सभी सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों को दिया जाना चाहिये चाहे वे अपने राज्य के अन्दर ही काम करते हों।

श्री जगन्नाथ राव : मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अपने राज्यों से बाहर तैनात सशत्र पुलिस बल के सदस्यों को डाक द्वारा मतदान का अधिकार देना है। यदि राज्य के अन्दर काम करने वाले सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों को यह अधिकार दिया जाये तो यह अधिकार सभी सरकारी कर्मचारियों को देना पड़ेगा। इस मामले में भेद भाव की नीति अपनाना संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकुल होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन पर जोर देना चाहते हैं।

श्री कु० कृ० वर्मा : जी, नहीं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was then added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विधिमान्य निविदा (अन्तर्लिखित नोट) विधेयक

LEGAL TENDER (INSCRIBED NOTES) BILL

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

> "कि मुद्रा तथा अन्य ऐसे नोटों की परक्राम्यता को, जिन पर राजनैतिक सन्देश अन्तर्लिखित है, सीमित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य साधारण तथा विवाद रहित है। विधिमान्य निविदा (अन्तर्लिखित नोट) अध्यादेश, 1942 में यह उपबन्ध है कि भारत सरकार के करेंसी नोटों, भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये बैंक नोटों और भारत सरकार के एक रुपये वाले नोटों पर यदि कोई राजनैतिक शब्द, अभ्यावेदन, अथवा संदेश लिखे होंगे तो वह विधिमान्य निविदा नहीं रहेंगे और भारत का रिजर्व बैंक ऐसे नोटों को स्वीकार करने अथवा उनके बदल में नये नोट देने के लिये कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

यह अध्यादेश देश में इस समय केवल उन क्षेत्रों पर लागू है जो राज्यों के पुनर्गठन से पहले भाग क और भाग ग राज्य थे। यह केवल ब्रिटिश भारत पर लागू था। यह भाग ख राज्यों पर, जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व रियासतें थीं, लागू नहीं था। कदाचित यह इसलिये किया गया होगा कि कुछ रियासतों की अपनी स्वयं की करेंसी थी। किन्तु अब वह बात नहीं रही है क्योंकि सारी रियासतें भारत में विलय हो चुकी हैं। अतः यह अनिवार्य हो गया है कि विधिमान्य निविदा (अन्तर्लिखित नोट) अध्यादेश, 1942 सारे भारत पर समान रूप से लागू किया जाये।

धारा 2 के अन्तर्गत जो व्यवस्था है उसके अनुसार इस प्रकार के नोटों को रक्षित बैंक बदल देगा। उत्तेजित शब्दावली हटा दी गई है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि करेंसी नोटों पर राजनीतिक नारों के लिखे जाने का बहुत रिवाज नहीं है, फिर भी यह सम्भावना है कि समय समय पर ऐसा हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि इस अध्यादेश के उपबन्धों को देश की संविहित-पुस्तक में स्थायी तौर पर रखा जाय। इसी लिये यह प्रस्ताव है कि इसको संसद् के अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित किया जाय और अध्यादेश को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

विधेयक के उपबन्ध बड़े सरल हैं इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं। आशा है कि इस सदन को यह विधेयक स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मैं विधेयक सदन के समक्ष पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : इस विधेयक द्वारा 1942 के एक अध्यादेश को जीवित करने का यत्न किया गया है। और यह उस समय किया गया था जब कि देश के सभी सक्रिय नेता जेलों में बन्द पड़े थे। भारत की स्वतन्त्रता का युद्ध अपने जीवन और मृत्यु के संघर्ष से निकल रहा था। अब मेरे विचार में डी० एम० के० के कारनामों ने 17 वर्ष के बाद इनकी आंखें खोल दी हैं। वैसे अखबारों में छपता भी रहा है कि पदासीन दल वाले विरोधी पक्ष वालों का

[श्री प्र० के० देव]

साहित्य इत्यादि ही जला देते रहे हैं। विरोधी पक्ष को अपना दृष्टिकोण जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं मिला है ।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि श्री नेहरू बड़े महान् व्यक्ति थे, और उनका हर प्रकार से आदर किया जाना चाहिये, परन्तु सिद्धान्त की दृष्टि से यह बात स्वीकार करने के योग्य नहीं कि किसी राजनीतिक व्यक्ति का चित्र करेंसी नोटों पर छापा जाय। किसी दल के नेता का चित्र करेंसी पर छापने का अर्थ बहुत ही भयंकर हो सकता है। उनके दल वाले इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। हिटलर जसे व्यक्ति ने भी अपना चित्र नोटों पर छापने से मना कर दिया था, परन्तु हमारे मित्र जो लोकतंत्र के सिद्धान्तों का शोर करते नहीं थकते नेहरू जी का चित्र लगाना चाहते हैं। कुछ भी हो नेहरू जी दल के व्यक्ति तो थे ही, इससे तो इन्कार नहीं किया जा सकता ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : इस मामले को [राजनीतिक दृष्टि से देखा जाय तो स्थिति ही बदल जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री नेहरू देश के नेता थे, परन्तु पदासीन व्यक्तियों को इसका अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिये। यह बात तो समझ में आ सकती है राष्ट्रपति का चित्र नोटों पर छपे परन्तु प्रधानमंत्री का चित्र छापने की बात समझ में नहीं आ सकती। वह सरकार के प्रमुख थे, राष्ट्र के प्रमुख नहीं थे। पदासीन दल को उनका चित्र अंकित करके देश की परिस्थिति से अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिये ।

यह बहुत ही खेद की बात है कि सरकार अपने विरोधी दलों का दमन करने के लिये 1942 के जमाने का राष्ट्रीय आन्दोलनों को दबाने वाला अध्यादेश पुनः जीवित कर रही है जो ब्रिटिश सत्ता ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिये लागू किया था। हमारी सरकार इसे सुधार कर प्रस्तुत कर रही है। मेरे विचार में यह एक निन्दनीय कार्य है और सरकार को इस पर लज्जा आनी चाहिये। सरकार को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये ।

श्री हेडा (निजामाबाद) : यह देखने की बात है कि नेहरू के चित्र को अंकित करने के मामले में भी विरोधी पक्ष वाले विभिन्न दृष्टिकोण अपना रहे हैं। हमें इस बात को याद रखना चाहिये कि नेहरू देश और राष्ट्र के नेता थे। उन्होंने देश में लोकतंत्र की स्थापना की उन पर आलोचना नहीं की जानी चाहिये। मैं इस बात का अनुरोध करता हूं कि विरोधी पक्षों को इस बात का विरोध नहीं करना चाहिये ।

Shri Bade (Khargone) : It is an interesting debate on a small Bill. Two kinds of arguments are being advanced, for and against putting Nehru's Profile on the Coin. I am of the opinion that it is not proper to inscribe Shri Nehru's profile on coins, because it would positively give rise to the apprehension that the ruling party is doing so for its own interior purpose.

There should be no message of Political Character on the currency notes. This type of convention will be very dangerous. The idea of not allowing messages of Political Character to be inscribed on currency notes is landable, but such messages should not be allowed to be displayed in other ways as well. I fully support this idea that Notes bearing messages of Political Character not to be legal tender.

श्री व० वा० गाधी (बम्बई नगर मध्य दक्षिण) : इस विधेयक द्वारा एक पुराने अध्यादेश को कानून बनाया जा रहा है। विधेयक का क्षेत्राधिकार बहुत ही सीमित है। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक क्षेत्र में, जिसमें केवल उन नोटों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जिन पर राजनीतिक प्रचार सम्बन्धी सन्देश लिखे हों, अन्य प्रकार के सन्देशों को भी शामिल किया जाए।

यह भी प्रयत्न किया जाना चाहिये कि नोटों को उचित हालात में रखा जाना चाहिये। प्राय: नोटों को ठीक ढंग से नहीं रखा जाता। सरकार को यह व्यवस्था भी करनी चाहिये कि गंदे नोटों के बदले नये नोट दे दिये जाएं।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : मैं विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं। पुराने अध्यादेश को लाया जा रहा है, इस पर मुझे विशेष आपत्ति नहीं है। इस बात को मैं उचित नहीं समझता कि सिक्कों और नोटों पर पंडित नेहरू का चित्र अंकित जाए। मेरा विश्वास है कि यदि श्री नेहरू जीवित होते तो स्वयं भी सर्व प्रथम इस बात का विरोध करते कि ऐसा किया जाए।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश भर में पंडित नेहरू को सत्कार की दृष्टि से देखा जाता है। रन्तु यह जो आप परम्परा बना रहे हैं, इसका बुरा परिणाम और लोक तंत्र की दृष्टि से यह अच्छा नहीं होगा। अत: मैं इस बात का विरोध करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : यह बात ठीक ही है कि करेंसी नोटों पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक प्रचार करने वाला सन्देश नहीं लिखा जाना चाहिये। इस पर प्रतिबन्ध लगाने का मैं स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ ही यह बात काफी चिन्ताजनक है कि देश में 50 नये पैसे और एक रुपये के सिक्कों पर श्री नेहरू का चित्र अंकित होगा। यद्यपि श्री नेहरू देश के सर्वमान्य और प्रिय नेता थे, परन्तु हमें व्यक्ति पूजा के राह पर नहीं चलना चाहिये।

Shri S. N. Chaturvedi (Firozabad) : It is really good to enact that notes bearing messages of a political character not to be legal tender. But I have not been able to understand why the scope of the Bill is restricted to the notes bearing messages of politicla character. There are other kinds of messages which affected Communla harmony etc. should also have been brought within the purview of the Bill.

I am of the opinion that there should not be any objection to Shri Nehru's profile appearing on coins. Nobody can deny this that Shri Nehru was after all a national hero and a leader. He was not only a leader of a party but also the architect of a nation. It is in order to honour a great and distinguished personality that his profile was proposed to be inscribed on the coins. We should not forget his great sacrifices and deeds and give him a due honour.

श्री व० रा० भगत : मुझे इस बात का अपार हर्ष है कि सारे सदन ने इस विधेयक का समर्थन किया है। वैसे तो यह बात पुरानी ही है और कोई नयी आपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। यद्यपि कई एक माननीय सदस्य किसी भी महा पुरुष की स्मृति का आदर करने को तत्पर नहीं है, तथापि इस पर किसी तरह का विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इस संदर्भ में तो वह बात ठीक भी नहीं। इन शब्दों से मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंडवार चर्चा होगी। कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

The motion was adopted

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

The motion was adopted

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा उद्घोणा के बारे में संकल्प

Resolution *re*: Proclamation under Article 356 of the Construction in relation to the State of Kerala

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 20 सितम्बर, 1964 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केरल राज्य के बारे में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है"

मैं घटनाओं के इतिहास में नहीं जाऊंगा। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि जब केरल राज्य विधान सभा ने सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया तो एक अजीब स्थिति का निर्माण हो गया। केरल के राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई एक दल अथवा संयुक्त दल अपनी सरकार बना सकने में असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में एक ही रास्ता था कि वह राष्ट्रपति को सारी स्थिति से सूचित कर दे। और उन्हें परामर्श दे कि वह संविधान के अनुच्छेद 356 के

अन्तर्गत राज्य का कार्य भार सम्भालते हुए उद्घोषणा करे। इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 365 के अन्तर्गत सदन को उस उद्घोषणा का अनुमोदन करना चाहिये। ऐसा किया जाना जरूरी है। अतः मैं सदन से अपील करता हूं कि वह इस संकल्प का समर्थन करे। मैं इस संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री वारियर (त्रिच्चूर) : यह बात सब को मालूम है कि कॅरल विधान सभा के जो कांग्रेसी माननीय सदस्य मंत्रिमंडल का समर्थन कर रहे थे वे ही बाद में उसके विरुद्ध हो गये। यह सर्व विदित है कि इस तरह कांग्रेस केरल में एक स्थायी सरकार स्थापित करने में असमर्थ रही है। यह बात भी अब स्पष्ट हो गई है कि केवल साम्यवादी दल ही एक ऐसा दल है जो वहां स्थायी सरकार स्थापित करने में समर्थ हो सका था। कांग्रेस जैसे-तैसे पदासीन तो हो गई, परन्तु अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के अन्त होने का कारण यही है कि वहां की जनता अब कांग्रेस को नहीं चाहती। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि केरल में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कोई भी मूल विधान राज्य में नहीं बनाया गया। इसके मुकाबले में साम्यवादी सरकार ने अपने काल में जनता के हित में तीन मूल विधान बनाने का श्रेय प्राप्त किया। उन विधानों से जनता को बहुत ही लाभ हुआ। मंत्रिमंडल पर जो आरोप थे यदि उनकी पंजाब की भांति जांच हो जाती तो बहुत सी बातें सामने आ जातीं। हमारी अब भी मांग है कि आरोपों की जांच की जाए।

केरल मंत्रिमण्डल के विरुद्ध बहुत से आरोप हैं। भ्रष्टाचार करने, चोरबाजारी चलाने, जमाखोरों को संरक्षण देने तथा लाइसैन्स देने में पक्षपात करने के कई एक भीषण आरोप हैं। इन सब मामलों की दास आयोग की तरह की जांच होनी चाहिए। कीमतें बढ़ती रही हैं। राज्य में चावल की कीमत 72 रुपये प्रति मन हो गयी है। इस सब के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है क्योंकि उसने खाद्य समस्या के मामले में भी भारी घोटाला किया है। जो लोग जनता के हित की बात कहते थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमे चलाये गये। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने के भी आरोप हैं। श्री शंकर ने आई० जी० पुलिस को संरक्षण दिया। शिक्षा मंत्री के विरुद्ध आरोप है कि उसने स्कूल खोलने के मामले में भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार अपनाया, और उसमें अपनी इच्छानुसार अपने पक्ष वालों तथा जाति के लोगों को लगाया। फिर सब से गम्भीर अपराध मंत्रिमंडल ने यह किया कि रोजगार तलाश करने वाले लोगों के बारे में पुलिस द्वारा जांच करने की बात साथ लगा दी। मैं यह बात कह सकता हूं कि जो राज्य की आज की स्थिति है उसके लिए कांग्रेस हाई कमान उत्तरदायी है। गत तीन मास तक राज्य भर में हड़तालें चलती रहीं। मजदूरों को अपनी मजूरी लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। सरकार ने इस मामले में भी हमेशा मालिकों का साथ दिया। राज्य के शिक्षक भी हड़ताल पर रहे। सरकारी कर्मचारी भी अपने मांगों को प्रस्तुत करने के लिए चिल्लाते रहे। इस तरह राज्य में निरन्तर अस्थिरता की स्थिति चलती रही। और यह दशा उस राज्य की है जहां के सबसे अधिक सुशिक्षित तथा राजनीतिक रूप में जागरूक है। अब राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी की जा चुकी

[श्री वारियर]

है । नये प्रशासन को कुछ महत्वपूर्ण मामलों में निर्भीक तरीके से काम करना होगा । सरकार सभा को यह बताये कि वह केरल में स्वतन्त्र रूप से तथा सच्चाई के साथ चुनाव करवाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है । सरकार का सबसे पहला काम यह है कि सारे आरोपों की न्यायिक जांच करवाये । सरकार को केरल में पवित्र प्रशासन कायम करने के लिये कदम उठाने चाहियें । खाद्य समस्या को भी तत्काल हल किया जाना चाहिये। उन जमाखोरों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहियें जिन्हें पहली सरकार संरक्षण देती थी ।

विधान मण्डल की अनुपस्थिति में चौथी योजना के लिये योजनायें बनाने के लिये सरकार की सहायता हेतु जनता के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जानी चाहिये । केरल में जो कुछ हुआ है उस से कांग्रेस दल को शिक्षा लेनी चाहिये, और यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जनता की प्रजातंत्रीय भावनाओं का उचित सम्मान किया जाये। यदि ऐसा न हुआ तो केरल जैसी दशा सभी राज्यों में हो जायेगी । परिणाम यह होगा कि देश में से लोकतंत्र का जनाजा निकल जायेगा । फिर संविधान की रक्षा करने की बात सामने आ जायेगी ।

अतः मेरा कहना है कि पदासीन दल अर्थात् कांग्रेस दल को इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए और केरल में निष्पक्ष चुनाव करवाने का यत्न करना चाहिये ताकि वहां लोग अपनी मर्जी का सरकार बना सकें ।

श्री मणियांगडन (कोट्टयम) : जो कुछ केरल में हुआ है उस पर मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूं । परन्तु श्री वारियर की यह बात मुझे आश्चर्यजनक लगी कि साम्यवादी सरकार ने राज्य में स्थिरता की स्थिति पैदा कर दी थी और इसके अतिरिक्त वह यह भी दावा करते हैं कि केरल में केवल साम्यवादी दल ही स्थिर और स्थायी सरकार का निर्माण कर सकता है ।

मेरा निवेदन यह है कि केरल में हाल में हुई घटनायें दुखदायी हैं, परन्तु यह कहना कि साम्यवादी दल ही केरल में स्थायी सरकार बना सकता है, सर्वथा निराधार है । अप्रैल, 1957 से जुलाई, 1959 तक की साम्यवादी सरकार की अपेक्षा जनता वर्तमान व्यवस्था अधिक पसन्द करेगी । राज्य में साम्यवादी शासन काल में लोगों को अपने जान और माल की सुरक्षा का भरोसा नहीं था, सरकार के नाम पर 'कम्यून' शासन चलाते थे । सम्पूर्ण जनता ने साम्यवादी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई और उसे त्यागपत्र देने के लिये कहा ।

यह कहना गलत है कि पिछली सरकार ने केरल में कोई अच्छा कार्य नहीं किया है । यदि किसी राज्य में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रयत्न किये गये हैं तो वे सरकार द्वारा सर्वप्रथम केरल में किये गये हैं । चाहे सरकार की कुछ भी असफलताएं रही हों । यह तथ्य है कि लोगों में अपने जान और माल की सुरक्षा का विश्वास पुनः उत्पन्न हो गया है । पिछले साढ़े चार वर्षों में केरल में पहले की अपेक्षा अधिक विकास कार्य हुए हैं ।

यह आरोप निराधार है कि केरल मंत्रिमंडल चोरबाजारी करने वालों को संरक्षण देता था । सरकार पर लगाये गये विभिन्न आरोपों पर राज्य विधान सभा में चर्चा की जा चुकी है और जिन्होंने ये आरोप लगाये थे वे सरकार के उत्तर सुन कर मौन हो गये हैं । खाद्य समस्या सारे राष्ट्र की समस्या है और इसके लिये केरल सरकार पर आरोप लगाना बिल्कुल अनुचित है । तथापि केन्द्रीय सरकार को इस समस्या पर विचार करना चाहिये और राज्य को अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न देने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये । जो आरोप लगाये थे उनके बारे में प्रधान मंत्री ने जो जांच का आश्वासन दिया था उसके कारण आन्दोलन आगे नहीं बढ़ा ।

श्री वारियर ने यह आरोप भी लगाया था कि मंत्रालय चोरबाजारी करने वालों को संरक्षण देता है । परन्तु मेरे सुनने में ऐसी कोई बात नहीं आई है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है । राज्य के उद्योग मंत्री के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाये गये थे। कपड़ा मिलों के बारे में भी उन पर एक आरोप लगाया गया था जिसकी प्रधान मंत्री ने भी जांच की थी । स्कूलों के खोले जाने के बारे में यह आरोप लगाया गया है कि मुख्य मंत्री ने अपने समुदाय के लोगों को ही स्कूल खोलने की मंज़ूरी दी है । इन सब मामलों पर विधान सभा में चर्चा की जा चुकी है और आरोप पेश करने वाले सदस्यों ने उनके समर्थन में वहां पर कुछ भी नहीं कहा ।

अध्यापकों की हड़ताल का भी उल्लेख किया गया है । परन्तु वहां की सरकार ने स्थिति के खराब होने से पहले ही उनसे समझौता कर लिया था । परन्तु वास्तविकता यह है कि जब भी कोई हड़ताल आदि होती है तो साम्यवादियों का काम ही खूब शोर मचाना है ।

केरल राज्य में अनाज की कीमतों में वृद्धि के बारे में भी कहा गया है । कग्रेस मंत्रिमंडल के भंग किये जाने के पश्चात् कीमतें और भी बढ़ी हैं और पिछले एक दो दिनों के समाचारों के अनुसार केरल राज्य के कुछ क्षेत्रों में चावल बिल्कुल उपलब्ध ही नहीं है । इस मामले की जांच की जानी चाहिये । परन्तु केरल की भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार के विरुद्ध आरोप के रूप में मूल्यों की वृद्धि का तर्क देना हास्यास्पद है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : यह बहुत ही अच्छा हुआ है कि केरल के भ्रष्ट कांग्रेसी मंत्रिमंडल को भंग कर दिया गया है । इसका श्रेय केरल विधान मन्डल के 15 कांग्रेसी सदस्यों को है । इसी प्रकार लगभग दो वर्ष तक लोग सरदार प्रताप सिंह कैरों के विरुद्ध आवाजें उठाते रहे परन्तु काफी संकोच तथा दबाव के पश्चात् एक जांच आयोग नियुक्त किया गया और उसने पंजाब के तत्कालीन मुख्य मंत्री की पोल खोल दी । परन्तु उड़ीसा की तसवीर अभी हमारे सामने है । यह निर्णय किया गया था कि वहां के मुख्य मंत्री को स्वयं अपना त्यागपत्र दे देना चाहिये परन्तु मतलबी आदमी अभी उन्हें मुख्य मंत्री पद पर ही बनाये रखना चाहते हैं । कांग्रेस के लिये यह बहुत ही

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

अशोभनीय बात है कि वह भ्रष्ट तथा बेईमान कांग्रेसियों को अभी तक काबू में नहीं कर पाई है ।

(श्री सोनावने पीठासीन हुए ।
Shri Sonavane *in the chair*)

मध्य प्रदेश की हालत भी कोई अच्छी नहीं है । वहां पर काफी अरसे से भ्रष्टाचार का बोल बाला है । वहां पर नौकरशाही का सरकार पर पूर्ण प्रभुत्व है और जनता का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है । अच्छा होता कि वहां पर कांग्रेस के दो गुटों में से एक ईमानदार होता । परन्तु वे दोनों ही ईमानदार नहीं हैं ।

केरल मंत्रालय के भंग किये जाने से किसी को दुःख नहीं हुआ है । हमने अपने सामने प्रजातंत्र का जो चित्र खींचा है, उससे हम अभी बहुत दूर हैं । भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कुछ मंत्रियों द्वारा जो प्रयत्न किये जा रहे हैं वे नाकाफी हैं । केरल में मध्यकालीन चुनाव होने जा रहे हैं परन्तु भारत जैसा गरीब देश चुनावों पर इतना पैसा खराब करने की स्थिति में नहीं है । यह अच्छा हो यदि मंत्रीगण जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोप हों स्वयं ही अपने पद से त्यागपत्र दे दें । उड़ीसा के मंत्रियों को भी केरल के मामले से सबक लेना चाहिये । यदि सरदार प्रताप सिह कैरों स्वयं अपने पद को छोड़ देते तो उनकी आज इस तरह मिट्टी खराब न होती और सब उनकी तारीफ करते । परन्तु मंत्री बने रहने का लालच ही कुछ ऐसा है ।

सन् 1947 से पहले कांग्रेस जनता की सेवा के लिये थी परन्तु उसके पश्चात् वह जनता के सेवक की बजाय उनका मालिक बन बैठी है । क्योंकि हमारा यह अनुभव रहा है कि जहां कहीं भी कोई विपत्ति आ पड़ती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ कर अन्य सब दलों के कार्यकर्ता सहायता करने के लिये वहां पर मौजूद मिलेंगे ।

मेरा सुझाव है कि सरकार को केरल में मुस्लिम लीग से दोस्ती जोड़ने की अपनी नीति को सदा के लिये त्याग देना चाहिये । हम भारत के और टुकड़े नहीं होने देना चाहते । अतः सरकार को मुस्लिम लीग को अधिक महत्व नहीं देना चाहिये और उसे मान्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिये । सरकार को साम्प्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देना चाहिये । हमारे यहां किसी जाति के साथ भेदभाव नहीं बरता जाता है । यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया है और इसीलिये केरल में राज्य सरकार को शासन से हाथ धोना पड़ा है । केन्द्रीय सरकार को इससे सबक लेना चाहिये और लोगों में मतभेद पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये । इसके विपरीत, राष्ट्रीय एकता बनाये रखने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहियें । इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर, देश में एक सुविकसित लोकतंत्रात्मक सरकार स्थापित करने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिये । केरल में राज्य सरकार का भंग किया जाना उचित ही है और वहां पर यह स्थिति अभी कुछ समय तक और बनी रहनी चाहिये ।

श्री खाडिलकर (खेड़) : केरल में तीन बार राज्य विधान मण्डल के भंग किये जाने के कारणों का हमें अच्छी तरह विश्लेषण करना चाहिये । पिछले अनुभवों के आधार पर

हमें देश में अपनाई गई संसदीय प्रणाली के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा । केरल में राजनीतिक पार्टियों का दृष्टिकोण एक दूसरे के प्रति बहुत कड़ा है और वे एक दूसरे की मदद करना नहीं चाहती ? प्रत्येक की यह कोशिश रहती है कि वह अपनी सरकार बनाये या सत्तारूढ़ दल से अपनी बात मनवाये । पहली बार वहां राज्य सरकार को इसलिये हटना पड़ा कि सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने दल से अपना त्याग-पत्र दे दिया । दूसरा अवसर तब आया जब कि निर्वाचित साम्यवादी सरकार लोकतंत्रात्मक ढंग से कार्य करने में असफल रही । केन्द्रीय सरकार ने साम्यवादी सरकार को प्रत्येक प्रोत्साहन दिया हालांकि कांग्रेस तथा साम्यवादी पार्टियों की विचारधारा में बहुत भारी अन्तर है । परन्तु शिक्षा विधेयक पर जनता के भारी विरोध के कारण साम्यवादी पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा । तीसरा मौका केरल विधान सभा के 15 कांग्रेसी सदस्यों के सरकार का समर्थन न करने के कारण सामने आया और राज्य सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी । इसमें कांग्रेस अथवा विरोधी पक्ष का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि हमें देश में संविधान का पालन करना है ।

केरल में राजनीतिक पार्टियों के कट्टर रवैये के कारण वहां पर स्थायी सरकार की स्थापना संभव नहीं है । अतः संसद को उस राज्य के भविष्य के बारे में गम्भीरता से सोच विचार करना चाहिये । केरल में राज्य सरकार के गिरने से जनता को ही कष्ट होता है । केरल में कांग्रेस तथा साम्यवादी ही दो प्रमुख पार्टियां हैं और कांग्रेस तथा साम्यवादी पार्टियों की घोषित नीतियों में कोई विशेष अन्तर भी नहीं है । दोनों ही पार्टियां लोकतंत्रात्मक प्रणाली के द्वारा देश में क्रान्ति लाना चाहती हैं ? स्वतंत्र पार्टी को छोड़ कर अन्य सब पार्टियों ने राष्ट्रीय योजना को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया है । हमें देश का तेजी से विकास करना है और इसके लिये यह जरूरी है कि ऐसी पार्टियों को, जो राष्ट्रीय योजना के आधार से कुछ सीमा तक भी सहमत हैं, एक हो कर सरकार बनानी चाहिये । केरल राज्य का मैसूर अथवा मद्रास राज्य में भी विलय नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह उन राज्यों के लिय भी एक समस्या बन जायेगी । स्वतंत्र पार्टी को छोड़ कर अन्य सभी पार्टियों का यह मत है कि देश के विकास की वर्तमान स्थिति में देश को आगे ले जाने के लिये हमें सबका सहयोग प्राप्त करन की कोशिश करनी चाहिये । हमारे देश में दो पार्टियों की सरकार कहीं भी सफल नहीं रही है । वहां पर प्रगति धीमी रही है । इसके विपरीत, देश के पिछड़ेपन के कारण हमें तेजी से देश का विकास करना है । उसका एकमात्र उपाय यही है कि एक पार्टी सरकार होनी चाहिये और थोड़े मतभेद वाली पार्टियों को एक हो जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार 23 सितम्बर, 1964 **आश्विन, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 23rd September, 1864 Asvina 1, 1886 (Saka)

GMGIPND—LS III—1349 (Ai) LSD—13-11-64—600.